[2021] 3 एस. सी. आर. 1075

ललित कुमार जैन

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2020 का हस्तांतरित मामला (सिविल) संख्या 245)

21 मई, 2021

[एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भाट, जेजे।]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 1 (3) , 2 (ई), 5 (22), 60,179,234,235,238 और 243-अधिसूचना के अधिकार और वैधता

केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 15.11.2019-क्या विवादित अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन की कवायद थी; और

क्योंकि इसने संहिता के विभिन्न प्रावधानों को केवल इस प्रकार अधिसूचित किया है

जहाँ तक वे व्यक्तिगत गारंटरों से कॉर्पोरेट देनदारों से संबंधित हैं, इसलिए यह अधिकार से परे था-आयोजितः आक्षेपित अधिसूचना नहीं थी

संहिता में कि यह, उसी समय, लागू किया जाना चाहिए सभी व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटर सहित) या बिल्कुल नहीं -

कोड में पर्याप्त संकेत-एस द्वारा। 2 (ई), एस. 5 (22), एस. 60 और एस. 179 यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत गारंटर, हालांकि इसका हिस्सा हैं

व्यक्तियों का बड़ा समूह, उनके आंतरिक रूप को देखते हुए होना था

एक ही न्यायनिर्णायक प्रक्रिया और एक ही मंच द्वारा (हालांकि नहीं दिवाला प्रावधान) जैसे कि निगमित देनदार-अधिसूचना यू /

एस. 1 (3) , (आक्षेपित अधिसूचना जारी होने से पहले जारी किया गया) यह खुलासा करता है कि संहिता को चरणों में लागू किया गया था, इस संबंध में कि

व्यक्तियों की श्रेणियाँ जिनके लिए इसके प्रावधान लागू किए जाने थे

- विवादित अधिसूचना, इसी तरह अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में संहिता के प्रावधानों को लागू करती है -

निगमित देनदार, व्यक्तियों की एक अन्य ऐसी श्रेणी के रूप में जिन्हें

संहिता का विस्तार किया गया है-विवादित अधिसूचना संसद द्वारा दी गई शक्ति के भीतर और इसके वैध प्रयोग में जारी की गई थी।

के तहत विवादित अधिसूचना जारी करने में शक्ति का प्रयोग

एस. 1 (3) इसलिए, अल्ट्रा वायर्स नहीं है; अधिसूचना मान्य है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-चाहे एक बार

समाधान योजना को स्वीकार कर लिया जाता है, कॉर्पोरेट देनदार को छुट्टी दे दी जाती है दायित्व; और इसके परिणामस्वरूप, गारंटर जिसका दायित्व सह है

प्रमुख देनदार अर्थात निगमित देनदार को भी सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है-धारितः समाधान योजना को मंजूरी

किसी निगमित देनदार से संबंधित किसी व्यक्तिगत गारंटर (निगमित देनदार के) को गारंटी के अनुबंध के तहत अपनी देनदारियों का वास्तविक रूप से निर्वहन नहीं करता है-किसी प्रमुख उधारकर्ता को उसके द्वारा अपने लेनदार को दिए गए ऋण से, एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवालिया होने के कारण जारी या निर्वहन। कार्यवाही, जमानतदार/गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करती है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है।

मैक्सिम-मैक्सिम "रेडडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस"-प्रयोज्यता

(निगमित देनदारियों के लिए) जिन्हें परिसमापन दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अधीन नहीं किया जा सकता है - एस. 60 (2)। रिट याचिकाओं, स्थानांतरित मामलों और स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1.1 . केंद्र सरकार ने संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन किया।

विषय वस्तु और संहिता के अंतर्गत आने वाली समानताओं या विषमताओं को ध्यान में रखते हुए। [पैरा 81] [1149-बी]

1.2 . व्यक्तियों से संबंधित दिवाला कार्यवाही

संहिता के भाग-III द्वारा विनियमित। 2018 के संशोधन से पहले, सभी व्यक्ति (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर, फर्मों के भागीदार, साझेदारी फर्म और अन्य भागीदारों के साथ-साथ

ऐसे व्यक्ति जो कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए या तो भागीदार या व्यक्तिगत गारंटर थे) धारा 2 (ई) के तहत एक वर्णनात्मक विवरण के तहत आते हैं। असंशोधित धारा 60 में विचार किया गया कि व्यक्तिगत ललित कुमार जैन बनाम के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी।

भारत और ओआरएस का संघ।

एन. सी. एल. टी. का गारंटर होना था। फिर भी, तथ्य को ध्यान में रखते हुए

कि धारा 2 ने सभी तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को एक छत्र वर्ग के भीतर लाया, केंद्र सरकार के लिए केवल व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में भाग-3 के प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू करना मुश्किल होता। यही वह जगह थी जहाँ केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कॉर्पोरेट के लिए व्यक्तिगत गारंटरों की सिफारिश की थी

दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रहे ऋणदाताओं को भी उसी न्यायनिर्णायक द्वारा कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता थी। नतीजतन, 2018 के संशोधन अधिनियम ने धारा 2 (ई) को बदल दिया और तीन श्रेणियों को उपवर्गीकृत किया। व्यक्ति, जिसके परिणामस्वरूप धारा 2 (ई), (एफ) और (जी) है। यह देखते हुए कि 30.11.2016 की पूर्व अधिसूचना ने संहिता को लागू कर दिया था

धारा 2 (ए) से 2 (डी) के तहत आने वाली संस्थाओं के संबंध में, 2018 के संशोधन अधिनियम ने केंद्र सरकार को संहिता को इस तरह से लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक समर्थन प्रदान किया संशोधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात यह सुनिश्चित करने के लिए कि निगमित ऋणदाताओं की दिवालियापन से निपटने वाले न्यायनिर्णायक निकाय के समक्ष ऐसे निगमित ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटरों की दिवालियापन कार्यवाही भी हो। 2018 के संशोधन ने उस धारा 60 में भी बदलाव किया जिसमें परिसमापन और दिवालियापन से संबंधित दिवालियापन और दिवालियापन प्रक्रियाएं तीन श्रेणियों के संबंध में थीं, यानी कॉर्पोरेट देनदार, कॉर्पोरेट देनदारों के कॉर्पोरेट गारंटर और कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर उसी मंच, यानी NCLT द्वारा विचार किया जाना था। [पारस 82,83] [1149-बी-एच]

2.1 . धारा 2 में संशोधन के अलावा, उसी संशोधन ने धारा 60 (2) में भी संशोधन किया। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि "व्यक्तिगत

गारंटर "को परिभाषित नहीं किया गया था, और संहिता के तहत" व्यक्ति "के बड़े दायरे में आता था, दिवाला प्रक्रिया और कॉर्पोरेट देनदारों और व्यक्तिगत गारंटरों सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के परिसमापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण NCLT था-यहां तक कि अपरिवर्तित संहिता के तहत भी। धारा 60 (2) के संशोधन ने कुछ अवधारणाओं को जोड़ा। संशोधन ने "या दिवालियापन" शब्दों के पहले "या परिसमापन" अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया और "ऐसे निगमित देनदार" के "एक निगमित गारंटर" की अभिव्यक्ति को भी सम्मिलित किया। इसकी व्याख्या

अभिव्यक्ति प्रासंगिक होनी चाहिए। व्यक्तिगत गारंटर, एक व्यक्ति के परिसमापन का कोई सवाल ही नहीं है।

उक्ति "रेडडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस" के पीछे का सिद्धांत लागू होता है। [पारस 86,87] [1050-एफ-एच; 1051-डी-एफ]

2.2 . जब धारा 60 (2) दिवाला समाधान या दिवालियापन, या तीन श्रेणियों के परिसमापन का उल्लेख करती है, अर्थात निगमित

देनदार, निगमित गारंटर (निगमित देनदार के लिए) और व्यक्तिगत गारंटर (निगमित देनदार के लिए) वे वितरण के रूप में आवेदन करते हैं, यानी कि दिवाला समाधान, या परिसमापन प्रक्रियाएं लागू होती हैं निगमित देनदार और उनके निगमित गारंटर, जबकि दिवाला समाधान और दिवालियापन प्रक्रियाएं व्यक्तिगत गारंटरों (निगमित देनदारों के लिए) पर लागू होती हैं, जिन्हें परिसमापन के अधीन नहीं किया जा सकता है। [पैरा 88] [1152-एफ-जी]

2.3 . धारा 60 ने पहले, मूल संहिता के तहत, एन. सी. एल. टी. को इस संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित किया था -

दो श्रेणियाँ: निगमित देनदारियों और निगमित देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर। 2018 के संशोधन में एक और श्रेणी जोड़ी गई: निगमित देनदारियों को निगमित गारंटर। रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में देखा गया संशोधन, वास्तव में संहिता की योजना (यानी, धारा 2 (ई), धारा 5 (22), धारा 29ए और धारा 60) के रूप में, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे सभी मामले जो प्रभावित होने की संभावना थे, या एक कॉर्पोरेट देनदार की दिवालिया प्रक्रिया पर असर पड़ता है, उन्हें एक साथ जोड़ने और एक ही मंच के सामने लाने की मांग की गई थी। [पैरा 92] [1154-एफ-जी]

3. संहिता की धारा 234 और 235 से यह भी पता चलता है कि संहिता की योजना में हमेशा इस बात पर विचार किया गया है कि एक निगमित देनदार या उसके व्यक्तिगत गारंटर के साथ दिवालिया कार्यवाही के दौरान एक समान तरीके से निपटा जा सकता है, जिसमें अदालतों या अन्य मामलों में अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करना शामिल है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के संबंध में संरचना। [पैरा 94] [1156-ए

बी] ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

5. विवादित अधिसूचना केंद्र सरकार और बोर्ड को इन पर नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष किसी निगमित देनदार को व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ लंबित कार्रवाई की अनुमति कैसे दी जाए। अधिसूचना का उद्देश्य, प्रत्यक्ष रूप से, लंबित कार्यवाही को संहिता के संदर्भ में निर्णय लेने की अनुमति देना है। धारा 243, जो व्यक्तिगत दिवाला कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान करती है, को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। धारा 60 (2) में निर्धारित किया गया है कि किसी निगम के खिलाफ चल रही समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति में

देनदार, समाधान प्रक्रिया के लिए एक आवेदन या कॉर्पोरेट देनदार को व्यक्तिगत गारंटर के दिवालियापन को समाधान प्रक्रिया के जब्त किए गए संबंधित एन. सी. एल. टी. के साथ दायर किया जाएगा या परिसमापन। इसलिए, व्यक्तिगत गारंटरों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. होगा, यदि एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक समानांतर समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया लंबित है, जिसके लिए गारंटी दी गई है। यही तर्क धारा 60 (3) के तहत भी लागू होता है, जब किसी अदालत या न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ लंबित कोई दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ समाधान प्रक्रिया या परिसमापन शुरू किया जाता है। इस प्रकार यदि ए, एक व्यक्ति डी. आर. टी. के समक्ष समाधान प्रक्रिया का विषय है और उसने किसी कंपनी बी द्वारा देय ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत की है, तो एन. सी. एल. टी. में बी के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू होने की स्थिति में, प्रावधान के परिणामस्वरूप

जहाँ तक धारा 243 को अधिसूचित नहीं करने का तर्क है निगमित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर चिंतित हैं। धारा 243 (2) निरस्त किए गए अधिनियमों (पी. आई. ए. और पी. टी. आई. अधिनियम) के तहत लंबित कार्यवाही को उनके अनुसार करने से बचाती है।

अधिनियम। अब तक धारा 243 को अधिसूचित नहीं किया गया है। यदि धारा 243 अधिसूचित की जाती है और उन दोनों अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाता है, तो वर्तमान अधिसूचना का प्रभाव व्यक्तियों के खिलाफ लंबित कार्यवाही को शामिल करने का नहीं होता, जैसे कि व्यक्तिगत

अन्य मंचों में गारंटर, और उन्हें इसके तहत लाएंगे

व्यक्तिगत गारंटरों की दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित संहिता के प्रावधान। आक्षेपित अधिसूचना, एक के रूप में

धारा 238 में अबाधित खंड के परिणाम में, [2021] 3 एस. सी. आर. है।

परिणामस्वरूप कि यदि व्यक्तिगत के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की जानी थी

गारंटर यह कोड के तहत होगा। [पैरा 96] [1156-जी-एच; 1157 ए-सी]

7. निगमित व्यक्तियों के संबंध में दिवाला प्रक्रिया (संहिता की धारा 2 [ए] से [डी] में वर्णित सभी न्यायिक संस्थाओं को शामिल करने वाला एक समग्र शब्द) व्यक्तियों से संबंधित लोगों से पूरी तरह से अलग है।

भाग II और भाग III द्वारा उत्तरार्द्ध के प्रावधान। धारा179, जो यह परिभाषित करती है कि व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण क्या है

एन. सी. एल. टी. जहाँ निगमित देनदारियों से संबंधित कार्यवाही की जाती है। लंबित है। इसके अलावा, धारा 60 (3) व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित कार्यवाही को उस एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है जो

कॉर्पोरेट देनदारियों के खिलाफ कार्यवाही से निपट रहा है। एक सामान्य निर्णय मंच का प्रावधान करने के बाद, धारा 60 (4) एन. सी. एल. टी. को "उप-धारा (2) के उद्देश्य के लिए इस संहिता के भाग III के तहत डी. आर. टी. की सभी शक्तियों के साथ निहित करती है"। इस प्रकार धारा 60 (4) (ए) डी. आर. टी. की सभी शक्तियां एन. सी. एल. टी. के पास निहित करती है और (बी) एन. सी. एल. टी. को भाग III के तहत शक्तियां भी निहित करती है। इसलिए संसद

भाग III के प्रावधानों को भाग II के तहत निगमित देनदारों के खिलाफ की गई प्रक्रिया के साथ, धारा 60 (2) के उद्देश्य से, यानी व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही के साथ विलय कर दिया गया।

निगमित कर्जदारों के साथ। धारा 17 इसी के अनुरूप है - भाग III में प्रावधान। यह धारा 60 के प्रावधानों के अधीन है। धारा 60 (4) स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत मामलों के खिलाफ एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही के संबंध में भाग III के प्रावधानों को शामिल करती है।

गारंटर। [पैरा 99] [1159-एफ-जी; 1160-ए-डी]

8. यह स्पष्ट है कि संसदीय इरादा व्यक्तिगत गारंटरों के साथ अन्य श्रेणियों से अलग व्यवहार करना था। व्यक्तियों। ऐसे व्यक्तियों और निगमित संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संबंध जिनकी वे गारंटी देते थे, साथ ही साथ दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को विभिन्न मंचों पर किए जाने की संभावना, इसके परिचर अनिश्चित परिणामों के कारण, ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

व्यक्तिगत गारंटरों को व्यक्तियों की एक अलग प्रजाति के रूप में तराशना, जिनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण कॉर्पोरेट देनदार के साथ सामान्य था, जिसके लिए वे गारंटी देते थे। तथ्य यह है कि भाग III में दिवाला की प्रक्रिया व्यक्तियों पर लागू की जानी है, जबकि भाग II में निर्धारित कॉर्पोरेट देनदारों के संबंध में प्रक्रिया ऐसे कॉर्पोरेट व्यक्तियों पर लागू की जानी है।

असंगति की ओर नहीं ले जाता है। दूसरी ओर, दिवालियापन पर निर्णय लेने के लिए मंच के पास ठोस कारण प्रतीत होते हैं प्रक्रियाएँ-जिनके प्रावधान अलग-अलग हैं-सामान्य होनी चाहिए, अर्थात एन. सी. एल. टी. के माध्यम से। एनसीएलटी सक्षम होगा

उपलब्ध परिसंपत्तियों की प्रकृति के बारे में पूरी तस्वीर पर विचार करें, या तो कॉर्पोरेट देनदार की दिवालिया प्रक्रिया के दौरान, या बाद में भी; इससे सी. ओ. सी. को तैयार करने में सुविधा होगी।

वास्तविक योजनाएं, व्यक्तिगत गारंटरों से लेनदारों के बकाया के कुछ हिस्से को प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए। [पैरा 100] [1160-डी-एफ; 1161-ए-सी]

9. विवादित अधिसूचना विधायी अभ्यास का एक उदाहरण नहीं है, या अस्वीकार्य और चयनात्मक अनुप्रयोग के बराबर नहीं है

संहिता के प्रावधान। संहिता में कोई बाध्यता नहीं है कि इसे एक ही समय में सभी व्यक्तियों (व्यक्तिगत गारंटरों सहित) पर लागू किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। संहिता में धारा 2 (ई), धारा 5 (22), धारा 60 और धारा 17 द्वारा पर्याप्त संकेत है जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत गारंटर,

निगम ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में लागू संहिता के प्रावधान, व्यक्तियों की एक अन्य ऐसी श्रेणी के रूप में जिनके लिए संहिता का विस्तार किया गया है। विवादित अधिसूचना संसद द्वारा दी गई शक्ति के भीतर और इसके वैध प्रयोग में जारी की गई थी। जारी करने में शक्ति का प्रयोग इसलिए, धारा 1 (3) के तहत आक्षेपित अधिसूचना अधिकार से बाहर नहीं है; अधिसूचना मान्य है। [पैरा 101] [1161-सी-जी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[20
21] 3 एस सी आर।

10. समाधान योजना की स्वीकृति वास्तविक नहीं है।

(किसी निगमित देनदार के) किसी व्यक्तिगत गारंटर को उसका या

गारंटी के अनुबंध के तहत उनकी देनदारियाँ। किसी प्रमुख उधारकर्ता को उसके द्वारा अपने लेनदार को दिए गए ऋण से, एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कानून के संचालन द्वारा, या परिसमापन या दिवालिया कार्यवाही के कारण, जमानतदार/गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है। विवादित अधिसूचना कानूनी और वैध है। इसके अलावा, एक निगमित देनदार से संबंधित समाधान योजना की मंजूरी व्यक्तिगत गारंटरों (निगमित देनदारों के लिए) की देनदारियों का निर्वहन करने के लिए काम नहीं करती है। [पारस 111,112] [1168-जी-एच; 1169-ए-बी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन (2018) 17 एससीसी 394: [2018] 10 एस. सी. आर. 974; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति v. सतीश कुमार गुप्ता (2019)

एससीसी ऑनलाइन एससी 1478; महाराष्ट्र राज्य बिजली

बोर्ड बॉम्बे बनाम। आधिकारिक परिसमापक, उच्च न्यायालय,

एर्नाकुलम और अन्र। (1982) 3 एस. सी. सी. 358 [1983] 1 एस. सी. आर. 561; औद्योगिक वित्त निगम। ऑफ इंडिया लिमिटेड v.

कन्नौर एसपीजी। & डब्ल्यूवीजी। मिल्स लिमिटेड (2002) 5 एससीसी 54: [2002] 2 एस. सी. आर. 1093 और पंजाब नेशनल बैंक बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश (2002) के 5 एस. सी. सी. 80-पर निर्भर था। स्विस रिबन (पी.) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, पुनः v. भाग 'ग' राज्य (विधि) अधिनियम, 1950, [1951] एस. सी. आर. 747; तमिलनाडु राज्य बनाम। के. सबनायगम (1998) 1 एस. सी. सी. 318:

[1997] 5 पूरक। एस. सी. आर. 345; वासु देव सिंह और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2006) 12 एससीसी 753: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 535; बॉम्बे राज्य बनाम। नरोत्तमदास

जेठाभाई, [1951] 2 एससीआर 51; सरदार इंदर सिंह बनाम। राजस्थान राज्य [1957] एस. सी. आर. 605; हमरद दवाखाना

वी. भारत संघ [1960] 2 एस. सी. आर. 671; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड &

एन. आर. (2020) 15 एस. सी. सी. 1; चेट्टियन वेट्टिल अम्मान बनाम। तालुक भूमि बोर्ड (1980) 1 एस. सी. सी. 499: [1979] 3 एस. सी. आर. 839; बसंत कुमार सरकार बनाम ईगल रोलिंग मिल्स लिमिटेड [1964]

6 एस. सी. आर. 913; विश्वंभर सिंह बनाम। उड़ीसा राज्य

[1954] एस. सी. आर. 842; दूतावास संपत्ति विकास (पी)

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य (2020) 13 एस. सी. सी. 308; जे. मित्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. पेटेंट के सहायक नियंत्रक

बिहार और ओआरएस। (1988) 2 एस. सी. सी. 433: [1988] 3 एस. सी. आर. 311; जावेद और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। (2003) 8 एससीसी 369: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 947; बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड बनाम। डॉ. दामोदर प्रसाद और अन्र। ए. आई. आर. [1969] 1 एस. सी. आर. 620; भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूचकांक बंदरगाह पंजीकृत ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1740; भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक बनाम। विश्वनाथ झुनझुनवाला (2009) 9 एससीसी 478: [2009] 13 एस. सी. आर. 391; लक्ष्मी नारायण बनाम। भारत संघ (1976) 2 एससीसी 953: [1976] 2 एससीआर 785; रघुबर स्वरूप बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 909; आई. टी. सी. भद्राचलम बनाम। मंडल राजस्व अधिकारी (1996) 6 एससीसी 634: [1996] 5 पूरक। एस. सी. आर. 643; एडवर्ड मिल्स बनाम। अजमेर राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 735; अध्यक्ष खनन परीक्षा बोर्ड v.

रामजी एयर 1977 एससी 965: [1977] 2 एस. सी. आर. 904; प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन (1994)

समिति वी. पश्चिम बंगाल राज्य (1987) 3 एससीसी 82: [1987] 2 एस. सी. आर. 1207; कोटेश्वर विट्टल कामत बनाम। के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी (1969) 1 एस. सी. सी. 255 [1969] 3 एस. सी. आर. 40; राजेंद्र के. भुट्टा बनाम। महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (2020) 13 एस. सी. सी. 208; जावेद बनाम।

हरियाणा राज्य (2003) 8 एससीसी 369: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 947; पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी बनाम। ए. पी. राज्य (1996) 2 एस. सी. सी. 498 [1996] 1 एस. सी. आर. 603; और विजय कुमार

जैन वी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 103-संदर्भित। गौरी शंकर जैन बनाम। पंजाब नेशनल बैंक एंड एन. आर. 2019 एससी ऑनलाइन कैल 7288; कुंदनलाल डबरीवाला बनाम। हरियाणा वित्तीय निगम (2012) 171 कम्पोजिट केस 94; डॉ. विष्णु कुमार अग्रवाल बनाम। पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 542 और पेगासस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

विमानन वित्त कंपनी बनाम किंगफिशर लिमिटेड (2016) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 5991-संदर्भ

आर वी। बुराह 1878 (3) ऐप। मामले 889 (निर्णय)

परिषद); जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम। प्रांत

(संघीय न्यायालय का निर्णय), (1949-50) 11

और री काप्थिंग सिंगर और फ्रीडलैंड प्रशासन) (यूके सुप्रीम कंपनी का निर्णय

(1) सभी ईआर 883 का उल्लेख किया गया है।

वैधानिक व्याख्या पर बेनिअनः

(6 संस्करण, पृष्ठ 257 पर)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 10 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

एफ.

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1951] एससीआर 747

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1997] 5 पूरक। एससीआर 345

संदर्भित किया गया है

आई.

[2006] 8 पूरक। एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1951] 2 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1957] एससीआर 605

संदर्भित किया गया है

ई.

[1960] 2 एससीआर 671

संदर्भित किया गया है

एफ.

(2020) 15 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

एफ.

[1979] 3 एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

ई.

[1964] 6 एससीआर 913

संदर्भित किया गया है

ई.

[1954] एससीआर 842

संदर्भित किया गया है

आई.

(2020) 13 एस. सी. सी. 308

संदर्भित किया गया है

ई.

[2008] 12 एससीआर 419

संदर्भित किया गया है

आई.

[1988] 3 एससीआर 311

संदर्भित किया गया है

एफ.

[2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 947 को संदर्भित किया गया

आई.

[1969] 1 एससीआर 620

संदर्भित किया गया है

आई.

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1740

एफ.

[2009] 13 एससीआर 391

संदर्भित किया गया है

एफ ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[1983] 1 एससीआर 561

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

(2002) 5 एससीसी 80

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

[2018] 10 एससीआर 974

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

[1976] 2 एससीआर 785

पैरा 47

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 909

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1996] 5 पूरक। एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

[1955] 1 एससीआर 735

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

[1977] 2 एससीआर 904

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1994] 1 एससीआर 445

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 51

[1988] 3 पूरक। एससीआर 558

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

ए. आई. आर 1959 एस. सी. 909

[1987] 2 एससीआर 1207

पैरा 56

संदर्भित किया गया है

[1969] 3 एससीआर 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 59

(2020) 13 एससीसी 208

संदर्भित किया गया है

पैरा 88

[2003] 1 पूरक। एससीआर 947

संदर्भित किया गया है

पैरा 90

[1996] 1 एससीआर 603

पैरा 90

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 1093

उस पर भरोसा करें

पैरा 109

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: हस्तांतरित मामला (दीवानी)

2020 की संख्या 245।

स्थानांतरण याचिका यू/ए 139 ए आर/डब्ल्यू संविधान का अनुच्छेद 142

भारत सरकार ने 2020 की रिट याचिका (सी) No.4849 को दिल्ली उच्च न्यायालय से इस माननीय न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की।

के साथ डब्ल्यू . पी. (सी) सं. 117 2021 का 1371,2020 का 1420,1353 का

2020 , टी. पी. (सी) 2020 का सं. 1252, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1276 2020 का 1287, टी. पी. (सी) संख्या। 1285 2020 का 1325,2020 का 1325, डब्ल्यू. पी. (सी) 2020 का 1364, टी. सी. (सी) 2020 का 257, डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 1434 2020 की संख्या, 2021 की संख्या 38,2020 की संख्या 1419, टी. पी. (सी) संख्या। 1202 2020 का 1220,2020 का 1203,2020 का 1193,2020 का 1196,2020 का 1289,2020 का 1323,2020 का 1333, [2021] 3 एस. सी. आर.

1292 2020 का 1299,2020 का 1331, डब्ल्यू. पी. (सी) 2020 का संख्या 1342, टी. पी. (सी) 2020 का संख्या 1339, डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 1348 2020 का 1344,2020 का 1343, टी. सी. (सी) संख्या। 250 2020 का 251,2020 का 247,2020 का 253,2020 का 252,2020 का 248,2020 का 254,2020 का 246,2020 का 256,2020 का 249,2020 का 255, डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या। 62 2021 की संख्या, 2021 की संख्या 32,2021 की संख्या 106,2021 की संख्या 97,2021 की संख्या 142,2021 की संख्या 135,2021 की संख्या 131,2021 की संख्या 122,2021 की संख्या 138,2021 की संख्या 147,2021 की संख्या 209,2021 की संख्या 194,2021 की संख्या 187,2021 की संख्या 180,2021 की संख्या 182,2021 की संख्या 203,2021 की संख्या 220,2021 की संख्या 229,2021 की संख्या 217,2021 की संख्या 221,2021 की संख्या 225,2021 की संख्या 239,2021 की संख्या 240,2021 की संख्या 228,2021 की संख्या 224,2021 की संख्या 234,2021 की संख्या 260,2021 की संख्या 262 और 2021 की संख्या 283। तुषार मेहता, एस. जी. , के. के. वेणुगोपाल, एजी। , के. वी. विश्वनाथन, राकेश द्विवेदी, गोपाल सुब्रमण्यम, ध्रुव मेहता, हरीश साल्वे,

सुदिप्तो सरकार, पी. एस. नरसिम्हा, सिद्धार्थ दवे, रितिन राय, रामजी श्रीनिवासन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मोहम्मद अखिल नजीर, कन्नू अग्रवाल, धनंजय महापात्रा, अरविंद कुमार शर्मा, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, वी. एम. कन्नन, संबित पांजा, अर्जुन भाटिया, सुश्री मोनाली, जयवर्धन सिंह, हितेश कुमार सैनी, शंख सेनगुप्ता, सिद्धार्थ रानाडे, विविध टंडन, सुश्री निशी भँखारिया, सुश्री काजविन कपाडिया, सैयद जाफर आलम, निनाद लाउड, साहिल टागोत्रा, विकास मेहता अपूर्व खातोर, साहिल मोंगा, अरविंद कुमार गुप्ता, डॉ. अनिंदिता पुजारी, सुश्री पूर्ति गुप्ता, सुश्री हिना जॉर्ज, ओम नारायण, सुश्री हरप्रीत कौर, अर्जुन सयाल, श्री

स्वामीनाथन, सुश्री अभिलाषा श्रवण, श्रीमती आरती राजन, विक्रम पूसेरला, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, अभिनय रेड्डी एम., नितीश बंदरी, जीवन कुमार नंदम, कीर्तिवर्धन कोम्मारेड्डी, सुश्री आहना माध्यमिक, सुश्री करिश्मा नेदुंगडी, सुश्री अचला सिरी डोड्डला, सुश्री श्रेया देवकी, ज्योति कुमार सिंह, पी. आर. राजहंस, श्रीमती पारोमा सेनगुप्ता, संदीप सिंह, विशाल अरुण, सुश्री शिवानी, रवींद्र एस. चिंगले, यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री सोनल मशनकर, सुश्री शिवांगी सुदाला।

सुश्री प्रकृति रॉय, एम. श्रीनिवास आर. राव, शरत एस. जनार्दनन, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., मुकुंद, कैलाशनाथ पी. एस. एस., आबिद अली बीरन ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

पी, संदीप सिंह, कृष्ण देव जगरलामुदी, अनीश आर. शाह, प्रदीप अग्रवाल, सुश्री सौम्या शर्मा, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, सुश्री रुचि कोहली, रोहित शर्मा, प्रणव भास्कर, रौणक नायक, अतुल अग्रवाल, सुश्री आरजू चौधरी, कुमार दुष्यंत सिंह, विकास कुमार, मनीष पालीवाल, मैसर्स कॉरपोरेट लीगल पार्टनर्स, संदीप बजाज, सोइब कुरैशी, सुश्री निधि मोहन पराशर, सुश्री अदिति

पुंधीर, उत्तम दत्त, राजीव सिंह, सुश्री सृजना सुमन मुंड, सुश्री सोनाक्षी सिंह, ऋषि राज शर्मा, सुश्री पल्लवी लंगर, सुश्री गौरी ऋषि, सुश्री सृष्टि जुनेजा, यादव नरेंदर सिंह, वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन, योगेंद्र अलदक, गोपाल माचिराजू, पुनीत गणपति, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री मौनिका कस्तुरी, सुश्री इशिता माथुर, मलक मनीष भट्ट, सुश्री पल्लवी सिंह, सुश्री संग्या गुप्ता, सिद्धार्थ बरुआ, शरण ठाकुर, सुश्री अदिति गुप्ता, सुश्री जैस्मीन दामकेव

झा, सुश्री संध्या अय्यर, उदित नरेश, ओ. पी. गग्गर, सुश्री आस्था प्रसाद, आदित्य गग्गर, अंकित आनंदराज शाह, बृजेश कुमार टम्बर, किंशुक चटर्जी, कुशल बंसल, सुश्री सृष्टि गुप्ता, सुजॉय चटर्जी, अतुल शर्मा, अभिषेक शर्मा, सुश्री एशली चेरियन, इंद्रपिक नायडू, गौतम तालुकदार, अतिव माथुर, अजय मोंगा, अमोल शर्मा, गगन।

गुप्ता, अभिषेक जेबराज, सुश्री नूपुर राउत, विवेक ए. वाशी, सुश्री शिल्पा सेंगर, विश्वजीत दुबे, माधव कनोरिया, सुश्री सुरभी खट्टार, प्रफुल्ल

गोयल, सुश्री वाणी शर्मा, सुमित अत्री, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पसंद की जाने वाली विभिन्न कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले कानून के सामान्य प्रश्नों का निपटारा करेगा।

भारत सरकार के साथ-साथ अनुच्छेद 139 ए के तहत स्थानांतरित मामले; उन कारणों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से इस अदालत की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता") के प्रावधानों के संबंध में कानून के सामान्य प्रश्नों की व्याख्या शामिल थी।

I याचिकाएँ और सामान्य शिकायतें

2. इन सभी मामलों में उत्पन्न होने वाला सामान्य प्रश्न 15.11.2019 द्वारा जारी अधिसूचना के अधिकार और वैधता से संबंधित है।

केंद्र सरकार 2 (इसके बाद इसे "विवादित अधिसूचना" कहा जाता है)। दिवाला की वैधता के संबंध में अन्य राहतों का भी दावा किया गया है

और दिवालियापन (दिवाला के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए समाधान प्रक्रिया) नियम, 2019 15.11.2019 पर जारी किए गए। इसी तरह, नियमों की वैधता को चुनौती दी गई

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड द्वारा 20.11.2019 पर भी चुनौती का विषय है। हालाँकि, प्रस्तुतियों के दौरान, पक्षों के विद्वान वकील ने कहा कि चुनौती विवादित अधिसूचना तक ही सीमित होगी।

3. उच्च न्यायालयों के समक्ष सभी रिट याचिकाकर्ता, के रूप में प्रस्तुत किए गए

बैंक और वित्तीय संस्थान जिनके कारण वे (याचिकाकर्ता) विभिन्न कंपनियों को निदेशक, प्रवर्तक या कुछ मामलों में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के रूप में अग्रिम राशि जारी करते थे। कई मामलों में, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया गया था, और उन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही लंबित है जो वे हैं या जिनसे वे जुड़े थे, और जिन अग्रिमों के लिए उन्होंने बैंक गारंटी दी थी। कई मामलों में, वसूली की कार्यवाही और बाद में दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई। दिवाला प्रक्रियाएँ विभिन्न चरणों में हैं और समाधान योजनाएँ इस स्तर पर हैं - 1 मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली आदि। निगम कार्य मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा जारी 2 एस. ओ. 4126 (ई) ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अंतिम रूप देना। कुछ मामलों में समाधान योजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा और कुछ मामलों में, दी गई मंजूरी अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष हमले के अधीन है।

4. सभी रिट याचिकाकर्ताओं ने विवादित अधिसूचना को इस रूप में चुनौती दी

भारत संघ को (निगमित कार्य मंत्रालय के माध्यम से) प्रदत्त अधिकार से अधिक जारी किया गया है जिसे इन सभी कार्यवाहियों में पक्षकारों के रूप में रखा गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 1 (3) के तहत संघ को प्रदान की गई शक्ति का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता था कि संहिता के प्रावधानों का विस्तार किया जा सके जहां तक वे कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित हैं। विवादित अधिसूचना धारा 2 (ई), धारा 78 (नई शुरुआत प्रक्रिया के संबंध को छोड़कर), धारा 79,94-187 (दोनों समावेशी); धारा 239 (2) (जी), (एच) और (आई); धारा 239 (2) (एम) से (जेडसी); धारा 239 (2) (जेडएन) से (जेडएस) और धारा 249 को लागू करती है।

5. विवादित अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, कई याचिकाकर्ता

संहिता के तहत दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव के साथ मांग नोटिस दिए गए थे। ये मांग नोटिस विभिन्न मामलों पर आधारित थे, जिसमें गारंटी के आह्वान के बाद वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कुछ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संहिता के भाग-III के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से इन सभी कार्यवाही में मुख्य तर्क यह है कि विवादित अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन का अभ्यास है। यह तर्क दिया जाता है कि केंद्र सरकार के पास प्रवर्तन पर शर्तें लगाने का कोई अधिकार-विधायी या वैधानिक-नहीं है।

कोड। यह आगे एक परिणाम के रूप में तर्क दिया जाता है कि केवल व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में संहिता की विवादित अधिसूचना के संदर्भ में धारा 78,79,94-187 आदि का प्रवर्तन केंद्र सरकार को दी गई शक्तियों से परे है।

6. यह तर्क दिया जाता है कि संहिता की धारा 1 (3) के प्रावधान के संदर्भ में, संसद ने विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की शक्ति सौंप दी थी

केंद्र सरकार को समय-समय पर विभिन्न बिंदुओं पर संहिता का। धारा 1 (3) निम्नानुसार है:

" यह ऐसी तारीख को लागू होगा जब केंद्रीय

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्ति:

बशर्ते कि अलग-अलग तारीखें अलग-अलग तारीखों के लिए निर्धारित की जा सकती हैं

इस संहिता के प्रावधान और ऐसे किसी भी प्रावधान में कोई संदर्भ

इस संहिता के प्रारंभ तक एक अर्थ लगाया जाएगा उस प्रावधान के प्रारंभ का संदर्भ दें।

7. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 1 (3) के तहत प्रत्यायोजित शक्ति केवल उस समय के संबंध में है जब संहिता के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जा सकता है और यह केंद्र सरकार को संहिता के प्रावधानों के कुछ हिस्सों को अधिसूचित करने या सीमित करने की अनुमति नहीं देता है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विवादित अधिसूचना, जिस हद तक यह 01.12.2019 से प्रभावी संहिता की धारा 2 (e) को लागू करती है, दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से प्रभावित होती है। यह तर्क दिया जाता है कि 2018 के अधिनियम 8 द्वारा संशोधित संहिता की धारा 2 (ई) पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुई। from23.11.2017। भारतीय स्टेट बैंक बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह विधिवत नोट किया गया है। वी. रामकृष्णन 3 ने कहा कि:

" हालांकि मूल धारा 2 (ई) बिल्कुल भी लागू नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिस्थापित धारा 2 (ई) पहले से ही लागू हो गई है।

23.11.2017 . "

यह आग्रह किया जाता है कि इस अदालत को, इसलिए, विवादित को दरकिनार कर देना चाहिए।

अधिसूचना।

3 (2018) 17 एस. सी. सी. 394 ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

9. याचिकाकर्ताओं ने विवादित अधिसूचना पर भी हमला किया

इस आधार पर कि यह मन के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित है, क्योंकि केंद्रीय सरकार संहिता की धारा 243 को लागू करने में विफल रही, जो

इसके बाद)। विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले, दिवाला किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही केवल इन संदर्भों में शुरू की जा सकती है -

विवादित प्रावधान, नियम और विनियम, दिवालिया कार्यवाही कर सकते हैं अब निगमित देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ शुरू किया जाए

संहिता का भाग III, और पी. टी. आई. अधिनियम और पी. आई. ए. के तहत भी। तब से

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संहिता की धारा 243 को लागू नहीं किया गया है।

तर्क दें कि आक्षेपित अधिसूचना में सृजन का अतार्किक प्रभाव है

ऋण शोधन प्रक्रिया के लिए दो स्व-विरोधाभासी कानूनी व्यवस्थाएँ निगमित ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटर।

10. यह आग्रह किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना अधिकार से बाहर है

संहिता केवल निगमित देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में है। संहिता का भाग III "दिवाला समाधान और दिवालियापन" को नियंत्रित करता है।

व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए "। इसके अलावा, संहिता की धारा 2 (जी) एक व्यक्ति को "व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति" के रूप में परिभाषित करती है।

खंड (ई) में संदर्भित। धारा 2 (ई) व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित है।

निगमित कर्जदारों के लिए। धारा 2 (जी) के साथ धारा 2 (ई) का एक संयुक्त पठन

और संहिता के भाग III से पता चलता है कि कॉर्पोरेट के लिए व्यक्तिगत गारंटर ऋणी भाग II द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, जो केवल व्यक्तियों से संबंधित है और

साझेदारी फर्म, और कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर खड़े हैं

संहिता की धारा 95 पर भी भरोसा करें, जो लेनदार को आवेदन करने की अनुमति देती है। केवल एक के संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया

साझेदारी ऋण।

4 “ 95. दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए लेनदार द्वारा आवेदन। (1) लेनदार या तो स्वयं या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकता है।

या समाधान पेशेवर के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आरंभ करने के लिए एक आवेदन जमा करके इस धारा के तहत एक दिवाला समाधान प्रक्रिया। (2) एक लेनदार किसी भी मामले में उप-धारा (1) के तहत आवेदन कर सकता है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए उसे देय साझेदारी ऋण

21] 3 एस सी आर।

11. संहिता के भाग III में अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

निगम ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया (इसके बाद "आई. आर. पी".) की शुरुआत। विवादित अधिसूचना जो इसके विपरीत प्रदान करती है, अधिकार से बाहर है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना [धारा 2 का खंड (ई), धारा 78 (नई शुरुआत प्रक्रिया के संबंध को छोड़कर), धारा 79, धारा 94 से 187 (दोनों सहित), धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (1) का खंड (जी), धारा 239 की उप-धारा (2) का खंड (एम) से (जेडसी), धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (जेडएस) से खंड (जेडएन) और धारा 249] द्वारा लागू की गई संहिता के प्रावधान जब केवल व्यक्तिगत नियमों के संबंध में लागू किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए गारंटर, स्पष्ट रूप से मनमाने हैं; वे भेदभावपूर्ण भी हैं क्योंकि:

(i) ऐसा कोई बोधगम्य अंतर या तर्कसंगत आधार नहीं है जिसके आधार पर निगमित ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों को विवादित प्रावधानों के दायरे में लाया गया है, विशेष रूप से जब संहिता के प्रावधान अलग से लागू नहीं होते हैं।

व्यक्तियों की एक उप-श्रेणी, अर्थात, निगमित देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर। बल्कि, संहिता का भाग III कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

(क) फर्म का कोई भी या अधिक भागीदार; या

((ख) फर्म।

((ग)

(3) जहां किसी फर्म में एक भागीदार के खिलाफ आवेदन किया गया है, उसी फर्म में दूसरे भागीदार के खिलाफ कोई अन्य आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

जिसमें पहला उल्लिखित आवेदन न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है और ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण आवेदनों के तहत कार्यवाहियों को समेकित करने के लिए ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझता है।

(4) उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन के साथ निम्नलिखित से संबंधित विवरण और दस्तावेज होंगे:

(क) ऋणदाता द्वारा ऋणदाता या ऋणदाता को देय ऋण जो आवेदन की तारीख तक दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं;

(ख) ऋणी द्वारा मांग की सूचना की सेवा के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऋण का भुगतान करने में विफलता; और

(ग) ऋण के इस तरह के चूक या गैर-पुनर्भुगतान का प्रासंगिक प्रमाण। (5) लेनदार उप-धारा (1) के तहत किए गए आवेदन की एक प्रति भी देनदार को प्रदान करेगा।

(6) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ होगा जो निर्धारित किया जाए।

(7) उप-धारा (4) के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज ऐसे होंगे जो निर्दिष्ट किए जाएं। ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((ii) संहिता के भाग III के प्रावधान, जो आंशिक रूप से विवादित अधिसूचना द्वारा लागू किए गए हैं, व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक ही प्रक्रिया प्रदान करते हैं, चाहे वह लेनदार वित्तीय हो या नहीं।

लेनदार या एक परिचालन लेनदार। संहिता के भाग III में वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के साथ समान आधार पर व्यवहार करना संहिता के भाग II के विपरीत है, जो विभिन्न वर्गों के लेनदारों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

12. याचिकाकर्ता स्विस रिबन (पी.) लिमिटेड बनाम पर भरोसा करते हैं। भारत संघ ', जहाँ इस न्यायालय ने परिचालन लेनदारों और वित्तीय लेनदारों के लिए प्रक्रिया में अंतर को इस आधार पर बरकरार रखा कि वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति में मौलिक अंतर हैं,

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों से। वित्तीय लेनदार आम तौर पर एक सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त उधार देते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार को या तो अपना व्यवसाय स्थापित करने और/या संचालित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर, परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंध व्यवसाय के संचालन में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। वित्तीय अनुबंधों में आम तौर पर बड़ी राशि शामिल होती है।

13. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दिवालिया होने की प्रक्रिया के संबंध में वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों को जोड़ने का कार्य

कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों का समाधान असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर है और वर्गीकरण को ध्वस्त करने के बराबर है

संहिता के भाग 2 में संसद द्वारा सावधानीपूर्वक बनाया गया। उनका यह भी तर्क है कि विवादित अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 96 और 101 को लागू करने से दिवालिया होने का अतार्किक परिणाम सामने आता है

निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही, जब व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की जाती है। यह इंगित किया गया है कि संहिता की धारा 99 और 100 के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि संकल्प पेशेवर, आवेदन के अनुमोदन/अस्वीकृति की सिफारिश करते समय, और इसे स्वीकार करते समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लेनदार को दिया गया अंतर्निहित ऋण चुका दिया गया है या समाप्त हो गया है।

14. यह तर्क दिया जाता है कि एक गारंटर का दायित्व प्रमुख देनदार के साथ सह-व्यापक है (भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128,

1872) . इसके अलावा, यह तय किया गया कानून है कि एक प्रमुख देनदार के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के समापन पर, यह विलुप्त होने के बराबर है। 5 (2019) 4 एससीसी 17.

दिवाला समाधान प्रक्रिया में ही स्वीकार की गई सीमा को छोड़कर, प्रमुख देनदार के खिलाफ सभी दावों का। यह धारा 31 से स्पष्ट है।

संहिता, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को निगमित देनदार, उसके लेनदारों और गारंटरों के लिए बाध्यकारी बनाती है। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि विवादित अधिसूचना लेनदारों को संहिता के भाग II के तहत कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनके द्वारा प्राप्त राशि का लेखा किए बिना गारंटर की दिवाला प्रक्रिया में दावा करके अन्यायपूर्ण रूप से खुद को समृद्ध करने की अनुमति देती है। अतः यह असहनीय है।

15. यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिसूचना के परिणामस्वरूप कपड़ा प्राधिकरण, ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) और समाधान पेशेवरों (आर. पी.) के पास अधिनियमित क़ानून से परे शक्तियां हैं। उन्होंने "गारंटर" शब्द को एक देनदार के रूप में परिभाषित किया है जो एक व्यक्तिगत गारंटर है एक निगमित ऋणी और जिसके संबंध में ऋणदाता द्वारा गारंटी का आह्वान किया गया है और पूर्ण या आंशिक रूप से अवैतनिक रहता है। मूल क़ानून

"गारंटर" को परिभाषित नहीं करता है। यह इंगित किया गया है कि हालांकि संहिता की धारा 239 (1) दिवाला बोर्ड को संहिता के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, लेकिन वे नियम एक ऐसे शब्द को परिभाषित नहीं कर सकते हैं जो संहिता में परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप गारंटरों की एक श्रेणी के लिए वर्ग कानून बनने की संभावना है, यानी कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर। इसलिए आक्षेपित अधिसूचना कोड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

II याचिकाकर्ताओं की दलीलें

16. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने आग्रह किया कि संहिता की धारा 1 (3) या तो

केंद्र सरकार को केवल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को संहिता के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार है। इस धारा के परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं। धारा 1 (3) 'सशर्त विधान' का एक उदाहरण है, जहां विधायिका ने कानून अधिनियमित किया है, और कार्यपालिका को सौंपा गया एकमात्र कार्य कानून को उस समय लागू करना है जब वह तय करे। इस तरह के कानून को सशर्त कहा जाता है, क्योंकि विधायिका ने स्वयं "स्थान, व्यक्ति, कानून, शक्तियों" के संबंध में कानून को अपनी पूरी पूर्णता में बनाया है, और किसी बाहरी प्राधिकरण के लिए कानून बनाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसलिए, कानून के किसी भी तत्व को सरकार के लिए खुला नहीं छोड़ा गया था, और इसे सौंपा गया एकमात्र कार्य कानून को उस समय लागू करना था जब वह तय कर सके। हालांकि केंद्र सरकार ने विवादित अधिसूचना जारी कर दी है

इसे प्रदत्त शक्ति को पार कर गया, और प्रभावी रूप से ललित कुमार जैन बनाम को संशोधित किया है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

संहिता के भाग III के प्रावधान, जो संसद द्वारा करने के लिए अधिकृत नहीं थे। यह मानते हुए कि ऐसी शक्तियां संहिता की धारा 1 (3) के तहत मौजूद थीं, यह सत्ता का असंवैधानिक प्रत्यर्पण होगा। यह तर्क दिया जाता है कि इस अदालत ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि सशर्त विधान में, कानून पहले से ही सभी मामलों में पूर्ण है, और इस तरह से बाहरी एजेंसी यानी सरकार, इस तरह के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, कानून नहीं बना सकती है या किसी भी तरह से प्रभाव को जोड़ या बदल नहीं सकती है।

कानून पहले से ही निर्धारित है। रिलायंस को दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 में रखा गया है। भाग 'ग' राज्य (विधि) अधिनियम, 1950, तमिलनाडु राज्य बनाम। के. सबनायगम और वासु देव सिंह और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। आक्षेपित अधिसूचना का प्रभाव संहिता या उसके प्रावधानों के लागू होने की तारीख को अधिसूचित करने की शक्ति से परे जाने में बदल जाता है।

17. यह तर्क दिया जाता है कि संहिता का भाग III किसी व्यक्ति और कॉर्पोरेट के लिए व्यक्तिगत गारंटर के बीच कोई अंतर नहीं बनाता है।

ऋणी। भाग III "व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन" का प्रावधान करता है, और उसके बाद इन दो श्रेणियों के व्यक्तियों को केवल देनदार के रूप में संदर्भित करता है। विवादित अधिसूचना

केंद्र सरकार को विधान/विधायी प्राधिकरण के किसी भी तत्व के अभाव के बावजूद, भाग III की वास्तविक धाराओं के पाठ को सार में संशोधित करता है। विवादित अधिसूचना के एक हिस्से के रूप में "केवल जहां तक वे कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित हैं" शब्दों को स्पष्ट रूप से विवादित अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक धारा में एक सवार की तरह जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

संहिता की धारा 1 (3) के तहत प्रदत्त दायरे और शक्तियों के पूरी तरह से बाहर इस तरह के अभ्यास को प्रस्तुत करना।

18. श्री साल्वे ने आगे तर्क दिया कि विवादित अधिसूचना प्रतिनिधि मंडल के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि केंद्र सरकार ने व्यक्तियों के वर्गीकरण को प्रभावित किया है। और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि व्यक्तियों की एक श्रेणी के दिवालिया मुद्दों, यानी कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर, पर कॉर्पोरेट देनदारों की दिवालिया कार्यवाही के साथ विचार किया जाए। के बीच अंतर

भाग II और भाग III, व्यक्तियों के लेनदारों के लिए उपलब्ध मंच और उपचार अब इस श्रेणी के लिए उपलब्ध नहीं हैं, यानी व्यक्तिगत गारंटर,

6 1951 एस. सी. आर. 747 पैरा 39,42 और 47 पर। 7 (1998) 1 एस. सी. सी. 318 पैरा 14 पर। 8 (2006) 12 पैरा 16 पर एस. सी. सी. 753।

निगमित देनदारियों की प्रक्रिया। यह तर्क दिया जाता है कि वर्गीकरण की शक्ति

विधायी है और यह कि आक्षेपित अधिसूचना एक उदाहरण है

अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने वाली कार्यपालिका। श्री साल्वे ने आर. वी. बुराह में प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया कि कानूनों को सामान्य विधायी प्राधिकरण, कार्यपालिका पर या मूल अधिनियम के तहत उसे नहीं दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं कहा जा सकता है।

19. यह तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार ने गलती से यह मान लिया कि परिभाषा प्रावधानों में व्यक्तिगत गारंटरों को शामिल करना

धारा 2 में संशोधन करने और धारा 2 (ई) डालने से स्वतः ही संहिता की धारा 1 (3) में संशोधन हो जाता है। धारा 2 में प्रावधान है कि संहिता विभिन्न उप-धाराओं में उल्लिखित संस्थाओं पर लागू होती है। 2018 के संशोधन में कहा गया कि संहिता व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगी।

संसद द्वारा प्रदत्त। यह आग्रह किया गया कि सशर्त कानून को प्रत्यायोजन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो एक व्यापक अवधारणा है जो कार्यपालिका को व्यापक विधायी नीति के भीतर नियमों को तैयार करने और अंतराल को दूर करने की अनुमति देती है। यह कवायद विधायी है। हालांकि, सशर्त कानून केवल कार्यकारी सरकार को उस समय को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है जब कानून को लागू किया जाना है, या स्थान या स्थान जहां यह संचालित होता है। लेकिन यह नहीं कि किसी अधिनियम के कौन से भाग किसी भी ठोस विधायी प्रावधान या मार्गदर्शन के बिना व्यक्तियों के किस वर्ग पर लागू हो सकते हैं। विवादित अधिसूचना का वैधानिक योजना में संशोधन करने का प्रभाव है जिस तरह से यह उन्हें व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू करता है और इसलिए यह संहिता के अधिकार से बाहर है।

20. श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने आगे तर्क दिया, ने आगे तर्क दिया कि कई निर्णयों में, इस अदालत ने फैसला सुनाया है कि

सशर्त विधान वह है जहाँ एक विधायी अभ्यास अपने आप में पूर्ण होता है, और प्राधिकरण (इस मामले में केंद्र सरकार) को प्रत्यायोजित की जाने वाली एकमात्र शक्ति और/या कार्य, कानून को किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू करना है।

9 9 1878 (3) ऐप। 889 मामले।

क्षेत्र निर्धारित करना या ऐसी विधि को लागू करने का समय और तरीका निर्धारित करना। उन्होंने बॉम्बे राज्य बनाम में निर्णय का हवाला दिया। नरोत्तमदास जेठाभाई 1 0 जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

यह धारा प्रांतीय सरकार को आर्थिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने का अधिकार नहीं देती है। नया न्यायालय और इसे किसी भी अर्थ में प्रांतीय सरकार को विधायी शक्ति प्रदान करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है।

श्री नरसिम्हा ने सरदार इंदर सिंह बनाम का भी हवाला दिया। की स्थिति

राजस्थान 1-1 और हमरद दवाखाना बनाम। भारत संघ 1 2 और आग्रह किया गया कि जब विधान पूरा हो जाता है, और कार्यपालिका को किसी क्षेत्र में कानून लागू करने या उसे लागू करने का समय और तरीका निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो यही एकमात्र अनुमेय कार्य है। हालांकि, कार्यपालिका अपने कार्य को उसे दी गई शक्ति के बाहर नहीं कर सकती है, उन विषयों को चुनती है जिन पर कानून लागू होना है।

21. श्री नरसिम्हा ने पिछली अधिसूचनाओं का उल्लेख किया

लागू हुआ और यह हर उस इकाई पर लागू हुआ जिसे इसके दायरे में माना जाता है। 30.11.2016 की अधिसूचना के तहत, चार उपों को शामिल करना धारा 2 (ए) से 2 (डी) में वर्णित श्रेणियां अप्रासंगिक हो गईं, और संहिता का भाग II सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होता है जो इसके तहत एक निगमित व्यक्ति की परिभाषा के आधार पर इसके दायरे में आने का इरादा रखते हैं।

अधिनियम की धारा 3 (7)। हालाँकि, विवादित अधिसूचना व्यक्तियों के एक सजातीय वर्ग के बीच केवल एक उप-श्रेणी, अर्थात् कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर पर लागू होती है; इसलिए, यह एक उप-श्रेणी है।

सशर्त विधान शक्ति का अभूतपूर्व प्रयोग, स्पष्ट रूप से मूल अधिनियम के अधिकार के बाहर है। 22. यह आग्रह किया गया कि भले ही यह माना गया हो कि केंद्र सरकार के पास विवादित अधिसूचना जारी करने और भाग III को केवल व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में लागू करने की शक्ति है

10 बॉम्बे राज्य बनाम। नरोत्तमदास जेठाबाई 1951 2 एस. सी. आर. 51, पैरा 37 पर। 11 1957 पैरा 10 पर एस. सी. आर. 605। 12 1960 (2) पैरा 28 पर एस. सी. आर. 671।

देनदार, यह संहिता के उद्देश्यों और उद्देश्यों से परे है। रिलायंस को इस संबंध में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर रखा गया था। 1 3

23. विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इस अदालत ने बार-बार

यह स्पष्ट किया गया कि संहिता का उद्देश्य किसी कंपनी को उसके प्रबंधन से बचाकर उसके पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना है और जहां तक संभव हो, उसे परिसमापन से बचाना है, जिससे उसका मूल्य अधिकतम हो सके। संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। स्विस में अवलोकन रिबन्स प्रा. लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और Ors.[1]4 और बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ए. एन. आर. इस उद्देश्य के लिए 1 5 15 पर भरोसा किया जाता है।

24. यह प्रस्तुत किया गया था कि संसद ने निस्संदेह संशोधन किया

2018 में संहिता, "व्यक्तिगत गारंटर" को व्यक्तियों की एक प्रजाति के रूप में परिभाषित करती है जिनके लिए कानून लागू होता है। हालाँकि, इसके आवेदन का तरीका समान बना रहा, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए। इसलिए, कुछ व्यक्तियों के संबंध में चुनिंदा रूप से कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए धारा 1 (3) के तहत सशर्त कानून शक्ति का सहारा लेना, अर्थात व्यक्तिगत

गारंटर और सभी व्यक्ति नहीं, अधिकार से बाहर हैं, और संसद को दी गई शक्ति के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, यह इंगित किया जाता है कि कानून का अनुप्रयोग स्वयं सीमित है-उदाहरण के लिए धारा 78 के मामले में जो दिवालिया कार्यवाही की नई शुरुआत पर लागू होती है-संहिता तब व्यक्तियों की एक उप श्रेणी (जिनमें से सभी अध्याय द्वारा कवर किए जाते हैं, जो धारा 78 द्वारा खोला जाता है) यानी व्यक्तिगत गारंटर के लिए इसके अनुप्रयोग में सीमित है। यह चयनात्मक अनुप्रयोग नग्न वर्गीकरण है।

सशर्त विधायी से सम्मानित सरकार द्वारा प्रयोग किया गया

शक्तियाँ।

25. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि संहिता के भाग III से संबंधित

व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों को विभिन्न वर्गों में रेखांकित किया गया है

13 " संहिता दिवाला समाधान और व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए निर्धारित करती है, जिन्हें इन प्रावधानों के व्यापक प्रभाव के कारण चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में,

निगमित ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए प्रावधानों का विस्तार किया जाएगा ताकि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके और इस उद्देश्य के लिए विधेयक में एक स्पष्ट सक्षम प्रावधान प्रदान किया गया है।

14 स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य। , (2019) 4 एस. सी. सी. 17, पैरा 28 पर; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एन. आर.

(2020) 15 एस. सी. सी. 1, पैरा 21,21.1 पर। 15 (2020) 15 एस. सी. सी. 1 पैरा 21,21.1 पर।

एक्ट करें। इन अध्यायों में से, I, III से VII, जिनमें से सभी को अधिसूचित किया गया है, संहिता के सक्रिय घटक हैं, जो व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों से संबंधित हैं। इन्हें निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सकता है, जब भी कार्यपालिका की राय हो कि ऐसा करना उचित है। हालाँकि, धारा 2 का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, निश्चित रूप से व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों को उपश्रेणियों में विभाजित करने और फिर भाग II के प्रावधानों को विशेष रूप से व्यक्तिगत गारंटरों पर लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि संहिता की धारा 2 एक सक्रिय घटक नहीं है, बल्कि केवल एक वर्णनात्मक घटक है। वकील ने तर्क दिया कि धारा 2 की प्रकृति एक संशोधन योग्य वर्णनात्मक घटक के समान है। विस्तार से, यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अधिनियम का एक संशोधन योग्य वर्णनात्मक घटक है एक जो अधिनियम के पूरे या कुछ हिस्से का वर्णन करता है, और 2017 में संसद में विधेयक पेश किए जाने पर संशोधन के अधीन था। दूसरे शब्दों में, धारा 2 वर्णनात्मक है और केवल उन विषयों की घोषणा करती है जिन पर संहिता लागू होगी। यह निश्चित रूप से कार्यपालिका को अलग-अलग क्षेत्रों में अपने विवेकाधिकार पर चुनिंदा रूप से कोड लागू करने की शक्ति नहीं दे सकता है।

विषय। 26. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुदिप्तो सरकार ने श्री साल्वे की दलीलों को स्वीकार किया। उन्होंने जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम मामले में संघीय न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। बिहार प्रांत ", विशेष रूप से

निम्नलिखित अंश:

" परंतुक में संशोधन, यदि कोई हो, के साथ अधिनियम को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति है। यह एक शक्ति है न कि दो पृथक्कृत करने योग्य शक्तियाँ। तथ्य यह है कि कोई संशोधन नहीं किया गया था

जब शक्ति का प्रयोग किया गया था तो अधिनियम में किया गया शक्ति की वास्तविक प्रकृति को निर्धारित करने में मदद नहीं कर सकता है। अधिनियम के संचालन को अधिनियम में उल्लिखित अवधि से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रथम दृष्टया एक विधायी शक्ति है। यह विधानमंडल को बताना है कि कोई विशेष कानून कितने समय तक लागू रहेगा। इसे किसी अन्य निकाय के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। बिना किसी सीमा के विधानमंडल के किसी अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति

संशोधन की शक्ति की सीमा पर, निस्संदेह एक विधायी शक्ति है। यह किसी भी प्रतिबंध, सीमा या परंतुक के अधीन अधिनियम को लागू करने के लिए सीमित शक्ति नहीं है (जो है -

केवल एक अपवाद के समान) "।

16 (1949-50) 11 एफसीआर 595।

याचिकाकर्ता। के भाग II में प्रावधानों के बीच अंतर की ओर इशारा करते हुए संहिता और भाग III में यह तर्क दिया गया है कि निगमित देनदारों को व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ दिवालिया समाधान की शुरुआत करने की प्रक्रिया अन्य व्यक्तियों के संबंध में समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह तय करने वाला मंच राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण होगा।

(एनसीएलटी)। अन्य सभी मामलों में, भाग III के संदर्भ में, ऋण प्राप्ति के लिए वसूली प्रक्रिया व्यक्तिगत गारंटरों के लिए कॉर्पोरेट देनदारों के लिए समान है।

जैसे कि व्यक्तियों के मामले में। प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से अलग करके, और व्यक्तिगत गारंटरों, जो व्यक्तिगत भी हैं, की दिवालिया प्रक्रिया को एन. सी. एल. टी. द्वारा निर्णय के अधीन करके, और इसके अलावा, वस्तुतः यह निर्देश देते हुए कि दो कार्यवाहियां, यानी एक ओर कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में, और दूसरी ओर व्यक्तिगत गारंटर, जिसे जोड़ा जाना है, वास्तव में, एक विधायी अभ्यास है, जो संहिता के किसी भी स्पष्ट प्रावधान द्वारा असमर्थित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना है। दूसरी ओर, यदि एक

एक व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ आवेदन स्वीकार किया जाता है, इसके तहत एक स्थगन

व्यक्तिगत गारंटर का ऋण कॉर्पोरेट देनदार के ऋण के समान है, एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान योजना सहित सभी लंबित कार्यवाही एक व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ समाधान योजना की शुरुआत के लिए एक आवेदन के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। वास्तव में, यह एक सरासर विधायी आदेश द्वारा असमान लोगों को बराबर मानने के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, वकील ने तर्क दिया, स्थगन जो कॉर्पोरेट देनदारों की लंबित समाधान योजनाओं के संबंध में काम करेगा, व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ एक आवेदन की शुरुआत पर उन्हें उसी स्तर पर रखता है, जो कानून स्वयं नहीं करता है। अनुमति दें।

28. यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 140 के आधार पर, एक गारंटर को उन सभी अधिकारों के भुगतान या प्रदर्शन पर निवेश किया जाता है जिनके लिए वह उत्तरदायी है, जो लेनदार को प्रमुख देनदार के खिलाफ प्राप्त थे। यह प्रावधान गारंटर को उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है, जो लेनदार के पास प्रमुख देनदार के खिलाफ थे, जिसमें बाद की समाधान प्रक्रिया के समापन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ समाधान योजना दायर करने का अधिकार शामिल होगा। हालांकि, के आधार पर संहिता की धारा 29ए, कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के प्रवर्तक जो ज्यादातर मामलों में व्यक्तिगत गारंटर हैं, उन्हें ललित कुमार जैन बनाम में समाधान योजना दाखिल करने से रोक दिया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निगमित देनदार की निगमित समाधान प्रक्रिया। यह उन्हें उन व्यक्तियों की तुलना में एक अलग नुकसान में डालता है जो व्यक्तिगत गारंटर नहीं हैं। इस संबंध में, ऐसे व्यक्तिगत गारंटरों की दिवाला प्रक्रिया में कॉर्पोरेट देनदार से राशि की वसूली करने में असमर्थता, साथ ही साथ बाद के चरण में, यदि आवश्यक हो, तो दिवाला प्रक्रिया शुरू करने में असमर्थता, विवादित अधिसूचना के कारण प्रभावित हुई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अदालत ने एस्सार स्टील के लेनदारों की समिति में

इंडिया लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया कि

" संहिता की धारा 31 (1) यह स्पष्ट करती है कि एक बार ऋणदाताओं की समिति द्वारा एक समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद यह सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी। यही कारण है कि यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सफल समाधान आवेदक कॉर्पोरेट देनदार का व्यवसाय नए सिरे से चलाना शुरू कर दे।

सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है।

29. यह आगे तर्क दिया गया कि ऋणदाताओं की समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित समाधान योजनाओं को समाप्त करने और निष्पादित करने का प्रस्ताव होगा वित्तीय लेनदार के प्रति प्रमुख उधारकर्ता का दायित्व। इसलिए, व्यक्तिगत गारंटी के तहत गारंटर के रूप में याचिकाकर्ताओं का दायित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रिलायंस को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कुंदनलाल डबरीवाला बनाम मामले के फैसले पर रखा गया है। हरियाणा वित्तीय निगम, जिसने फैसला सुनाया कि:

“ अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, मैं यह ठहराने के लिए इच्छुक हूं कि चूंकि प्रतिभूति का दायित्व प्रमुख देनदार के साथ सह-व्यापक है, यदि बाद वाले के दायित्व को एक संशोधित डिक्री में कम किया जाता है, या अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।

17 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1478। 18 8 (2012) 171 कम्प कैस 94।

21] 3 एस सी आर।

कानून द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से, जमानतदार का दायित्व भी है

प्रो टैंटो कम या बुझ गया "।

30. डॉ. विष्णु कुमार के मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के फैसले पर भी रिलायंस को रखा गया था।

अग्रवाल बनाम। पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ", जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि" ऋणों के एक ही समूह के लिए, एक ही वित्तीय लेनदार द्वारा दो अलग-अलग कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में दावा दायर नहीं किया जा सकता है।

III संघ और अन्य उत्तरदाताओं के तर्क

31. भारत संघ की ओर से तर्क देते हुए महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि संहिता में 2018 में संशोधन किया गया था। यह प्रतिस्थापित किया गया

ऋणदाताओं के तीन अलग-अलग वर्गों को पेश करके धारा 2 (ई) में पूर्व-संशोधित परिभाषा, जो कॉर्पोरेट ऋणदाताओं [धारा 2 (ई)], साझेदारी फर्मों और स्वामित्व फर्मों [धारा 2 (एफ)] और व्यक्तियों [धारा 2 (जी)] के लिए व्यक्तिगत गारंटर थे। प्रावधान को विभाजित करने और देनदारों की तीन अलग-अलग श्रेणियों को परिभाषित करने का उद्देश्य संस्थाओं के तीन अलग-अलग समूहों को शामिल करना था। संसद व्यक्तिगत गारंटरों से निपटना चाहती थी [के तहत]

धारा 2 (ई)], साझेदारी फर्मों और स्वामित्व फर्मों [धारा 2 (एफ) के तहत] और इसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों से अलग है।

धारा 2 (ई) [धारा 2 (जी) के तहत]। इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत गारंटरों को कॉर्पोरेट देनदारों से अन्य व्यक्तियों से अलग करना था। यह

ऐसा इसलिए था क्योंकि संहिता की धारा 60 जो कॉर्पोरेट देनदारों के लिए निर्णय प्राधिकरण से संबंधित है, उसे भी 2018 में आंशिक रूप से संशोधित किया गया था। धारा 60 (2) में संशोधन में कहा गया है कि यह दिवालिया कार्यवाही या कॉर्पोरेट गारंटर के परिसमापन/दिवालियापन पर लागू होता है या एक निगमित देनदार के लिए, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत गारंटर। इसका परिणाम

संशोधन यह है कि जब कोई कॉर्पोरेट देनदार दिवालिया कार्यवाही का सामना करता है, तो उसके कॉर्पोरेट गारंटर की दिवालिया भी शुरू हो सकती है। इसी तरह, एक कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक व्यक्तिगत गारंटर, जिसका सामना करना पड़ रहा है दिवाला, दिवाला कार्यवाही के अधीन हो सकता है। यह सब एन. सी. एल. टी. द्वारा हल और तय किया जाना है। दूसरे शब्दों में, धारा 60 (2)

द्वारा किए गए संशोधन ने भी निगमित समाधान से संबंधित मुद्दों और विवादों के समाधान के लिए उसी मंच के माध्यम से एक एकीकृत निर्णय प्राप्त किया।

प्रक्रियाएँ, साथ ही दिवालियापन और दिवालियापन प्रक्रियाएँ कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर।

32. यह तर्क दिया गया कि संसद ने अलग होने के लिए मजबूर महसूस किया

अन्य व्यक्तियों जैसे साझेदारी फर्मों के व्यक्तिगत गारंटर,

19 2019 एससीसी ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 542.

निगमित ऋणदाताओं की समाधान प्रक्रिया को इसके प्रवर्तकों, प्रबंध निदेशकों और निदेशकों से अलग और स्वतंत्र रूप से निपटना होगा जिन्होंने निगमित ऋणदाताओं के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत की थी। यदि निगमित देनदारियों के खिलाफ दिवालिया समाधान की कार्यवाही इस संशोधन के बिना जारी रखी गई थी, और इसके बिना एकीकरण, (न्यायनिर्णायक निकाय का) किसी वित्तीय लेनदार के ऋण के लिए निगमित देनदार के चूक करने पर, निगमित देनदार से संबंधित संहिता की पूरी मशीनरी खुद ही काम करेगी, ताकि इसे बाहर किया जा सके।

निगमित ऋणदाताओं के व्यक्तिगत गारंटरों को अलग करके और उसी संशोधन द्वारा, व्यक्तिगत गारंटर के ऋण को एक न्यायाधिकरण/मंच अर्थात् एन. सी. एल. टी. के समक्ष रखते हुए, यह प्रावधान है कि ऐसा मंच भाग III में व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में उस पूरे ऋण का पुनर्भुगतान प्रदान करने के लिए प्रक्रिया लागू करेगा, जिसके लिए गारंटी पहली जगह में दी गई है। यदि उस ऋण को भाग III में चुकाया नहीं जाता है, तो व्यक्तिगत गारंटर को छुट्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरी ओर, खुद को दिवालिया कार्यवाही में मजबूर किया जाएगा। 33. यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि एन. सी. एल. टी. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और दिवाला के नियम (व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में),

संहिता के भाग III के तहत) कॉर्पोरेट देनदारों से संबंधित से अलग हो सकता है, दोनों प्रक्रियाओं को एक मंच के तहत एकीकृत करने से न्यायनिर्णायक निकाय को ऋण की सीमा के बारे में स्पष्ट दृष्टि रखने में सक्षम बनाता है। निगमित देनदार, इसकी उपलब्ध परिसंपत्तियाँ और संसाधन, साथ ही व्यक्तिगत गारंटर की परिसंपत्तियाँ और संसाधन भी। यह व्यवहार्य नहीं होता, अगर व्यक्तिगत गारंटर की दिवाला समाधान प्रक्रिया भाग III के तहत किसी अन्य निकाय के समक्ष जारी रहती। संशोधन और विवादित अधिसूचना एक अधिक इष्टतम समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के प्रबंधन को संभालने के इच्छुक समाधान आवेदकों को अंततः अधिक आकर्षक लगेगा; इसके अलावा, प्रस्तावित बोलियों के संबंध में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, और कॉर्पोरेट ऋणदाता की कुल ऋण सेवा को कम किया जा सकता है यदि [2021] 3 एस. सी. आर.

निगम ऋणी की देनदारियों को कम करने के लिए व्यक्तिगत गारंटर की परिसंपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत गारंटर, जो ऐसी परिसंपत्तियां प्रदान करता है जिन पर उसकी कंपनी को दी गई अग्रिम राशि के खिलाफ शुल्क लिया गया है, संभवतः खुद को कंपनी के पास ले जाने की अनुमति नहीं देगा।

दिवालियापन, और इसलिए, बैंक या अन्य वित्तीय लेनदार को बकाया राशि के भुगतान द्वारा निर्वहन प्राप्त करने के लिए उससे देय धन के भुगतान की व्यवस्था करने की अधिक संभावना होगी। कुछ मामलों में, लेनदार बैंक बाल काटने या छोड़ने के लिए भी तैयार हो सकता है।

ब्याज राशिएँ ताकि निगमित ऋण के साथ-साथ व्यक्तिगत गारंटर का भी न्यायसंगत निपटान किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम होगा और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, जो संहिता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। 34. विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि अभिव्यक्ति "प्रावधान" को ब्लैक लॉ डिक्शनरी (पृष्ठ 1420 पर 10वें संस्करण) में "एक क़ानून, अनुबंध या अन्य कानूनी में एक खंड" के रूप में परिभाषित किया गया है।

"/उन्होंने चेट्टियन वेट्टिल अम्मन बनाम के फैसले पर भी भरोसा किया। तालुक भूमि बोर्ड 20 इस आशय से कि:

" इसलिए एक प्रावधान एक क़ानून में कानून का एक अलग नियम या सिद्धांत है जो इसके दायरे में आने वाली स्थिति को नियंत्रित करता है। इसलिए एक अपूर्ण विचार, भले ही एक क़ानून के एक खंड के रूप में कहा गया हो, को एक प्रावधान नहीं कहा जा सकता है, इसकी अपूर्णता के कारण, इसे वास्तव में एक संपूर्ण प्रावधान प्रदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। संबंधित लोगों द्वारा पालन के लिए नियम या सिद्धांत। ए.

अतः विधि के प्रावधान को अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है यदि

अपूर्ण, तब के लिए यह कुछ भी प्रदान नहीं करता है।

इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि धारा 2 (ई) का पूर्ण और विशिष्ट होना धारा 1 (3) के अर्थ के भीतर एक प्रावधान है, और केंद्रीय

सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपने अधिकार के भीतर काम किया, साथ ही संहिता के भाग III में कुछ प्रावधान भी किए।

35. यह तर्क दिया गया था कि कार्यपालिका के पास कानून के किसी भी एक प्रावधान को अलग-अलग समय पर लागू करने की शक्ति है। और यह कि सरकार इस शक्ति का उपयोग एक दिन में एक उद्देश्य के लिए और बाद की तारीख में शेष उद्देश्यों के लिए एक प्रावधान शुरू करने के लिए कर सकती है।

उन्होंने वैधानिक व्याख्या पर बेनिओन के निम्नलिखित उद्धरण पर भरोसा किया: एक कोड (छठा संस्करण, पृष्ठ 257 पर):

20 (1980) 1 एससीसी 499।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" जहाँ आदेश द्वारा किसी अधिनियम को लागू करने की शक्ति दी जाती है, वहाँ विभिन्न प्रावधानों को सक्षम करके लचीलापन प्रदान करना सामान्य बात है।

अलग-अलग समय पर लागू किया जाना। इसके अलावा कोई भी एक प्रावधान अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग समय पर लागू किया जा सकता है। [.....]

फायदे। प्रारंभ की यह विधि अत्यधिक लचीलेपन के सभी लाभ देती है। एक नया अधिनियम लागू होने से पहले, इसके तहत बनाए जाने वाले किसी भी आवश्यक विनियम या अन्य उपकरणों का मसौदा तैयार किया जा सकता है। [.....] "

36. विद्वान महान्यायवादी ने इस न्यायालय के दो संविधान पीठ के फैसलों पर भरोसा किया, जो प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्ति पर प्रकाश डालते हैं, जो चरणों में कानून लाने वाले प्रावधानों की अधिसूचना की अनुमति देते हैं। उद्धृत निर्णय बसंत कुमार सरकार बनाम थे। ईगल रोलिंग मिल्स Ltd.[21] 21 और विश्वंभर सिंह बनाम। उड़ीसा राज्य 2 2. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर, जब नया कानून पेश किया जाता है, तो विषय वस्तु पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और यह सभी के लिए फायदेमंद होगा कि चरण-दर-चरण या क्षेत्र-दर-क्षेत्र कार्यान्वयन को अपनाया जाए। इसके अलावा कार्यकारी सरकार द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विवेकाधिकार निरंकुश नहीं है।

37. महान्यायवादी ने आग्रह किया कि उपरोक्त निर्णयों से जो पता चलता है वह यह है कि आई. बी. सी. की धारा 1 (3) की व्याख्या केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए लचीलापन देने के लिए की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार वास्तव में संहिता के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है और अदालत के ध्यान में लाया है कि प्रावधान 10 अलग-अलग तिथियों पर अधिसूचित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि संहिता ने देनदार कंपनियों पर लागू मौजूदा कानूनों में एक आमूलचूल बदलाव लाया है जिसमें संहिता में निर्धारित सीमा से अधिक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा एकल चूक एक दिवालिया समाधान प्रक्रिया को ट्रिगर करती है जो एक लेनदार को पुनर्भुगतान की मांग करने में सक्षम बनाती है। संहिता द्वारा कंपनी के मूल्य को अधिकतम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अर्थव्यवस्था के हितों में चल रही चिंता के रूप में जारी रहे, निगमित देनदार के समाधान के प्रयास पर बहुत जोर दिया गया है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह विवादित अधिसूचना 1 दिसंबर 2019 को उस तारीख के रूप में जारी की गई थी जिस दिन आई. बी. सी. के कुछ प्रावधान लागू होने थे, केवल तब तक जब तक वे व्यक्तिगत गारंटरों से कॉर्पोरेट से संबंधित हों।

21 (1964) 6 एससीआर 913।

22 1954 एससीआर 842।

कर्जदार। यह निवेदन कि विवादित अधिसूचना एक वर्गीकरण बनाती है, खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह 1 दिसंबर 2019 से केवल संहिता के भाग III और संहिता की धारा 2 (ई) में धाराओं को लागू करता है। उस तारीख से, व्यक्तिगत के खिलाफ कार्यवाही दायर की जा सकती है।

संहिता के तहत निगमित देनदारों को गारंटर। एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी, जिसमें निगमित देनदारों के खिलाफ समाधान की कार्यवाही भी शामिल होगी।

38. महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि संशोधन अधिनियम

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और व्यक्तिगत दिवाला पर कार्य समूह की रिपोर्ट के आलोक में, संहिता के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए रणनीति और दृष्टिकोण के संबंध में एक वर्गीकरण लाया गया निगमित देनदारियों और व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए गारंटरों की दिवालियापन से निपटें। 2017 की इस रिपोर्ट में, कार्य समूह ने मान्यता दी

गतिशीलता और कॉर्पोरेट देनदार और गारंटर के बीच परस्पर संबंध, जिसने अपनी व्यक्तिगत गारंटी को बढ़ाया है।

39. महान्यायवादी ने भी रिपोर्ट पर भरोसा किया

दिवालियापन कानून सुधार समिति ("बी. एल. आर. सी".) को दिवालियापन में दिवालियापन के लिए एक व्यापक ढांचा पेश करने का काम सौंपा गया है। कि

समिति ने माना कि व्यक्तिगत गारंटर संस्थाओं की एक श्रेणी थी जिनके लिए व्यक्तिगत दिवालिया कार्यवाही लागू होती थी, और उनके और कॉर्पोरेट देनदारों के बीच के संबंध को स्वीकार किया और पाया कि एक सामान्य संहिता के तहत, समकालिक समाधान हो सकता है। इस संबंध में, पैरा 3. 3 और नवंबर 2015 की समिति की रिपोर्ट के 6.1 पर भरोसा किया गया था। 23 उन्होंने बताया कि समकालिक संकल्प

23 उक्त उद्धरण इस प्रकार हैं: " 3.4. 3 प्रस्तावित संहिता की रूपरेखा: एक एकीकृत संहिता- समिति सिफारिश करती है कि सभी कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए दिवालियापन को हल करने के लिए एक ही संहिता हो।

कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने सिफारिश की है कि पंजीकृत संस्थाओं की दिवालियापन से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को हटा दिया जाए और इस संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। भारत में दिवाला और दिवालियापन ढांचे में सुधार के लिए इसके दो अलग-अलग फायदे हैं। पहला यह है कि एक संहिता के सभी प्रावधान दिवालियापन या दिवालियापन का कोई सवाल उठने पर उच्च कानूनी स्पष्टता की अनुमति देंगे। दूसरा यह है कि व्यक्ति और उद्यम के लिए

एक सामान्य दिवालियापन और दिवालियापन ढांचा दोनों के बीच बातचीत होने पर अधिक सुसंगत नीतियों को सक्षम करेगा। उदाहरण के लिए, यह आम बात है कि भारतीय बैंक फर्म के प्रवर्तक से व्यक्तिगत गारंटी लेता है जब वे फर्म के साथ ऋण लेते हैं। वर्तमान में, प्रावधानों का एक अलग समूह है जो फर्म को ऋण पर और प्रवर्तक को व्यक्तिगत गारंटी पर वसूली का मार्गदर्शन करता है। एक सामान्य संहिता के तहत, संकल्प समकालिक, कम खर्चीला हो सकता है और अधिक कुशल वसूली में मदद कर सकता है। ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बी. एल. आर. सी. द्वारा परिकल्पित आई. बी. सी. में धारा 5 (22) और धारा 60 (जो संहिता के भाग 2 में आती है), और धारा 17 (जो संहिता के भाग 3 में आती है) में पाया गया है और प्रस्तुत किया गया है कि-सबसे पहले, 'व्यक्तिगत गारंटर' शब्द को संहिता के भाग 2 में परिभाषित किया गया है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन का प्रावधान करता है, आई. बी. सी. की धारा 5 (22) "व्यक्तिगत गारंटर" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "एक व्यक्ति जो एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में मुचलका है"। दूसरा, धारा 60 (1) के कारण, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, दिवाला समाधान और निगमित व्यक्तियों (सहित) के लिए परिसमापन के संबंध में। निगमित देनदार और उनके व्यक्तिगत गारंटर), एन. सी. एल. टी. होंगे। धारा 60 (2) में कहा गया है कि जहां किसी निगमित ऋणदाता की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही लंबित है।

एन. सी. एल. टी., ऐसे निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के दिवाला समाधान या दिवालियापन से संबंधित एक आवेदन एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर किया जाएगा। धारा 60 (4) एन. सी. एल. टी. को धारा 60 (2) के उद्देश्य के लिए संहिता के भाग III के तहत विचार किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) की सभी शक्तियों के साथ निहित करती है। तीसरा, धारा 17 के तहत डी. आर. टी. सभी के लिए दिवाला समाधान का न्यायनिर्णायक प्राधिकरण है। व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों की अन्य श्रेणियाँ। धारा 17 "स्वयं धारा 60 के अधीन" है। यह तर्क दिया गया था कि संहिता के तहत एक मंच के माध्यम से निगमित देनदार, उसके निगमित गारंटर और व्यक्तिगत गारंटर की दिवालिया प्रक्रियाओं का सामान्य निरीक्षण, (जो धारा 238 के कारण अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करता है), 2018 के संशोधन और विवादित अधिसूचना का उद्देश्य था। विद्वान महान्यायवादी ने धारा 30 की ओर भी इशारा किया, जो यह अधिनियमित करती है कि एक न्यायिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना सभी हितधारकों को बाध्य करती है। हालाँकि, उसी समय, यदि कोई समाधान योजना लेनदारों को व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देती है, तो ऐसे व्यक्तिगत गारंटर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लेनदार को दिए गए ऋणों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे, जो निश्चित रूप से समाधान योजना के तहत चुकाए गए ऋण की सीमा तक सीमित होगा। महान्यायवादी ने एंबेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट (पी) लिमिटेड बनाम पर भी भरोसा किया।

" 6.1 संहिता की प्रयोज्यता

समिति निम्नलिखित श्रेणियों की संस्थाओं पर विचार करती है जिनके लिए व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन के प्रावधान लागू होंगे:

• एकल स्वामित्व जहाँ स्वामित्व का कानूनी व्यक्तित्व उस व्यक्ति से अलग नहीं है जो इसका मालिक है।

● व्यक्तिगत गारंटर • उपभोक्ता वित्त उधारकर्ता। '[2021] 3 एस. सी. आर.

कर्नाटक राज्य 24 जहाँ इस न्यायालय ने संहिता की धारा 5 (22), 60 और 179 के बीच परस्पर क्रिया की जांच की थी और उस पर विचार किया था।

40. भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अटॉर्नी जनरल की दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने भी जोर देकर कहा कि अलग

प्रावधान अलग-अलग तिथियों पर लागू किए गए थे। वह ऊँचा कि संहिता की धारा 1 (3) केंद्र सरकार को संहिता को विषयवार और (आवश्यक रूप से सन्निहित तरीके से नहीं)-विशेष धाराओं, प्रावधानों या भागों में लागू करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। उन्होंने आग्रह किया कि कानून की याचिकाकर्ता की व्याख्या अनुचित रूप से संकीर्ण है और इसके परिणामस्वरूप संहिता बाधित होगी। यह तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 2 एक परिभाषा खंड नहीं है-बल्कि संहिता की चरणबद्ध और सीमित व्याख्या के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए एक लीवर के रूप में कार्य करती है। इसलिए उन्होंने रेखांकित किया कि धारा 2 संसदीय का प्रतिनिधित्व करती है।

41. सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि संहिता का भाग-II सभी श्रेणियों की निगमित संस्थाओं पर लागू होता है जो देनदार हैं। धारा के आधार पर 3 (8) , निगमित देनदार एक निगमित या न्यायिक इकाई है जो किसी भी व्यक्ति का ऋण लेती है। इसी तरह, धारा के तहत कॉर्पोरेट गारंटर

3 (7) एक निगमित व्यक्ति है जिसने एक निगमित देनदार को गारंटी दी है। विवादित अधिसूचना से पहले, भाग-II की कार्यवाही निगमित देनदारों और केवल एक अन्य वर्ग, यानी निगमित गारंटरों तक ही सीमित थी। व्यक्तिगत गारंटर और कॉर्पोरेट गारंटर एक ही वर्ग का हिस्सा थे क्योंकि वे गारंटर थे क्योंकि उन्होंने अपने ऋणों को सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदारों को गारंटी दी थी। फिर भी, व्यक्तिगत गारंटरों को कार्यात्मक और परिचालन उद्देश्यों के लिए भाग-III में शामिल नहीं किया गया था। महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि भाग-II

निगमित निकायों के लिए कार्यात्मक और परिचालन रूप से डिज़ाइन किए गए दिवाला समाधान के संबंध में शामिल तंत्र को रेखांकित करता है। यह अपने व्यापक समाधान में एक पेशेवर, ऋणदाताओं की समिति को तीसरे स्थान पर ले जाता है।

24 (2020) 13 एससीसी 308।

पक्षकार ऋणी को संभालते हैं और दिवाला समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। यह वैधानिक तंत्र व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सका क्योंकि व्यक्तियों के "अधिग्रहण" का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति, जो निगमित देनदारियों को गारंटी देते हैं और जिनकी देनदारी सह-समाप्ति है

इसलिए ऐसे निगमित देनदार संहिता के क्षेत्र से बाहर थे। इसके परिणामस्वरूप एक विसंगति पैदा हुई जैसे कि कॉर्पोरेट के लिए गारंटरों का एक समूह।

42. अलग-अलग तिथियों पर संहिता के कुछ हिस्सों को अधिसूचित करने के संबंध में लचीलेपन के संबंध में अटॉर्नी जनरल की प्रस्तुति को दोहराने के अलावा, विषय वस्तु और उसके द्वारा शासित मामलों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने जे. मित्रा एंड कंपनी प्राइवेट के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया। लिमिटेड वी. सहायक नियंत्रक पेटेंट 25। उन्होंने व्यक्तिगत दिवाला कार्य समूह की रिपोर्ट (कार्यान्वयन के लिए रणनीति और दृष्टिकोण के संबंध में) पर भरोसा किया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान) कॉर्पोरेट ऋणदाताओं और व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए गारंटरों की दिवालियापन से निपटने के लिए, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि कॉर्पोरेट ऋणदाताओं और लेनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों की दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित संहिता के प्रावधानों की अधिसूचना के अभाव में प्रभावी होने में असमर्थ हैं।

संसद या कोई अन्य कानून एक ही समय में लागू किया जाना चाहिए। विधायिका अपने विवेक से कार्यपालिका को अलग-अलग तिथियों पर, या अलग-अलग विषय मामलों के संबंध में, या अलग-अलग क्षेत्रों में एक क़ानून के विभिन्न हिस्सों को लागू करने के विवेक के साथ पहन सकती है। रिलायंस को ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास संस्थान बनाम पर रखा गया था। बिहार राज्य और अन्य। आदि 2 6 और जावेद और ओआरएस बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 2 7. यह प्रस्तुत किया गया था कि इसलिए केंद्र सरकार ने प्रवर्तन को सीमित करने के अपने अधिकारों के भीतर काम किया 25 (2008) 10 एससीसी 368।

26 (1988) 2 एससीसी 433।

27 (2003) 8 एससीसी 369।

संहिता की पहचान और संरचना में परिवर्तन किए बिना व्यक्तियों के एक वर्ग, अर्थात व्यक्तिगत गारंटरों के लिए संहिता के प्रावधान। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अनुमेय है क्योंकि यह व्यापक शक्ति के भीतर है

कानून का प्रवर्तन, जिसमें एक निश्चित श्रेणी के संबंध में कानून को लागू करने का विवेकाधिकार शामिल है, बशर्ते कि प्रवर्तन का ऐसा कार्य संहिता के चरित्र को नहीं बदलेगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में विवादित अधिसूचना के माध्यम से भागों का प्रवर्तन किसी भी तरह से संहिता की पहचान या चरित्र को नहीं बदलता है।

उधारकर्ता और सभी प्रतिभू एक साथ; इस संबंध में, उन्होंने बैंक ऑफ बिहार लिमिटेड v. का हवाला दिया। डॉ. दामोदर प्रसाद और अन्र 29। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी अदालत या सह-प्रतिभूति इस तरह के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। इस प्रस्ताव के लिए, भारतीय स्टेट बैंक बनाम पर निर्भरता रखी गई थी। सूचकांक पोर्ट 3 0 पंजीकृत और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक v. विश्वनाथ झुनझुनवाला 3 1. वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक जमानतदार लेनदार के ऐसे अधिकार को बदल या स्थगित नहीं कर सकता है। इसलिए, जब तक ऋण का पूरी तरह से लेनदार को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक गारंटर लेनदार के पक्ष में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अपने संयुक्त और कई दायित्वों से मुक्त नहीं होता है।

44. सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 से 136 के संदर्भ में न तो गारंटर के दायित्वों को मुक्त किया जाता है और न ही निर्वहन किया जाता है, जो अनुबंध को जारी करने/निर्वहन/संरचना या भिन्नता के कारण होता है जो एक प्रमुख उधारकर्ता कर सकता है।

28 गोपीलाल जे. निचानी बनाम। ट्रैक इंड्स। एंड कंपोनेंट्स लिमिटेड, ए. आई. आर. 1978 मैड। 134 . 29 ए. आई. आर 1969 (1) एस. सी. आर. 620।

30 ए. आई. आर 1992 एस. सी. 1740 31 (2009) 9 एससीसी 478।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उदाहरण के लिए संहिता के तहत कानून के संचालन के माध्यम से सुरक्षित।

सॉलिसिटर जनरल ने जोर देकर कहा कि दिवालियापन या परिसमापन की स्थिति में भी गारंटर के खिलाफ लेनदार के अधिकार जारी रहते हैं और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बॉम्बे बनाम पर भरोसा किया। आधिकारिक परिसमापक,

उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम और अन्र। 32 , जहाँ इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों में अनुबंध अधिनियम की धारा 128 और 134 की परस्पर क्रिया पर विचार किया। उस मामले में, एक कंपनी जिसके अग्रिम एक द्वारा सुरक्षित किए गए थे

गारंटी परिसमापन में चली गई। अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि मुख्य देनदार के परिसमापन में जाने का गारंटर के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि प्रमुख उधारकर्ता का सुरक्षित निर्वहन द्वारा किया गया था " कानून का संचालन "और प्रकृति में अनैच्छिक। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य 3. इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि:

" हमारी राय में, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का सिद्धांत वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होता है। प्रत्यर्थियों से धन की वसूली करने का अपीलार्थी का अधिकार सं। 1,2 और 3 जो गारंटर बने रहते हैं, वे गारंटी के विलेखों की शर्तों से उत्पन्न होते हैं जो किसी भी तरह से केवल इसलिए नहीं हटाए जाते हैं या शून्य पर नहीं लाए जाते हैं क्योंकि अपीलार्थी मूलधन-उधारकर्ता से धन की वसूली करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यहाँ यह जोड़ा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के परिणामस्वरूप भी मूलधन-उधारकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होता है। यह केवल पुनर्प्राप्ति का तरीका है जिसे में संदर्भित किया गया है

एक्ट ने कहा।

45. इसी तरह, गौरी शंकर जैन बनाम मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय। पंजाब नेशनल बैंक और Anr.³4 34 पर भरोसा किया गया था।

पर। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध अधिनियम की धारा 133 से 139,141 और 145 के तहत मुचलके के दायित्वों में से कोई भी धारा 7 के आवेदन को स्वीकार करने के कारण पूरा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, एक निर्वहन खाते में है

प्रकृति में एक क़ानून और अनैच्छिक। यह भी तर्क दिया गया कि इसी तरह, संहिता की धारा 31 के संदर्भ में, द्वारा अनुमोदित एक समाधान योजना

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सहित सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी है

गारंटर, और इसलिए, समाधान योजना के संदर्भ में प्रमुख उधारकर्ता के साथ अनुबंध का जारी/निर्वहन/संरचना या विचलन, "वैधानिक रूप से" माना जाता है कि विचाराधीन गारंटरों द्वारा सहमति दी गई है। इसलिए, एक समाधान योजना के अनुमोदन के माध्यम से, कोई भी रिलीज/निर्वहन 32

1982 (3) एससीसी 358। 33 (2002) 5 एससीसी 80। 34 2019 एस. सी. ऑनलाइन कैल 7288 पैरा 34 और 35 पर।

प्रमुख उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित या प्रमुख उधारकर्ता के साथ संयोजन में प्रवेश करना (अनुबंध अधिनियम की धारा 135 के संदर्भ में)

गारंटर को किसी भी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता है। भारतीय स्टेट बैंक बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। वी. रामकृष्णन और Ors.³5 पर भी भरोसा किया गया था, जहां अदालत ने माना कि एक गारंटर समाधान योजना की मंजूरी के कारण अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है, और ऐसी योजना की शर्तें गारंटरों के ऋण को जारी रखने के लिए प्रदान कर सकती हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक गारंटर के खिलाफ एक वित्तीय लेनदार के दावे को जारी रखने से दावे की दोगुनी वसूली नहीं होगी क्योंकि वित्तीय लेनदार केवल शेष ऋण की वसूली करने में सक्षम होगा जो बकाया है और प्रमुख उधारकर्ता से वसूल नहीं किया गया है। दोहरी वसूली के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं जैसा कि अनुबंध कानून के तय किए गए सिद्धांत के तहत प्रदान किया गया है कि

सह-बाध्यताओं के खिलाफ एक साथ उपचार लेनदार को उसके कुल ऋण से अधिक की वसूली करने की अनुमति नहीं देता है, और (बी) संहिता के प्रावधान स्वयं। सॉलिसिटर जनरल ने मान्यता प्राप्त प्रथा पर भरोसा किया, "दोहरी गिरावट" के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है या एक लेनदार द्वारा दो संस्थाओं से एक ही ऋण के लिए वसूली की दोहरी प्रकृति की धारणा-चाहे वह प्रमुख उधारकर्ता और गारंटर हो या सह-गारंटर या सह-देनदार। जब एक प्राथमिक बाध्यकारी और एक गारंटर एकल दावे के कारण उत्तरदायी होता है, तो लेनदार प्रत्येक देनदार के खिलाफ बकाया पूरी राशि के लिए तब तक दावा कर सकता है जब तक कि लेनदार को पूरा भुगतान नहीं किया जाता है (यानी यह दोगुना हो सकता है)। इसका मतलब है कि यदि ऋण का एक हिस्सा संस्थाओं में से एक, या तो प्रमुख उधारकर्ता या गारंटर से वसूल किया जाता है, तो दूसरा दावे की असंतुष्ट राशि के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें प्रमुख उधारकर्ता संयुक्त रूप से और कई जमानत के साथ होगा। यह सिद्धांत "दोहरा सबूत" को प्रतिबंधित करने वाले सिद्धांत का विरोध करता है जिसमें एक ही ऋण को एक ही संपत्ति के खिलाफ दो बार आगे बढ़ाया जाता है, जिससे भुगतान दोगुना हो जाता है। हाल के फैसले पी. ए. एफ. सी. ओ. 2916 आई. एन. सी. में एक लेनदार के दोहरे डुबकी के इस अधिकार की बात की गई थी। सी/ओ पेगासस एविएशन फाइनेंस

कंपनी बनाम किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड ", जहाँ डिक्री धारकों ने दोनों प्रिंसिपल के खिलाफ एक साथ निष्पादन कार्यवाही शुरू की।

एक ही डिक्री के आधार पर देनदार और गारंटर, और निष्पादन न्यायालय ने स्वतः यह ठहराने के लिए रखरखाव का मुद्दा उठाया कि दोनों निष्पादन याचिकाएं एक साथ बनाए रखने योग्य नहीं हैं। कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने असहमति जताई और कहा कि डिक्री धारक

प्रत्येक निष्पादन याचिका में अपने दावों को संशोधित करने के लिए निर्देश नहीं दिया जा सकता है, केवल आधी डिक्रीटल राशि तक। रिलायंस को भी रखा गया था

35 2018 (17) एससीसी 394।

36 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 5991।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इन री काप्थिंग सिंगर एंड फ्रीडलैंडर लिमिटेड (प्रशासन में) 3 7 में यू. के. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

46. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं का सार '

धारा 1 (3) को सशर्त विधान के रूप में वर्णित करके प्रस्तुत किया गया। वे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 1 (3) के दो अलग-अलग आयाम हैं। संसद ने सबसे पहले केंद्र सरकार को न केवल उस तारीख को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की है जिस पर संहिता लागू होगी, बल्कि यह भी अधिकार देता है कि - संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित करें। यह इरादा था कि संहिता के सभी प्रावधानों को एक बार में लागू नहीं किया जा सकता है। प्रभाव की चौड़ाई को देखते हुए और उद्देश्यों और कारणों और प्रस्तावना के कथन में निर्धारित उद्देश्यों पर नज़र रखते हुए, एक चौंका देने वाले प्रवर्तन का अनुमान लगाया गया था।

47. श्री द्विवेदी ने कहा कि धारा 1 (3) को सशर्त या प्रत्यायोजित विधान के रूप में चिह्नित करने पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। यहां तक कि सशर्त कानून में विधायी शक्ति का एक प्रत्यायोजन शामिल है

48. यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय द्वारा विविध प्रकृति के प्रावधानों को सशर्त कानून के रूप में चिह्नित किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उन मामलों पर भरोसा किया गया जो विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर विधायी प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने से संबंधित थे। दिल्ली के कानूनों में, केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया था 37 2012 (1) सभी ई. आर. 883 पैरा 11,12,53-54। 38 (1976) 2 एससीसी 953, पैरा 49।

ऐसी स्थितियाँ या प्रतिबंध जिनके द्वारा वह शक्ति सीमित है। जतिंद्र नाथ में एक अस्थायी अधिनियम के जीवन का विस्तार शामिल था, दिल्ली कानून मामले में, विचाराधीन शक्ति भाग सी राज्यों के कानूनों का विस्तार भाग ए राज्यों तक करना था। बाद में, रघुबर स्वरूप बनाम। उत्तर प्रदेश 4 राज्य, राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1951 की धारा 2 द्वारा राज्य के अन्य क्षेत्रों में इस अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें कानून को लागू करने के लिए भौगोलिक क्षेत्र का चयन शामिल था। इसी तरह, तुलसीपुर चीनी कंपनी 1 1 में, बिजली उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र अधिनियम, 1914 को एक अधिसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करने के लिए प्रदान किया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि सरदार इंदर सिंह (उपरोक्त) में, कार्यपालिका को एक अस्थायी अधिनियम के जीवन को बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई थी, भले ही कोई बाहरी सीमा निर्धारित न हो। बैंगलोर में ऊनी, कपास और सिल्क मिल्स बनाम। बैंगलोर निगम 1 2, द पावर

"अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं की गई अन्य वस्तुओं" पर चुंगी लगाने के लिए नगर निगम को दिए गए निर्णय को यह कहते हुए बरकरार रखा गया कि यह सशर्त विधान की प्रकृति में अधिक था। रिलायंस आई. टी. सी. पर भी था। भद्राचलम बनाम। मंडल राजस्व अधिकारी 1 3, जहाँ करने की शक्ति

गैर-कृषि भूमि के किसी भी वर्ग को छूट दी गई और यह कहते हुए बरकरार रखा गया:

" किसी अधिनियम को लागू करने की शक्ति के साथ-साथ छूट देने की शक्ति दोनों को बिना किसी संदेह के सशर्त विधान की श्रेणी से संबंधित माना जाता है।

विद्वान वकील ने इसलिए आग्रह किया कि सशर्त और प्रत्यायोजित कानून के बीच सीमांकन की रेखा कभी-कभी धुंधली हो जाती है।

49. विधानों की वैधता का न्याय करते हुए, इस न्यायालय ने विधायिका द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की पर्याप्तता की जांच की है।

39 जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम। बिहार राज्य (1949-1950) 11 एफ. सी. आर. 595। 40 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 909 पी. 913 41 (1980) 2 एससीसी 295।

42 (1961) 3 एससीआर 698।

43 (1996) 6 एससीसी634।

सुसंगत कानून में दर्शाई गई नीति। इसके लिए, एडवर्ड मिल्स बनाम पर निर्भरता रखी गई थी। अजमेर 44 राज्य। ये सभी यह स्थापित करते हैं कि अधिनियम या अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्यपालिका को सशक्त बनाने के अलावा विभिन्न प्रावधानों को सशर्त विधान के रूप में चिह्नित किया गया है और उनकी वैधता और दायरा अधिनियम के पाठ, संदर्भ और उद्देश्य के आलोक में निर्धारित किया गया है।

50. विद्वान वकील ने कहा कि केंद्र को प्रदत्त शक्ति के दायरे को निर्धारित करने के लिए संहिता की धारा 1 (3) के एक योजनाबद्ध, संरचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाने की आवश्यकता है। संहिता की धारा 1 (3) द्वारा सरकार। याचिकाकर्ता शाब्दिक निर्माण के नियम को लागू करते हैं और संहिता के संदर्भ, योजना या उद्देश्य के संदर्भ के बिना धारा 1 (3) का अलग से अर्थ लगाना चाहते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 1 (3) का दायरा केवल शाब्दिक निर्माण के सिद्धांत को लागू करके निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रवर्तन प्रावधान सहित संहिता के सभी प्रावधानों का अर्थ पूरे अधिनियम के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए और दृष्टिकोण योजनाबद्ध, संरचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, धारा 1 (3) को अलग से नहीं लिया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। संहिता की योजना और अन्य संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना संहिता की धारा 1 (3) के तहत शक्ति के दायरे की व्याख्या नहीं की जा सकती है। वकील ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया। भारत संघ 1 5.

" विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों या अभिव्यक्ति के सही अर्थ पर विचार करते समय न्यायालय को क़ानून के उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे को ध्यान में रखना चाहिए जिसे पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। न्यायालय को न केवल अर्थ लगाए जाने वाले खंडों पर बल्कि पूरे क़ानून पर अपना ध्यान केंद्रित करके विधायिका के इरादे का पता लगाना चाहिए; उसे खंड की तुलना कानून के अन्य हिस्सों के साथ करनी चाहिए, और उस सेटिंग में जिसमें खंड की व्याख्या की जानी है।

51. यह आग्रह किया जाता है कि विधायी इरादे को शब्दों की केवल यांत्रिक व्याख्या या केवल शाब्दिक पठन द्वारा एकत्र नहीं किया जा सकता है। शब्द हैं।

अधिनियम की योजना और उस उद्देश्य या उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसके साथ शक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि अय्यर, जे. ने खनन परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाम. रामजी 46 "से

44 (1955) I एससीआर 735। 45 (1964) 1 एस. सी. आर. 371, पैरा 69 पर। 46 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 965 पी. 968 .

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शाब्दिक अर्थ में त्वचा को देखना और आत्मा को याद करना है। निर्माण की न्यायिक कुंजी देह और प्रावधान की देह की समग्र धारणा है। निदेशालय में इसका पालन किया गया है

प्रवर्तन वी। दीपक महाजन 1 7. हाल ही में भी इस अदालत ने कदम उठाया है विधायी आशय का पता लगाने के लिए सही दृष्टिकोण के रूप में क़ानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को स्वीकार करना। यदि दिए गए शब्द उचित रूप से एक संरचना को सहन कर सकते हैं जो उद्देश्य या उद्देश्य को प्रभावित करता है तो

निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में, आर्सेलर मित्तल बनाम में निर्णय। सतीश कुमार गुप्ता 1 8 और स्विस रिबन (ऊपर) पर भरोसा किया गया था।

पर।

52. श्री द्विवेदी ने कहा कि विवादित अधिसूचना में ऐसा नहीं है

संहिता के किसी भी प्रावधान को संशोधित करें। संहिता के कुछ प्रावधानों को इसके सात खंडों द्वारा लागू करके "केवल जहां तक वे कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित हैं", अधिसूचना किसी भी विधायी प्रावधान को संशोधित नहीं करती है। यह केवल संहिता की योजना, संरचना और उद्देश्य द्वारा व्यक्त संसदीय इरादे को पूरा करता है। धारा 1 (3), धारा 2, धारा 3 (23), धारा 5 (5) (ए) और (22), धारा 14 (3), धारा 31 (1) और विशेष रूप से धारा 60 और धारा 179 सूचक हैं।

चिंतित हैं। इस संकरण का उद्देश्य एन. सी. एल. टी. को निगमित देनदार के दिवाला समाधान और दिवालियापन प्रक्रिया से निपटने के लिए निगमित गारंटर और निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के साथ सशक्त बनाना है। संसद इस तथ्य से अवगत है कि निगमित देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर आम तौर पर निगमित देनदारियों के प्रवर्तक या करीबी रिश्तेदार होते हैं, और कई मामलों में, निगमित ऋण व्यक्तिगत गारंटरों द्वारा किए गए कार्यों और धन की हेराफेरी के कारण था। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदारियों के व्यक्तिगत गारंटरों के पास ऐसे देनदारों के साथ संविदात्मक रूप से सहमत ऋण संरेखण होता है। वे एक ही ऋण के लिए सह-विस्तार के साथ-साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार हैं। जैसे ही संसद ने एक विधायी संकरण बनाया, संहिता के भाग III को केंद्र सरकार द्वारा धारा 1 (3) के तहत धारा 2 के माध्यम से संसदीय वर्गीकरण के साथ लागू किया जाना था। अपने व्यक्तिगत गारंटर के साथ कॉर्पोरेट देनदार के दिवाला समाधान/दिवालियापन के लिए मंच का एकीकरण एक संसदीय व्यवस्था है और

47 (1994) 3 एससीसी 440। 48 (2019) 2 एस. सी. सी. 1, पैरा 27-29 पर।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

दृढ़ संकल्प। इसलिए, धारा 1 (3) केंद्र सरकार को विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित करने का अधिकार देती है। 53. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धारा 60 (1), (2), (3) और (4) पर प्रकाश डाला और आग्रह किया कि संसद ने भाग III के प्रावधानों को इसके साथ मिला दिया है।

भाग 2 क अन्तर्गत निगमित देनदारसभक विरुद्ध शुरू कयल गेल प्रक्रिया। भाग 2 की प्रक्रिया और भाग 3 के प्रावधानों को विधायी रूप से जोड़ा गया था।

निगमित ऋणदाताओं के साथ-साथ व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही के उद्देश्य से। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 179, भाग III में संबंधित प्रावधान, "धारा 60 के प्रावधानों के अधीन" वाक्यांश को लागू करने से शुरू होता है। धारा 60 (4) में व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही के संबंध में भाग III के प्रावधान शामिल हैं। वकील ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण "; बालेश्वर दयाल बनाम। बैंक ऑफ इंडिया और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम। वसंतराव "। यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्य व्यक्ति और साझेदारी फर्म इस संसदीय संकरण/संलयन में शामिल नहीं हैं। धारा 2 (ई) और 2 (जी) जब एक साथ पढ़े जाते हैं, तो यह इंगित करता है कि व्यक्तिगत गारंटर भी व्यक्ति हैं। 2018 का अधिनियम 8 है -

जिन श्रेणियों को धारा 2 (ई) में समझा गया था, जैसा कि संशोधन से पहले था, उन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया। धारा 179 यह भी इंगित करती है कि व्यक्तिगत गारंटर व्यक्ति हैं और भाग III उन पर लागू होता है। वास्तव में, यह भाग III के अध्याय III के प्रावधानों के संचालन से है कि व्यक्तिगत गारंटरों को अंतरिम अधिस्थगन [धारा 96] और अधिस्थगन [धारा 101] का लाभ मिलता है। व्यक्तिगत गारंटरों को धारा 14 के तहत मोहलत नहीं मिलती है। इस संबंध में, वी. रामकृष्णन (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है। यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिसूचना द्वारा प्राप्त संकरण प्रवर्तन में कोई विसंगति या समस्या पैदा नहीं करता है।

49 (1982) 1 एस. सी. सी. 125, पैरा 3,17,18। 50 (2016) 1 एस. सी. सी. 444. पैरा 6-8। 51 (2002) 7 एससीसी 657, पैरा 31।

जो स्पष्ट रूप से धारा 2 (ई) और अन्य प्रावधानों और भाग III के अध्याय III के प्रवर्तन की तारीख निर्धारित करता है। आक्षेपित अधिसूचना में कोई विविसेक्शन या विच्छेदन शामिल नहीं है।

55. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील

कुछ उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि संहिता के प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हैं

व्यक्तियों का एक अलग वर्ग (धारा 2 (ई) और धारा 60 के आधार पर); वर्गीकरण विवादित अधिसूचना के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, लेकिन संसद द्वारा 2018 के संशोधन अधिनियम द्वारा। इस बात पर जोर दिया गया है कि संशोधन ने यह सुनिश्चित किया है कि एक ही मंच (एन. सी. एल. टी.) कॉर्पोरेट देनदारों की दिवालिया प्रक्रियाओं से संबंधित है, और व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित समान मुद्दों से भी संबंधित है। क़ानून व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा भाग III आवेदन की अनुमति देता है। विवादित अधिसूचना ने जो कुछ भी किया वह संहिता के इन मौजूदा प्रावधानों को लागू करना था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बृज सुंदर कपूर बनाम का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का खंडन करने के लिए प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश 52 कि धारा 1 (3) के तहत शक्ति एक बार की शक्ति है। उन्होंने जनरल की धारा 14 पर भी भरोसा किया।

खंड अधिनियम, 1897, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अधिनियम या विनियमन द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का समय-समय पर प्रयोग किया जा सकता है। 53.

56. श्री विश्वनाथन ने रघुबीर सरूप बनाम का हवाला दिया। यूपी54 का राज्य

और आग्रह किया कि विधायिका एक कानून बनाने में अपने अधिकारों के भीतर कार्य करे और विभिन्न विचारों के आधार पर इसे अलग-अलग समय पर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लागू करने के लिए कार्यपालिका पर छोड़ दे। उन्होंने खरग्राम पंचायत समिति बनाम पर भी भरोसा किया। पश्चिम बंगाल राज्य ने 55 और तर्क दिया कि विभिन्न प्रावधानों, या एक क़ानून के विभिन्न हिस्सों को अलग-अलग तारीखों पर लागू करने की शक्ति, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, धारा 1 (3) के तहत संसद द्वारा प्रदत्त आकस्मिक शक्ति का हिस्सा है।

कोड से।

57. श्री रितिन राय, कुछ लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि कॉर्पोरेट के बीच एक अंतर संबंध है

52 1989 (1) एससीसी 561।

53 " 14. समय-समय पर प्रयोग करने योग्य होने के लिए प्रदत्त शक्तियाँ (1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाए गए किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन द्वारा कोई शक्ति प्रदान की जाती है, तब जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है कि समय-समय पर अवसर की आवश्यकता के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) यह धारा जनवरी, 1887 के चौदहवें दिन या उसके बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों पर भी लागू होती है।

54 ए. आई. आर 1959 एस. सी. 909।

55 1987 (3) एससीसी 82।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

देनदार और व्यक्तिगत गारंटर, जिन्हें 2018 के संशोधन द्वारा मान्यता दी गई थी, इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण से प्रमाणित हैं। वह.

कहा कि संहिता की धारा 1 (3) के तहत शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग किया गया है। श्री राय ने प्रस्तुत किया कि विवादित अधिसूचना की तरह, 01-05-2018 पर एक और अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें एक अलग वर्ग, यानी वित्तीय सेवा प्रदाता 57 के संबंध में संहिता के प्रावधान लागू किए गए थे। यह धारा 227 से 229 को लागू करके हासिल किया गया था।

कोड। यह प्रस्तुत किया गया था कि कार्यपालिका को प्रयोग करने और चरणों में एक कानून को लागू करने के लिए प्रदत्त विवेकाधिकार, विधायी अभ्यास के सामान्य पैटर्न का हिस्सा है और यह मानता है कि एक नए कानून के प्रावधानों को लागू करना हमेशा बुद्धिमानी या संभव नहीं है, सभी स्थानों पर, उन सभी के संबंध में जिन्हें वह शामिल करना चाहता है।

IV संहिता के प्रावधान और विवादित अधिसूचना

ऋण (बैंकों या वित्तीय देय ऋणों की वसूली के माध्यम से) संस्थान अधिनियम, 1993, इसके बाद "आर. डी. बी. एफ. आई. अधिनियम") प्रतिभूतिकरण (प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 द्वारा इसके बाद "एस. ए. आर. एफ. ई. एस. आई".) निगम के कुछ पहलुओं से संबंधित है।

दिवालियापन। इनके वांछित परिणाम नहीं निकले। संहिता का उद्देश्य ए) उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना; बी) सभी हितधारकों के संतुलित हितों को सुनिश्चित करना और सी) कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी के मामले में दिवालिया होने के समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देना है।

कम्पनियाँ और व्यक्ति।

संहिता के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

" 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ -

(1) इस संहिता को दिवाला और दिवालियापन कहा जा सकता है।

कोड, 2016।

(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है:

बशर्ते कि इस संहिता का भाग III जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित नहीं होगा। 58

57 संहिता की धारा 2 (17) के तहत अलग से परिभाषित किया गया है। 58 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा एस. ओ. 1123 (ई), दिनांक 18 मार्च 2020 (डब्ल्यू. ई. एफ. 18-3-2020) के माध्यम से प्रावधान को हटा दिया गया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) यह केंद्रीय के रूप में ऐसी तारीख पर लागू होगा

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है:

बशर्ते कि इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं और इस संहिता के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी भी प्रावधान में किसी भी संदर्भ का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा -

उस प्रावधान के प्रारंभ का संदर्भ। 2. आवेदन। - इस संहिता के प्रावधान इन पर लागू होंगे -

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कोई भी कंपनी।

(18 2013 का) या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत;

(ख) तत्काल प्रभाव से किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कोई अन्य कंपनी, सिवाय इसके कि जहां तक उक्त प्रावधान ऐसे विशेष अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं;

(ग) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत निगमित कोई भी सीमित देयता भागीदारी;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित ऐसा अन्य निकाय, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ई) कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर; (च) साझेदारी फर्म और स्वामित्व फर्म; और

आवश्यकता है, (7) " निगमित व्यक्ति "से खंड में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के तहत, एक सीमित देयता भागीदारी, जैसा कि उप-अधिनियम के खंड (एन) में परिभाषित है।

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की धारा (1), या उस समय लागू किसी कानून के तहत सीमित देयता के साथ निगमित कोई अन्य व्यक्ति, लेकिन इसमें कोई वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

(8) " निगमित देनदार "का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति पर ऋण है;

*** ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(10) " "लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक शामिल हैं। (11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं;

***

(23) " व्यक्ति में शामिल हैं ((क) एक व्यक्ति;

(ई) एक साझेदारी; (च) एक सीमित देयता साझेदारी; तथा

(छ) किसी कानून के तहत स्थापित कोई अन्य इकाई, और इसमें भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति शामिल है:

***

चूक की राशि एक करोड़ रुपये है। 59 बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा,

उच्च मूल्य की चूक की न्यूनतम राशि निर्दिष्ट करें जो एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो - (1) " न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "से, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अभिप्रेत है -

कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408;

***

एफ. 01.12.2016 अधिसूचना सं। एस. ओ. 3594 (ई) दिनांक 30.11.2016।

21] 3 एस सी आर।

(5) " निगमित आवेदक "का अर्थ है

(क) निगमित देनदार; या

(ख) निगमित देनदार का एक सदस्य या भागीदार जो निगमित के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत है।

संवैधानिक व्यवस्था के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित देनदार का दस्तावेज़; या

(ग) एक व्यक्ति जो संचालन के प्रबंधन का प्रभारी है।

और निगमित देनदार के संसाधन; या

(घ) एक व्यक्ति जिसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण होता है

निगमित देनदार के वित्तीय मामले;

(5 क) "निगमित गारंटर" से एक निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में जमानती है;

***

(22) " व्यक्तिगत गारंटर "का अर्थ है एक व्यक्ति जो

एक निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में जमानत "

59. धारा 13 (अधिस्थगन और जनता की घोषणा)

घोषणा) में यह प्रावधान है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (ए) धारा 14 के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, (बी) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा करेगा और धारा 15 के तहत दावे प्रस्तुत करने का आह्वान करेगा, और (सी) धारा 16 में निर्धारित तरीके से एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त करेगा। अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति के तुरंत बाद एक सार्वजनिक घोषणा की जानी है। धारा 14 (अधिस्थगन) में प्रावधान है कि दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (ए) निर्णय, डिक्री, आदेश, आदि के निष्पादन सहित निगमित देनदार के खिलाफ मुकदमे या कार्यवाही की संस्था या निरंतरता को प्रतिबंधित करने के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा; (बी)

निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, अलग-थलग करना या निपटान करना; (ग) निगमित देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्वनिर्धारित करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई, जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत कोई कार्रवाई शामिल है और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन; और (घ) किसी भी मामले की वसूली

एक मालिक या पट्टेदार द्वारा संपत्ति जहां ऐसी संपत्ति पर निगमित देनदार का कब्जा है या उसके कब्जे में है। धारा 16 एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान करती है।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भारतीय दिवालियापन बोर्ड) दिवाला पेशेवर, सूचना उपयोगिता और न्यायिक तंत्र (एन. सी. एल. टी. और राष्ट्रीय कंपनी कानून) अपीलीय न्यायाधिकरण-एन. सी. एल. ए. टी)। इन संस्थानों और संरचनाओं का उद्देश्य निगमित शासन को बढ़ावा देना और एक समयबद्ध और सक्षम बनाना है।

दिवाला का औपचारिक समाधान। संहिता की प्रमुख विशेषताओं में दो-चरणीय प्रक्रिया शामिल है- कॉर्पोरेट देनदारों के लिए दिवाला समाधान जहां चूक की न्यूनतम राशि 1,00,00,000/- है। संहिता द्वारा दो प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया गया है: क) दिवाला समाधान प्रक्रिया (संहिता की धारा 6 से 32)-इसमें, लेनदार मूल्यांकन करने और अंततः यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या देनदार का व्यवसाय जारी रखा जा सकता है और यदि ऐसा है, तो इसके पुनरुद्धार के लिए क्या विकल्प हैं; और ख) परिसमापन [धारा 33-54 कोड]-यदि पुनरुद्धार विफल हो जाता है या एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है, तो लेनदार कंपनी को बंद करने का संकल्प ले सकते हैं। परिसमापन के बाद, देनदार की परिसंपत्तियों को वितरित किया जाना है। 61.धारा 6 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया वित्तीय लेनदार [संहिता की धारा 7] द्वारा शुरू की जा सकती है या चालू की जा सकती है।

एन. सी. एल. टी. में निगमित देनदार के खिलाफ लेनदार [संहिता की धारा 8 के तहत चूक में शामिल राशि बताते हुए निगमित देनदार को मांग नोटिस जारी करने के अधीन]। स्वैच्छिक दिवालिया कार्यवाही

चूककर्ता कंपनी, उसके कर्मचारियों या कर्मचारियों द्वारा भी शुरू किया जा सकता है।

शेयरधारक [संहिता की धारा 10]। एक बार समाधान प्रक्रिया शुरू होने के बाद, पूरी अवधि के लिए, एन. सी. एल. टी. द्वारा देनदार के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया जाता है। इस अवधि के दौरान कोई न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। प्रतिभूतियों का प्रवर्तन, परिसंपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण या देनदार के खिलाफ आवश्यक अनुबंधों की समाप्ति भी नहीं हो सकती है। अगला कदम धारा 16 के तहत एक अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति है।

कोड। समाधान पेशेवर को लेनदारों की समिति (या "सी. ओ. सी".-संहिता की धारा 21 के संदर्भ में) के व्यापक दिशानिर्देशों के तहत काम करना पड़ता है। सी. ओ. सी. में सभी संबंधित पक्षों और परिचालन लेनदारों को छोड़कर कॉर्पोरेट देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल हैं। इसके अलावा, संहिता की धारा 22 में प्रावधान है कि सी. ओ. सी. को समाधान पेशेवर को नियुक्त करना होगा। यह समाधान पेशेवर अंतरिम समाधान पेशेवर भी हो सकता है। मतदान हिस्सेदारी के 75 प्रतिशत का मत पुनरोद्धार या परिसमापन (धारा 30) का विकल्प चुनने के लिए समिति के निर्णयों को निर्धारित करेगा। सी. ओ. सी. का निर्णय न केवल देनदारों पर बल्कि अन्य सभी लेनदारों पर भी बाध्यकारी है। विभिन्न प्रकार की पुनरुद्धार योजनाओं में शामिल हैं -

नया वित्त, परिसंपत्तियों की बिक्री, बाल कटवाने (यानी [2021] 3 एस. सी. आर. के लेनदारों द्वारा स्वीकृति।

जो राशि उन्हें देय है उससे कम), प्रबंधन में परिवर्तन आदि।

समिति को लेनदार द्वारा भेजी गई समाधान योजना को मंजूरी देनी चाहिए। अनुमोदन के बाद ही समाधान पेशेवर योजना को अंतिम अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजता है। समाधान योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया जाना है। ऐसा करते समय, यह ऐसी आपत्तियों (यानी परिचालन लेनदारों, वित्तीय लेनदारों, आदि) को आवाज देने में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष द्वारा समाधान योजना पर आपत्तियों पर विचार कर सकता है।

(एनसीएलएटी)। डी. आर. टी. की अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डी. आर. ए. टी.) में है। यह अदालत एन. सी. एल. ए. टी. और डी. आर. ए. टी. दोनों की अपीलों की सुनवाई करती है। 63. संहिता के प्रावधानों को अलग-अलग तिथियों पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से लागू किया गया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में जारी की गई विवादित अधिसूचना इस प्रकार है:

" सूचना

नई दिल्ली। 15 नवंबर, 2019

एस. ओ. 4126 (ई)। - उप द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

दिवाला और दिवालियापन की धारा I की धारा (3)

कोड। 2016 (31 2016)। केंद्र सरकार एतद्द्वारा दिसंबर, 2019 के पहले दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस पर

उक्त संहिता के निम्नलिखित प्रावधान केवल जहां तक वे व्यक्तिगत गारंटरों से कॉर्पोरेट देनदारों से संबंधित हैं। करेंगे।

लागू होता है:

(1) धारा 2 का खंड (ई); (2) धारा 78 (नई प्रारंभ प्रक्रिया के संबंध को छोड़कर) और

धारा 79;

(3) धारा 94 से 187 (दोनों समावेशी); (4) धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (छ) से खंड (छ) तक; ललित कुमार जैन v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(5) धारा 239 की उप-धारा (2) के खंड (एम) से खंड (जेडसी) तक;

(6) खंड (जेडएन) से धारा की उप-धारा (2) के खंड (जेडएस) तक

240 ; और (7) धारा 249।

[एफ. संख्या 30/21/2018-दिवाला अनुभाग]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, जे. सिकरी "।

V विश्लेषण और निष्कर्ष

64. इन सभी कार्यवाही में हमले का मुख्य आधार है

कि कार्यकारी सरकार चुनिंदा रूप से नहीं ला सकती थी संहिता को लागू करना, और इसके कुछ प्रावधानों को एक उप-श्रेणी में लागू करना।

व्यक्तियों का, अर्थात, निगमित लेनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर। सभी याचिकाकर्ताओं ने एक साथ तर्क दिया कि उस लक्षय को प्राप्त करने के लिए विवादित अधिसूचना अधिकार से बाहर है। यह तर्क धारा 1 (3) की प्रकृति और विषय वस्तु पर आधारित है, जिसे याचिकाकर्ता सशर्त विधान बताते हैं। प्रत्यायोजित विधान के विपरीत, वे कहते हैं, सशर्त विधान एक सीमित शक्ति है जिसका प्रयोग विषय वस्तु या विषय मामलों के वर्ग के संबंध में एक बार किया जा सकता है। जब तक अधिनियम को लागू करने के लिए या विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जाती हैं, तब तक कार्यपालिका अपनी शक्तियों के भीतर कार्य करती है। हालांकि, जब यह चुनिंदा रूप से ऐसा करता है, और अधिनियम के कवरेज की विषय वस्तु को अलग करता है, तो यह अस्वीकार्य कानून में शामिल होता है। इस तरह की शक्ति की सीमाओं के संबंध में इस अदालत के कई निर्णयों पर भरोसा रखा गया है-विशेष रूप से बुराह में प्रिवी काउंसिल के निर्णय, नरोत्तमदास जेठाबाई में संघीय न्यायालय; दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 में जतिंद्रनाथ गुप्ता, हमरद दवाखाना, सबनायगम और वासु देव सिंह।

65. बुराह में, प्रश्न एक कानून के संदर्भ में उत्पन्न हुआ

भारतीय विधानमंडल गारो हिल्स जिले को दीवानी और आपराधिक न्यायालयों और उन पर लागू कानून के अधिकार क्षेत्र से हटा रहा है और उसी जिले के भीतर दीवानी और आपराधिक न्याय का प्रशासन ऐसे अधिकारियों को सौंप रहा है जिन्हें बंगाल का उपराज्यपाल इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है। धारा 9 द्वारा, उपराज्यपाल को समय-समय पर, कलकत्ता राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम में निहित सभी या किसी भी प्रावधान को जयंतिया, नागा और खासी पहाड़ियों तक विस्तारित करने और इसके आवेदन की तारीख भी तय करने का अधिकार दिया गया था। एक अधिसूचना द्वारा, उपराज्यपाल ने सभी प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का विस्तार किया

21] 3 एस सी आर।

जिसे बुराह ने चुनौती दी थी, जिसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनके तर्क को बरकरार रखा और कहा कि अधिनियम की धारा 9 भारतीय विधानमंडल की शक्तियों से परे थी क्योंकि यह शाही संसद का प्रतिनिधि था और इस तरह आगे के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं थी। प्रिवी काउंसिल ने उस फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाया कि:

" ऐसा विधान जो अपने स्वयं के प्रारंभ के लिए सीधे अवधि निर्धारित नहीं करता है, लेकिन इसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किया जाना छोड़ देता है।

प्राधिकरण, हो सकता है कि उतने ही कारणों से जिसे उन्होंने अपूर्ण कहा हो; क्योंकि जो स्वयं उस पूरे क्षेत्र को तुरंत निर्धारित नहीं करता है जिस पर इसे लागू किया जाना है, लेकिन इसे उसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा करने के लिए छोड़ देता है। यदि यह बाहरी प्राधिकरण की ओर से उस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कानून का एक अधिनियम है, जिसके भीतर वास्तव में एक कानून लागू किया जाना है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून का एक अधिनियम है।

मूल रूप से इसके लिए समय निर्धारित करके कानून लागू किया गया

प्रारंभ करें।

यह भी देखा गया कि -

" उनके अधिपति इस बात से सहमत हैं कि गवर्नर-जनरल इन काउंसिल, किसी भी प्रकार के अधिनियम द्वारा, भारत में एक नई विधायी शक्ति का निर्माण नहीं कर सकता है, और सामान्य विधायी प्राधिकरण के साथ हाथ मिला सकता है।

परिषद अधिनियम द्वारा निर्मित या अधिकृत नहीं। उनके प्रभुओं की राय में इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया है या नहीं किया गया है।

वर्तमान मामले में प्रयास किया गया।

66. अगला मामला जतिंद्र नाथ गुप्ता का था, जिसमें बिहार लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1948 की धारा 1 (3) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने प्रांतीय सरकार को इस अधिनियम के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अधिकार दिया था। संशोधन जैसा कि यह उचित समझ सकता है। संघीय न्यायालय ने माना कि संशोधन के साथ विस्तार की शक्ति विधायी शक्ति का एक वैध प्रत्यायोजन नहीं है

क्योंकि यह एक आवश्यक विधायी कार्य है जिसे सौंपा नहीं जा सकता है। अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि:

" परंतुक में संशोधन, यदि कोई हो, के साथ अधिनियम को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति है। यह एक शक्ति है न कि दो पृथक्कृत करने योग्य शक्तियाँ। यह तथ्य कि जब शक्ति का प्रयोग किया गया था तो अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया था, शक्ति की वास्तविक प्रकृति को निर्धारित करने में मदद नहीं कर सकता है।

ललित कुमार जैन बनाम का विस्तार करने की शक्ति। भारत और ओआरएस का संघ।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

में उल्लिखित अवधि से परे अधिनियम का संचालन

अधिनियम प्रथम दृष्टया एक विधायी शक्ति है। यह विधानमंडल को बताना है कि कोई विशेष कानून कितने समय तक लागू रहेगा। इसे किसी अन्य निकाय के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। बिना किसी सीमा के विधानमंडल के किसी अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति

संशोधन की शक्ति की सीमा पर, निस्संदेह एक विधायी शक्ति है। यह अधिनियम को लागू करने तक सीमित शक्ति नहीं है

केवल किसी भी प्रतिबंध, सीमा या परंतुक (जो एक अपवाद के रूप में उद्देश्य है) के अधीन। इसलिए मुझे लगता है कि

परंतुक में निहित शक्ति विधायी है।

67. दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए एक संदर्भ में, इस अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक बहुआयामी अदालत और न्यायिक राय की बहुलता देखी गई। इस न्यायालय की राय के लिए तीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बहुमत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि आवश्यक विधायी कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, और यह कि केंद्र द्वारा विस्तारित एक अधिनियम को निरस्त करने की शक्तिसरकार, एक भाग सी राज्य को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकी। बहुमत का निष्कर्ष था कि निरसन की शक्ति विधायी है। कुछ निर्णयों की टिप्पणियाँ बता रही हैं, और नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं। कनिया, सी. जे. ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

" 53. यह आम बात है कि संसद द्वारा अब तक ऐसे निकायों का निर्माण करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 246 दोनों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है।

केंद्र और राज्य लेकिन भाग 'सी' राज्य इसके संचालन से बाहर हैं। इसलिए भाग 'ग' राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी विषय पर, संसद एकमात्र और अनन्य विधायिका है जब तक कि वह अनुच्छेद 240 के संदर्भ में विधायिका या परिषद बनाने वाला अधिनियम पारित नहीं करती है। इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि विधान की शक्ति अपने साथ प्रत्यायोजन की शक्ति नहीं रखती है (जैसा कि महान्यायवादी द्वारा दावा किया गया है), सवाल यह है कि क्या भाग 'ग' राज्य (कानून) अधिनियम की धारा 2 वैध है या नहीं। उस धारा द्वारा संसद ने केंद्र सरकार को शक्ति दी है।

ऐसे राज्य (भाग 'ग' राज्य) के किसी भी हिस्से में विस्तार करने के लिए अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ जो वह उचित समझता है, कोई भी अधिनियम जो उस तारीख को भाग क राज्य में लागू है।

अधिसूचना से। हालांकि यह धारा दिल्ली कानून अधिनियम और अजमेर-मेरवाड़ा अधिनियम की तर्ज पर बनाई गई है, लेकिन इसके दायरे में सीमित है क्योंकि कार्यकारी सरकार को [2021] 3 एस. सी. आर. का अधिकार है।

केवल एक अधिनियम का विस्तार करें जो भाग ए राज्यों में से किसी में भी लागू हो। इन कारणों से मैंने प्रश्न 1 और 2 द्वारा कवर की गई दो धाराओं के कुछ हिस्सों पर विचार किया है, जो भाग 'सी' राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 की धारा 2 का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा पारित कानूनों का विस्तार करने का अधिकार देता है।

भाग ए राज्य का कोई भी विधानमंडल भी अधिकार से बाहर होगा। के लिए

जहां तक केंद्रीय विधानमंडल या संसद ने ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जो भाग ए राज्यों पर लागू होते हैं, केंद्र सरकार को, यदि आवश्यक हो, विस्तार देने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।

दिल्ली प्रांत के लिए उन अधिनियमों का संचालन, क्योंकि संसद उस प्रांत के लिए सक्षम विधायिका है। यद्यपि यह धारा केंद्र सरकार को भाग ए राज्य के किसी भी विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का दिल्ली प्रांत तक विस्तार करने की अनुमति देती है, यह धारा अधिकार से बाहर है।

महाजन, जे को यह कहना था:

" यह धारा किसी भी कानून की घोषणा नहीं करती है, लेकिन केंद्र सरकार को यह घोषित करने की शक्ति देती है कि कानून क्या होगा। ऐसी अधिसूचना की तारीख को किसी भी प्रांत में लागू किसी भी अधिनियम का चयन करने का विकल्प स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विधायिका ने किसी भी विषय पर बनाए जाने वाले कानून के संबंध में कोई सिद्धांत या नीतियां घोषित नहीं की हैं। यह बताया जा सकता है कि 1935 के अधिनियम के तहत विभिन्न प्रांतों को अपने विधायी क्षेत्र के भीतर विषयों के संबंध में अपनी नीतियों को निर्धारित करने की विशेष शक्ति थी। दिल्ली के लिए कौन सी नीति अपनाई जानी थी, चाहे वह पंजाब प्रांत में अपनाई जाए या बॉम्बे में, यह केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया था। उदाहरण के लिए, इस तरह के कानून बनाने की शरारत को अजमेर-मेरवाड़ा में इस धारा के अनुसरण में क्या हुआ, इसके संदर्भ में इंगित किया जा सकता है। बॉम्बे कृषि ऋणदाता राहत अधिनियम, 1947 को इस धारा के तहत अजमेर-मेरवाड़ा तक और परिभाषा में संशोधन करके संशोधन की शक्ति के तहत विस्तारित किया गया है। 'देनदार' शब्द की बॉम्बे अधिनियम की पूरी नीति को बदल दिया गया है। बॉम्बे अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक ऋणी है जो ऋणी है और जिसकी वार्षिक आय अन्य स्रोतों से होती है।

कृषि और पुरुष श्रम की तुलना में उसकी कुल वार्षिक आय के 33 प्रतिशत से अधिक या 500 रुपये से अधिक नहीं, जो भी अधिक हो। संशोधित कानूनों में "देनदार" का अर्थ है एक कृषक जिसका ऋण बकाया है, और "कृषक" का अर्थ है ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

क्या 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय विधानमंडल यह अधिनियमित कर सकता है कि कार्यपालिका दिल्ली के उन कानूनों तक विस्तार कर सकती है जिन्हें इसके बाद टिंबक्टू या सोवियत रूस में विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ बनाया जा सकता है। जवाब नकारात्मक होगा क्योंकि उन कानूनों की नीति कभी भी दिल्ली के लिए कानून बनाने के लिए सौंपे गए कानून बनाने वाले निकाय द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती थी। द.

1935 के संविधान अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय विधानमंडल, क्योंकि दिल्ली संवैधानिक रूप से टिंबक्टू और सोवियत रूस की विधानसभाओं से बेहतर स्थिति में नहीं थी, हालांकि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से वे एक अलग स्थिति में थे। स्थिति।

**

**

271. प्रश्न 1 और 2 के उत्तर देने के लिए दिए गए कारणों के लिए कि उसमें उल्लिखित अधिनियम अधिकार से बाहर हैं

संविधान में बताए गए विवरणों में, यह प्रश्न भी है

उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि इस मामले में पहले से ही कानूनों को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति व्यक्त की गई है। भाग-सी राज्यों में लागू केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। कानूनों को निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो

इसका प्रयोग केवल एक प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है। यह विधायिका की शक्ति के साथ एक समन्वय और सह-व्यापक शक्ति है। केंद्र पर दान करने में सरकार और उसे उसी क्षमता के साथ पहनना जो स्वयं विधायिका के पास है, संसद ने असंवैधानिक रूप से काम किया है।

बी. के. मुखर्जी, जे. ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

" 342. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस धारा द्वारा केंद्र सरकार को दी गई शक्तियां उनसे कहीं अधिक हैं।

अन्य दो विधायी प्रावधानों द्वारा प्रदत्त, कम से कम उस व्याख्या के अनुसार जो मैंने उन पर रखने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह काफी उत्कृष्ट अदालत की रिपोर्ट है

21] 3 एस सी आर।

समझदार नीति जो एक उचित विधायी के रूप में लंबे समय तक

तंत्र किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित नहीं है, संसद एक कार्यकारी प्राधिकरण को एक सक्षम विधायिका द्वारा वैध रूप से पारित और वास्तव में लागू कानूनों को पेश करने का अधिकार दे सकती है।

प्रत्येक संशोधन के साथ ऐसे क्षेत्र में देश के अन्य भागों में

और प्रतिबंध जैसा कि प्राधिकरण उचित समझता है,

संशोधन स्थानीय समायोजन या एक छोटे चरित्र के परिवर्तन तक सीमित हैं। लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में वास्तव में उस विशेष विषय पर कोई मौजूदा कानून लागू नहीं है। यदि ऐसा कोई कानून मौजूद है और ऐसे कानूनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निरस्त करने या निरस्त करने और अन्य क्षेत्रों में लागू अन्य कानूनों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की शक्ति दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से विधायी शक्तियों के अनुचित प्रत्यर्पण के बराबर होगा। किसी मौजूदा कानून को निरस्त या निरस्त करना एक आवश्यक विधायी शक्ति का प्रयोग है, और ऐसे कार्यों के पीछे की नीति स्वयं विधायिका की नीति होनी चाहिए। यदि विधायिका कार्यपालिका के साथ निवेश करती है

यह निर्धारित करने की शक्ति कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रवृत्त विधियों में से कौन सी विधि उपयोगी या उचित है और यदि उस प्राधिकरण को अन्य प्रांतों से लाए गए विधियों द्वारा उनके स्थान पर ऐसे संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित करने का अधिकार दिया जाता है जो वह उचित समझता है, तो वह कार्यपालिका को पूरी विधायी नीति के निर्धारण के साथ निवेश करना होगा, न कि केवल उस नीति को लागू करने के लिए जो विधायिका पहले ही निर्धारित कर चुकी है। इस प्रकार विस्तार की शक्ति, जिस पर भाग-सी राज्य (कानून) अधिनियम की धारा 2 द्वारा विचार किया गया है, में लागू करने की शक्ति शामिल है।

कानून जो उस क्षेत्र में वैध रूप से स्थापित और पहले से ही लागू कानूनों के साथ वास्तविक संघर्ष में हो सकते हैं।

68. यह स्पष्ट है कि जिस कानून से इस अदालत को निपटना था, उसने वस्तुतः एक कार्टे ब्लैंच के रूप में वर्णित किया था।

इस संबंध में कि क्या किसी राज्य अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया जाए, यदि हां, तो जो संशोधन की शक्ति के साथ-साथ निरसन की शक्ति भी है। न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के व्यापक अधिकार के भीतर,

जब तक आवश्यक विधायी शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जाता, तब तक प्रावधान अधिकार से बाहर नहीं होंगे। हालाँकि, संसद द्वारा अधिनियमित नहीं किए गए कानूनों का विस्तार करने की शक्ति

(क्योंकि यह भाग सी राज्यों के संबंध में अधिनियमित करने के लिए सक्षम थी) के साथ-साथ निरस्त करने की शक्ति को सामग्री में विधायी माना गया था। इसलिए, अदालत ने इस तरह की शक्ति को अधिकार से बाहर माना।

यह ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बहुमत के फैसले के परिणामस्वरूप दर्ज की गई अदालत की निम्नलिखित राय से स्पष्ट है:

" न्यायालय की राय

357. न्यायालय ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि प्रश्न 1 और 2 में निहित प्रावधान उन विधानमंडलों के अधिकार के बाहर नहीं हैं जिन्होंने उन प्रावधानों वाले अधिनियम को पारित किया था। जहाँ तक प्रश्न 3 पर उल्लिखित खंड का संबंध है, पहले भाग को आंतरिक अधिकार माना गया था, लेकिन दूसरा भाग, जो निम्नलिखित में है।

शर्तें: " इस प्रकार विस्तारित किसी भी अधिनियम में किसी भी संबंधित कानून (केंद्रीय अधिनियम के अलावा) के निरसन या संशोधन के लिए प्रावधान किया जा सकता है जो कुछ समय के लिए लागू होता है -

वह भाग-सी राज्य भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है जो

अधिनियम पारित किया। "

69. नरोत्तमदास जेठाभाई (उपरोक्त) में तीन मुद्दे शामिल थे; उनमें से एक कार्यपालिका को 25,000/- तक के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक अदालत को नामित करने के लिए सशक्त बनाने के सवाल से संबंधित था। यानी बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 4 "। उच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक यह तर्क उठाया गया कि एक बार जब विधायिका ने सिटी सिविल कोर्ट को 10,000 रुपये की आर्थिक सीमा तक का अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया था, तो उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति सौंपना अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस तर्क को अधिकांश न्यायाधीशों (महाजन, फजल अली और बी. के. मुखर्जी, जे. जे.) ने खारिज कर दिया। फजल अली, जे ने कहा कि

" 22. यह तर्क दिया जाता है कि यह धारा अमान्य है, क्योंकि प्रांतीय विधानमंडल ने इस प्रकार अपने

प्रांतीय सरकार को विधायी शक्तियाँ जो यह

नहीं कर सकते। यह विवाद मुझे नहीं लगता है

ध्वनि। इस खंड से ही पता चलता है कि प्रांतीय विधानमंडल ने अपने निर्णय का प्रयोग किया और यह निर्धारित किया कि नए न्यायालय को रुपये से अधिक मूल्य के दीवानी प्रकृति के मुकदमों और कार्यवाहियों का परीक्षण करने के लिए अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश किया जाना चाहिए। 25,000 , इसे प्रांतीय सरकार पर छोड़ दिया

60 " धारा 3 में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन, प्रांतीय सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ग्रेटर बॉम्बे के भीतर उत्पन्न होने वाले सभी मुकदमों और सिविल प्रकृति की अन्य कार्यवाही को

प्राप्त करने, प्रयास करने और निपटाने के लिए सिटी सिविल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश कर सकती है। 25,000 जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। "3 एस. सी. आर.

यह निर्धारित करने के लिए कि न्यायालय को इस व्यापक अधिकार क्षेत्र के साथ कब निवेश किया जाना चाहिए, जिसके लिए सीमा निर्धारित की गई थी। यह स्पष्ट है कि यदि और जब नए न्यायालय को बड़े अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करना है, तो वह अधिकार क्षेत्र प्रांतीय विधानमंडल के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के कारण नहीं होगा और न्यायालय उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग निम्न आधार पर करेगा -

अधिनियम स्वयं। जैसा कि मेरे कई विद्वान सहयोगियों ने बताया है, क्वीन वी का मामला। बुराह [3 ए. सी. 889] , जिसके अधिकार पर हमारे सामने पूरी तरह से सवाल नहीं उठाया गया था

इसमें उठाए गए विवाद और विवादित प्रावधान शामिल हैं।

यह एक उदाहरण है जिसे प्रिवी काउंसिल ने सशर्त कानून के रूप में नामित किया है, और वास्तव में किसी को भी प्रत्यायोजित नहीं करता है विधायी शक्ति लेकिन केवल यह निर्धारित करती है कि विधानमंडल ने पहले ही जो निर्णय ले लिया है, उसे कैसे प्रभाव दिया जाए।

जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने बताया है, कानून

विशेष शक्तियों के उपयोग पर या पर सशर्त विधानमंडल द्वारा सौंपे गए सीमित विवेकाधिकार का प्रयोग

जिन व्यक्तियों में यह विश्वास रखता है, उनके लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है, और कई मामलों में यह अत्यधिक सुविधाजनक और वांछनीय हो सकता है।

अहाजन, जे ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:

" न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की अधिकतम सीमा का निर्धारण विधायी इच्छा के प्रयोग का परिणाम है, क्योंकि इस निर्णय पर पहुंचे बिना यह नहीं होता

धनकोष की बाहरी सीमा निर्धारित करने में सक्षम

नए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। स्थापित किए जा रहे न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के संबंध में विधायिका की नीति का निपटारा अधिनियम की धारा 3 और 4 द्वारा किया गया था।

और यह इस प्रभाव के लिए था कि शुरू में इसका आर्थिक अधिकार क्षेत्र

रुपये तक सीमित होगा। 10,000 और भविष्य में अगर

परिस्थितियां इसे वांछनीय बनाती हैं-और यह प्रांतीय सरकार के निर्धारण पर छोड़ दिया गया था-इसे रुपये के मूल्य तक के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता था। 25,000 . यह

भी निर्धारित किया गया कि नए न्यायालय के आर्थिक अधिकार क्षेत्र का विस्तार धारा 3 के अपवादों में निहित प्रावधानों के अधीन होगा। इसलिए मेरी राय है कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश

यह कहना सही नहीं था कि विधायी दिमाग कभी भी ललित कुमार जैन बनाम नहीं था।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह उन शर्तों के बारे में लागू होता है जिनके अधीन और उस राशि के बारे में जिसके लिए नए न्यायालय को आर्थिक अधिकार क्षेत्र हो सकता है। जो कुछ भी प्रांतीय सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था, वह था

जिन परिस्थितियों में नए न्यायालय को बढ़े हुए आर्थिक अधिकार क्षेत्र के साथ पहना जाएगा। नीति के महत्वपूर्ण मामलों को निर्धारित किया जा चुका है, वास्तविक निष्पादन

वह नीति प्रांतीय सरकार पर छोड़ दी गई थी और इस तरह के सशर्त कानून के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता था।

पुनः, न्यायालय ने इस आधार पर कार्यकारी विवेकाधिकार के प्रयोग को बरकरार रखा कि धारा 3 द्वारा अधिनियमित सीमा से परे, सिटी सिविल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के संबंध में सरकार के लिए उचित विधायी ढांचा और मार्गदर्शन था, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धारा 4 को अधिनियमित किया गया था। 70. सरदार इंदर सिंह में, एक अध्यादेश की वैधता शामिल थी जिसे दो अधिसूचनाओं द्वारा बढ़ाया गया था। मूल अध्यादेश की धारा 4 ने अधिनियमित किया कि जब तक यह (अध्यादेश) लागू थाः

" कोई भी किरायेदार किसी भी आधार पर ऐसे क्षेत्र में अपनी पूरी हिस्सेदारी या हिस्से से बेदखल या बेदखल करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो भी हो "।

मूल रूप से 1949 में अधिनियमित (और दो साल के लिए लागू) इस अध्यादेश की वैधता को दो बार बढ़ाया गया था।

अधिसूचना दिनांक 14 जून, 1951 और 20 जून, 1953)। राजस्थान विधान सभा का गठन 29 मार्च, 1952 को किया गया था। तब तक, राजप्रमुख को विधायी अधिकार दिया गया था। 15 अक्टूबर, 1955 को एक नया अधिनियम, राजस्थान किरायेदारी अधिनियम सं। 1955 का III लागू हुआ, और जमींदारों और किरायेदारों के बीच संबंध इसके द्वारा शासित थे। अध्यादेश के विस्तार की चुनौती को नकारते हुए, इस अदालत ने फैसला सुनाया, (बुरा, दिल्ली कानून अधिनियम और जतिंद्र नाथ गुप्ता पर विचार करने के बाद) किः

" वर्तमान मामले में, अध्यादेश की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से उन तथ्यों की स्थिति का उल्लेख करती है जिनके कारण विचाराधीन कानून को लागू करना आवश्यक हो गया था, और धारा 3 ने उस समय की स्थिति को समझने पर अधिनियम की अवधि को दो साल के रूप में निर्धारित किया। उसी समय, इसने एक शक्ति प्रदान की

राजप्रमुख अध्यादेश के जीवन को उस अवधि से आगे बढ़ाने के लिए, यदि स्थिति की आवश्यकता होती है।

इस तरह के विस्तार का निर्णय राजप्रमुख द्वारा किया जाता है और अधिसूचित किया जाता है,

जो कानून काम करेगा वह वह कानून है जिसे "स्थान, व्यक्ति, कानून, शक्तियों" के संबंध में विधायी प्राधिकरण द्वारा अधिनियमित किया गया था, और यह स्पष्ट रूप से सशर्त है और प्रत्यायोजित नहीं है।

रानी बनाम में निर्धारित कानून। बुराह ([1878] 5 आई. ए. 178), और परिणामस्वरूप, वैध माना जाना चाहिए। यह इस प्रकार है कि हम कानून के कथन से सहमत होने में असमर्थ हैं

जतिंद्र नाथ गुप्ता बनाम। बिहार राज्य ([1949] एफ. सी. आर. 595) कि किसी अधिनियम के जीवनकाल को बढ़ाने की शक्ति वैध रूप से किसी बाहरी प्राधिकारी को प्रदान नहीं की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से, विधायी प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं के बारे में प्रश्न

जिस प्राधिकारी पर दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 ([1951] एस. सी. आर. 747) में दिए गए निर्णयों से राय का एक तीखा टकराव प्रकट होता है, वह विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है और हम उस पर अपनी राय सुरक्षित रखते हैं।

इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि 20 जून, 1953 की अधिसूचना खराब है, क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद, राजप्रमुख ने अनुच्छेद 385 से कानून बनाने का अपना अधिकार प्राप्त किया, और उस अनुच्छेद के तहत उनका अधिकार तब समाप्त हो गया जब राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया था, जो वर्तमान मामले में 29 मार्च, 1952 को था। यह तर्क अध्यादेश की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना के सही स्वरूप के बारे में एक गलत धारणा पर आगे बढ़ता है। यह एक स्वतंत्र कानून नहीं था जैसा कि अधिनियमित किया जा सकता था।

केवल तत्कालीन सक्षम विधायिका (1) द्वारा। राज्य का अधिकार, लेकिन केवल एक क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग जो पहले उपयुक्त विधायी द्वारा अधिनियमित किया गया था प्राधिकरण। इस तरह की शक्ति का प्रयोग राजप्रमुख की विधायी क्षमता के लिए नहीं बल्कि अध्यादेश के लिए संदर्भित है।

1949 का सं. IX, और बशर्ते कि धारा 3 वैध हो, अधिसूचना की वैधता अध्यादेश के साथ सह-व्यापक है। यदि अध्यादेश इस तथ्य के कारण समाप्त नहीं हुआ कि राजप्रमुख का कानून बनाने का अधिकार समाप्त हो गया था-और उस पर कोई विवाद नहीं है और न ही किया जा सकता है-और न ही अधिसूचना जारी करने की शक्ति जो उसमें प्रदान की गई है। वास्तविक स्थिति यह है कि यह उनके चरित्र में एक प्राधिकरण के रूप में है जिसे अध्यादेश की धारा 3 के तहत शक्ति प्रदान की गई थी

कि राजप्रमुख ने विवादित अधिसूचना जारी की, और ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में नहीं। यह आपत्ति

तदनुसार खारिज किया जाना चाहिए। "

71. हमरद दवाखाना (ऊपर) में, औषधि और जादू उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3 (डी) की वैधता विवाद में थी। उस अधिनियम की धारा 16 (1) ने सरकार को धारा 16 (2) (ए) द्वारा किसी भी बीमारी या स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसमें धारा के प्रावधान शामिल हैं।

तर्क दिया कि धारा 3 (डी), जो इसे "किसी अन्य बीमारी या स्थिति को अधिसूचित करने का अधिकार देती है जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है" सशर्त विधान का एक उदाहरण था। प्रासंगिक फैसले में सशर्त कानून पर चर्चा नीचे दी गई है:

" सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान के बीच अंतर यह है कि पूर्व में प्रतिनिधि की शक्ति यह निर्धारित करने की होती है कि कोई विधान कब घोषित किया जाता है। आचरण का नियम प्रभावी हो जाएगा; हैम्पटन एंड कंपनी v. यू. एस. (1) और उत्तरार्द्ध में नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल है जिसका संवैधानिक रूप से द्वारा प्रयोग किया जा सकता है

प्रशासनिक प्राधिकरण। दूसरे शब्दों में प्रत्यायोजित विधान द्वारा प्रतिनिधि विधान को पूरा करता है
कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विवरण की आपूर्ति और सशर्त कानून के मामले में

विधान का प्रयोग विधायिका द्वारा सशर्त रूप से किया जाता है। किसी बाहरी प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर अपने विधान को लागू करने का समय और तरीका छोड़ते हुए और उस क्षेत्र का निर्धारण भी जिस तक उसे विस्तारित करना है।

अदालत ने माना कि विवादित प्रावधान अस्वीकार्य था प्रतिनिधि मंडल के पास अभ्यास के संबंध में विधायी मार्गदर्शन की कमी थी

कार्यपालिका की शक्ति:

" तब निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या प्रतिनिधि मंडल संवैधानिक है क्योंकि प्रशासनिक प्राधिकरण को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। हमारे विचार में शब्द सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 3 एस सी आर।

आक्षेपित अस्पष्ट हैं। संसद ने नहीं स्थापित किया है मानदंड, कोई मानक नहीं है और कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया है

जिस पर अनुसूची में कोई विशेष बीमारी या स्थिति निर्दिष्ट की जानी है। यह नहीं बताया गया है कि किसी विशेष स्थिति या बीमारी को शामिल करने के लिए किन तथ्यों या परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एस में दी गई बीमारियों और स्थितियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति। 3 (घ) अतः वैध प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं से परे जाना माना जाना चाहिए।

परिणामस्वरूप नियमों में अनुसूची को लागू किया जाना चाहिए।

नीचे। "

72. सबनायगम (उपरोक्त) में बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 36 के तहत जारी एक अधिसूचना के अधिकार जारी किए गए थे, जिसमें संबंधित वैधानिक बोर्ड को इसके दायरे से छूट दी गई थी। इस अदालत ने अधिसूचना की व्याख्या इसके जारी होने की तारीख से संचालित होने के रूप में की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले लेखा वर्षों के लिए बोनस भुगतान अधिनियम लागू हुआ। (छूट देने की) शक्ति की प्रकृति के बारे में, इस न्यायालय ने पिछले विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया कि सशर्त विधान की तीन व्यापक श्रेणियां हैं, और निम्नलिखित रूप में विस्तृत किया गया है:

मूल विधानमंडल द्वारा स्वयं इंगित किए गए किसी दिए गए क्षेत्र के लिए, लेकिन एक उचित समय पर। यह शुद्ध और सरल सशर्त विधान का कार्य होगा जो प्रतिनिधि की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करेगा कि उक्त अधिनियम कब लागू किया गया था। और मूल विधानमंडल द्वारा पूरा किया जाना प्रभावी बनाया जाना है। जैसा कि मूल विधानमंडल ने स्वयं एक बाध्यकारी आचरण निर्धारित किया है जिसका पालन सभी और विभिन्न लोगों द्वारा किया जाना है और जिसे कानून के व्यापक रूप से कवर किया जाना है और क्योंकि यह एक बाध्यकारी के रूप में कार्य करना है ललित कुमार जैन v।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उस क्षेत्र के भीतर आचरण का नियम और जिसके आधार पर उनके भविष्य के सभी कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाना है, यह आसानी से मूल विधानमंडल की कल्पना की जा सकती है, जबकि इस तरह के कानून को लागू करने के लिए पार्टियों को सुनने की आवश्यकता नहीं थी।

अधिनियम के संचालन से प्रभावित होने के लिए, एक उपयुक्त समय पर क्षेत्र में अधिनियम को लागू करने वाले प्रमुख विधानमंडल के एक एजेंट के रूप में एक अत्यंत सीमित और लगभग मंत्री कार्य का प्रयोग करने वाले प्रतिनिधि से यह भी नहीं माना जाता है और उन सभी लोगों को सुनने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में मूल विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अधिनियम के दायरे में सभी द्वारा समान रूप से निर्धारित बाध्यकारी आचार संहिता से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।

हालाँकि, सशर्त विधानों की दूसरी श्रेणी हो सकती है जिसमें प्रतिनिधि को यह तय करना होता है कि क्या और किन परिस्थितियों में मूल का एक पूर्ण अधिनियम है।

कानून जो पहले से ही लागू हो चुका है, उसे किसी दिए गए क्षेत्र में या दिए गए मामलों में संचालन से आंशिक रूप से वापस लिया जाना है ताकि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्तियों पर लागू न हो जो अन्यथा अधिनियम द्वारा स्वीकृत रूप से शासित हैं। जब सशर्त विधान के माध्यम से ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना है एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि उक्त शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि संतुष्टि

ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थिति के अस्तित्व के संबंध में प्रतिनिधि की शुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है और यदि इस तरह के अभ्यास को इस तरह के अभ्यास के खिलाफ विज्ञापन के लिए तथ्यात्मक डेटा के प्रथम-मुख प्रमाण पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है और यदि ऐसा अभ्यास समान रूप से लागू होता है।

भविष्य में इस तरह के अभ्यास द्वारा शासित विषयों के एक दिए गए सामान्य वर्ग के लिए और जब इस तरह के अभ्यास को केवल व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित नहीं रखा जाना है, तो ऐसे मामलों की श्रेणी में भी सशर्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

प्रतिनिधि को सशर्त विधान की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा विचार में लिए जाने के लिए उसके सामने रखे गए आंकड़ों पर प्रतिद्वंद्वी संस्करणों पर विचार करने के बाद एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई शुल्क है

अधिनियम के तहत निर्धारित और छूट की शक्ति प्रतिनिधि को प्रदान की जाती है कि क्या शुल्क दर से पूर्ण छूट या आंशिक छूट देने के लिए इसमें इस तरह की कवायद शामिल हो सकती है -

सशर्त विधायी कार्य जिसमें अभ्यास को [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिनिधि द्वारा अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर किया जाना चाहिए

और एक बार जब वह प्रयोग किया जाता है तो जो भी छूट दी जाती है या आंशिक रूप से दी जाती है या आंशिक रूप से समय-समय पर वापस ली जाती है, वह समान रूप से स्थित व्यक्तियों के पूरे वर्ग के लिए बाध्यकारी होगी और जो ऐसी छूटों के दायरे में होंगे, आंशिक या पूर्ण, और चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से दी गई हो या वापस ली गई हो, और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे अभ्यास से प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनने का कोई अवसर नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए एक तय शुल्क से कहें कि यदि पहले प्रतिनिधि द्वारा 30 प्रतिशत छूट दी जाती है और फिर 20 प्रतिशत तक कम कर दी जाती है, तो वे सभी जो समान रूप से स्थित हैं और इस तरह की छूट के व्यापक दायरे में आते हैं और

संशोधन को किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि दी गई छूट को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस लेने से पहले उनकी सुनवाई की जानी चाहिए।

उपरोक्त मामलों की पहली दो श्रेणियों में प्रतिनिधि जो इसके शुद्ध व्यक्तिपरक पर कार्य करने वाले सशर्त विधान का प्रयोग करते हैं।

ऐसी शक्ति के प्रयोग से प्रभावित होने की संभावना वाले पक्षों को सुनने के लिए ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थितियों के अस्तित्व के बारे में संतुष्टि की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जहां प्रतिनिधि भविष्य के लिए कानून के विवरण को भरने के लिए आगे बढ़ता है-जो भविष्य के लिए नीति बनाने की एकीकृत कार्रवाई का हिस्सा है, यह भविष्य की नीति का हिस्सा है और विधायी है। लेकिन जहां वह केवल या तो व्यक्तिपरक रूप से या

आवश्यक सीमा तक परामर्श या प्राकृतिक न्याय को पूर्ववत नहीं कहा जा सकता है। बेशक, तथ्य यह है कि ऐसे मामलों में 'सशर्त विधान' के इन सिद्धांतों को पूर्ववत नहीं किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा अनिवार्य हैं। विशुद्ध रूप से मंत्रिस्तरीय कार्य के मामले में या ऐसे मामले में जहां कोई वस्तुनिष्ठ शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं और मामला प्रतिनिधि की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया गया है (जैसा कि ऊपर वर्णित श्रेणियों एक और दो में) निष्पक्ष खेल, परामर्श या प्राकृतिक न्याय के ऐसे किसी भी सिद्धांत को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक निर्धारण की प्रकृति ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निर्धारण चरित्र में विधायी है। यह भी हो सकता है ऐसी स्थितियाँ जहाँ प्रभावित व्यक्ति अज्ञात वर्ग के हैं

व्यक्तियों या जहां लोक हित या राज्य के हित आदि।

ऐसी प्रक्रिया के अवलोकन को रोकें। (.....) ”

73. एक अन्य निर्णय में, वासु देव सिंह, अदालत को प्रशासक द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता पर निर्णय लेना था

चंडीगढ़ दिनांक आई. डी. 1 ने निर्देश दिया कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (जिसे संसद द्वारा पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम 1974 द्वारा चंडीगढ़ तक बढ़ाया गया था) का प्रावधान उन इमारतों और किराए की भूमि पर लागू नहीं था जिनका मासिक किराया 1500 से अधिक था। प्रशासक ने अधिसूचना को सशर्त कानून के उदाहरण के रूप में उचित ठहराया क्योंकि

धारा 3 के तहत उन्हें भवनों के वर्गों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने में सक्षम बनाया गया। 61 यह न्यायालय इस तर्क से असहमत था कि छूट सशर्त विधायी शक्ति के प्रयोग में थी:

“ 16. हम सबसे पहले अपनी असहमति व्यक्त करना चाहेंगे।

विद्वान सलाहकार द्वारा हमारे सामने उठाए गए तर्कों के साथ

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होते हुए कि आक्षेपित

अधिसूचना प्रभावी है और एक सशर्त कानून है

और प्रत्यायोजित कानून नहीं। के बीच अंतर

सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान स्पष्ट और असंदिग्ध। एक सशर्त कानून में प्रतिनिधि के पास है

किसी क्षेत्र में कानून लागू करना या समय निर्धारित करना और इसे लागू करने का तरीका या ऐसे समय पर, जब यह निर्णय लेता है या विधान के नियम को समझने के लिए, यह होगा

सशर्त कानून। इस तरह के मामले में विधायिका

कानून, जो सभी मामलों में पूर्ण है लेकिन समान नहीं है

तुरंत संचालन में लाया गया। का प्रवर्तन कानून एक शर्त की पूर्ति पर निर्भर करेगा और क्या

द्वारा निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंपा गया है अपने स्वयं के निर्णय का प्रयोग करते हुए कि क्या ऐसी शर्तें हैं

पूरा हो चुका है और/या वह समय आ गया है जब कानून लागू किया जाना चाहिए। का प्रभाव लेना

एक कानून, इसलिए, इस पर निर्भर करता है

61 " 3. छूट। केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सभी या कोई भी प्रावधान किसी विशेष भवन या किराए की भूमि या किसी वर्ग के भवनों या किराए की भूमि पर लागू नहीं होंगे।

कार्यकारी निकाय द्वारा ऐसे तथ्य या स्थिति का निर्धारण सरकार की ओर से। प्रत्यायोजित कानून, हालांकि, शामिल हैं

शासन का प्रत्यायोजन-कानून बनाने की शक्ति और प्राधिकरण

कारण से ऐसे क्षेत्र को लागू करने के लिए एक कार्यकारी प्राधिकरण

वहाँ से। कार्यपालिका को इसके माध्यम से प्रदत्त विवेकाधिकार

प्रत्यायोजित कानून बहुत व्यापक है। नियम बनाने की ऐसी शक्ति

या विनियम, हालांकि, चार के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए

अधिनियम के कोने। प्रत्यायोजित विधान, इस प्रकार, एक उपकरण है

जिसे प्रयोग करने के लिए विधायिका द्वारा बनाया गया है

विधान में ही निर्धारित तरीके से। इसकी वजह से

अधिनियम की धारा 3, प्रशासक, हालांकि, किया गया है

एक अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्त जिसके तहत और जिसके तहत,

अधिनियम को लागू करने के लिए ही छूट दी जाती है।

उन सहित बड़ी संख्या में निर्णयों पर विचार करने के बाद

जहां इस अदालत ने किराए के आधार पर विभिन्न राज्यों द्वारा जारी छूट को बरकरार रखा था, इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि इसके लिए अपर्याप्त औचित्य था

उन्होंने छूट अधिसूचना का विरोध किया, और यह कि यह अधिकार से बाहर था

शक्ति

प्रशासक को प्रदान किया गया:

“ 150. इसके अलावा, एक के लिए अधिसूचना जारी नहीं की गई है

सीमित अवधि। इसलिए इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

श्री नरीमन का प्रस्तुतिकरण कि प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य खंड अधिनियम के, उसी को संशोधित किया जा सकता है,

किसी भी समय संशोधित और वापस लिया गया, इसके लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है

एक से अधिक कारण। सबसे पहले, प्रतिवादी आगे बढ़ा

राष्ट्रीय नीति को प्रभावी बनाने के लिए विचार अर्थात संशोधन आवश्यक हैं। जब तक एक नया किराया अधिनियम लागू नहीं किया जाता है तब तक इसे लागू किया जाएगा। चाहे वह

अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा या नहीं, यह अनुमान का विषय है और

अनुमान लगाएँ। यह फिर से विधायी नीति का मामला होगा। जो प्रशासक के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। दूसरा,

प्रशासक राष्ट्रीय नीति का पालन करने के लिए आगे बढ़े

या आंशिक रूप से, इरादा स्पष्ट हो जाता है अर्थात वही नहीं है एक अस्थायी प्रभाव दिया जाना था। जब निरस्त किया गया

प्रावधानों को कानून-पुस्तक में वापस लाने की मांग की जाती है,

यह नए कानून के माध्यम से किया जाना है। (.....) ललित कुमार जैन बनाम क्या हो सकता है?

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

भविष्य में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया कार्य किसी कार्यकारी अधिनियम को बनाए रखने का आधार नहीं हो सकता है।

74. याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत निर्णयों को बारीकी से पढ़ने से पता चलेगा कि कानूनों का विस्तार करने की शक्ति को बरकरार रखा गया है। जैसा कि बी. के. मुखर्जी ने दिल्ली विधि अधिनियम, 1912 (ऊपर) में कहा है:

" यह काफी समझदारी वाली नीति है जो तब तक उचित है।

विधायी तंत्र किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित नहीं है, संसद एक कार्यकारी प्राधिकरण को ऐसे क्षेत्र में एक सक्षम विधायिका द्वारा वैध रूप से पारित और वास्तव में देश के अन्य हिस्सों में लागू कानूनों को लागू करने के लिए सशक्त कर सकती है, जिसमें प्रत्येक संशोधन और प्रतिबंध जो प्राधिकरण उचित समझता है, संशोधन स्थानीय समायोजन या परिवर्तनों तक सीमित हैं।

एक छोटे चरित्र का "।

बुराह (ऊपर) में लॉर्ड सेलबोर्न ने इस तरह की शक्ति को असाधारण मानते हुए कहा कि

" विशेष शक्तियों के उपयोग या सीमित विवेकाधिकार की कार्यपालिका पर सशर्त विधान, जिसे विधानमंडल द्वारा उन व्यक्तियों को सौंपा गया है जिन पर वह विश्वास रखता है, कोई असामान्य बात नहीं है और कई परिस्थितियों में, यह अत्यधिक हो सकता है। सुविधाजनक "

जितेंद्र नाथ गुप्ता (ऊपर) में, संघीय न्यायालय ने जिस बात को आपत्तिजनक ठहराया, वह एक के प्रावधानों को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करना था अधिनियमन, अपनी व्यक्त अवधि या समय से परे:

" यह विधानमंडल को बताना है कि कोई विशेष कानून कितने समय तक लागू रहेगा। इसे किसी अन्य निकाय के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। एक अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति एक विधानमंडल, शक्ति की सीमा पर किसी भी सीमा के बिना

संशोधन, निस्संदेह एक विधायी शक्ति है।

निर्णयों की बहुलता के साथ-साथ दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 में दी गई राय उस निर्णय को कुछ हद तक जटिल बनाती है। फिर भी, न्यायालय की अंतिम प्रति क्यूरियम राय यह थी कि जिन मामलों को संसद ने प्रत्यक्ष रूप से अधिनियमित नहीं किया था, उनके संबंध में भाग सी राज्यों के अधिनियमों को बढ़ाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति अत्यधिक विधान के बराबर थी। इसके अतिरिक्त, निरस्त करने की शक्ति के लिए अपवाद लिया गया था, प्रत्यायोजित किया जा रहा था, क्योंकि यह एक आवश्यक विधायी शक्ति थी।

75. सरदार इंदर सिंह (ऊपर) में, किराया प्रतिबंध अध्यादेशों के विस्तार पर सवाल था; अदालत ने जतींद्र में नियम लागू नहीं किया था।

सिंह ने कहा कि विधायिका द्वारा अपने निर्दिष्ट आवेदन के समय से परे एक अधिनियम को बढ़ाने का अभ्यास; अन्य विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों के विस्तार, संशोधन और निरसन की शक्ति; और एक परिमाणीकरण (किराए की राशि) के आधार पर एक अधिनियम के आवेदन को सीमित करना विधायी अभ्यास थे, जो प्रदत्त शक्तियों से परे थे। वे "सामान्य विधायी प्राधिकरण, एक नई विधायी शक्ति, जो माता-पिता द्वारा बनाई या अधिकृत नहीं है" की श्रेणी में आते हैं। विधान, (बुराह के अनुसार, ऊपर)। हमदर्द दवाखाने में, नई दवाओं को शामिल करने की शक्ति को बिना किसी विधायी मार्गदर्शन के गैर-मान्यता प्राप्त माना गया था। इस निर्णय में किसी अधिनियम या बहिष्करण के प्रावधानों को लागू करना शामिल नहीं था, बल्कि नई दवाओं पर किसी भी वैधानिक मार्गदर्शन के बिना इसके दायरे में शामिल करना शामिल था। इसलिए इस मामले में प्रत्यायोजित कानून शामिल था।

76. अब उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा। विश्वंभर सिंह (ऊपर) में धारा के तहत शक्ति 3 (1) उड़ीसा संपदा उन्मूलन (संशोधन) अधिनियम, 1952 शामिल था। इस प्रावधान ने राज्य को यह घोषित करने में सक्षम बनाया कि किसी संपत्ति के पास-शर्तों के अनुसार -

उस संबंध में जारी की गई अधिसूचनाएँ-इसमें निहित, सभी बाधाओं से मुक्त। इस अदालत ने उस प्रावधान की चुनौती को नकार दिया:

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 77. अधिनियम का लंबा शीर्षक और ऊपर उद्धृत दो प्रस्तावनाएँ स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य सभी अधिकारों, स्वामित्व और ब्याज को समाप्त करना है।

मध्यस्थों की भूमि में जो भी नाम से जाना जाता है। यह उस नीति का स्पष्ट प्रतिपादन है जिसकी मांग की गई है

अधिनियम के संचारी प्रावधानों द्वारा कार्यान्वित। धारा 3 या धारा 4 के तहत राज्य सरकार को जो भी विवेकाधिकार दिया गया है, उसका उपयोग इस नीति के आलोक में किया जाना चाहिए और इसलिए, इसे एक पूर्ण या निरंकुश विवेकाधिकार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जल्द या बाद में सभी संपदाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चीजों की प्रकृति से राज्य सरकार को एक निश्चित मात्रा में विवेकाधीन अक्षांश दिया जाना था। अगर राज्य सरकार को एक ही समय में सभी संपदाओं का अधिग्रहण करना पड़ता तो यह एक बहुत बड़ा काम होता। इसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को ध्वस्त कर दिया होगा। जिम्मेदारियों को संभालने और उनका निर्वहन करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को इकट्ठा करना संभव नहीं हो सका। एक बार में आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना मुश्किल होगा। इसलिए राज्य सरकार को कुछ विवेकाधिकार देना अनिवार्य था। यह सुझाव या दिखाया नहीं गया है कि कोई भी भेदभाव किया गया है "।

बसंत कुमार सरकार (ऊपर) में, विचाराधीन शक्ति थी

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के 1 (3) पर, जिसने शासन को प्रतिष्ठानों तक अधिनियम का विस्तार करने में सक्षम बनाया। यह अदालत

उन्होंने महसूस किया कि सत्ता का अधिकार बहुत अधिक था:

" 4. तर्क यह है कि अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई शक्ति, केंद्र सरकार को पूर्ण विवेक प्रदान करती है, जिसका प्रयोग किसी भी विधायी प्रावधान द्वारा निर्देशित नहीं है और इसलिए, अमान्य है। अधिनियम में ऐसे किसी भी विचार को निर्धारित नहीं किया गया है जिसके आलोक में केंद्र सरकार

धारा 1 (3) के तहत कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और केंद्र सरकार को प्रदान की गई ऐसी अप्रचलित शक्ति को माना जाना चाहिए।

अमान्य के रूप में। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। धारा 1 (3) वास्तव में प्रत्यायोजित विधान का एक उदाहरण नहीं है

सब; यह वही है जिसे ठीक से सशर्त के रूप में वर्णित किया जा सकता है कानून। इस अधिनियम में इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों के बीमा के संबंध में एक स्व-निहित संहिता निर्धारित की गई है; कई सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टें

21] 3 एस सी आर।

उपचारात्मक उपाय जिन्हें विधायिका ने आवश्यक समझा

ऐसे श्रमिकों के संबंध में लागू करने के लिए विशेष रूप से निपटा गया है और अधिनियम की नीति को लागू करने के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं जैसा कि इसके प्रासंगिक में निर्धारित किया गया है।

अनुभाग। अधिनियम की धारा 3 (1) का उद्देश्य अधिकृत करना है -

केंद्र सरकार के लिए एक निगम की स्थापना

एक अधिसूचना द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रशासन। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना कब जारी की जानी चाहिए और किन कारखानों के संबंध में इसे जारी किया जाना चाहिए, इसे केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है और यह वही है जो आमतौर पर सशर्त कानून द्वारा किया जाता है।

[.....]

5. [.....] चीजों की प्रकृति में, विधायिका के लिए यह तय करना असंभव होता कि कौन से क्षेत्रों में और किन कारखानों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा

निगम की स्थापना की जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस तरह की योजना भले ही बहुत लाभकारी हो, लेकिन पूरे देश में एक साथ लागू नहीं की जा सकी। ऐसे लाभकारी उपाय जिन्हें सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, उन्हें कुछ चरणों में और विभिन्न चरणों में अपनाया जाता है।

77. अगला निर्णय लछमी नारायण (ऊपर) ने लिया। यहाँ केंद्र सरकार को भाग सी की धारा 2 द्वारा अधिकार दिया गया था। राज्य (कानून) (अधिनियम), 1950 भाग ए राज्यों में किसी भी अधिनियम को अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित करेगा। केंद्र सरकार ने 1951 में बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम के प्रावधानों को तत्कालीन भाग सी राज्य दिल्ली तक विस्तारित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। 1957 में, धारा 2 के तहत इस शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें पहले की अधिसूचना में संशोधन किया गया था।

जिसके परिणामस्वरूप कुछ लाभ वापस लिए जाते हैं। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क पर विचार करते हुए कि क्या किसी भी अधिनियम में संशोधन के साथ या उसके बिना विस्तार करने की शक्ति सशर्त या प्रत्यायोजित कानून थी, निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 49. आगे बढ़ने से पहले, इस तर्क के संबंध में कुछ शब्द कहना उचित होगा कि द्वारा प्रदत्त शक्ति

विधि अधिनियम की धारा 2 सशर्त विधान की शक्ति है न कि प्रत्यायोजित विधान की शक्ति। हमारी राय में, इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा

तर्क क्योंकि दोनों के बीच प्रस्तावित अंतर

ललित कुमार जैन बनाम में विधायी शक्तियों की श्रेणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सिद्धांत। किसी भी मामले में, जिस व्यक्ति को शक्ति सौंपी गई है, वह उस सीमा से परे कुछ नहीं कर सकता है जो शक्ति को सीमित करती है; उसे लॉर्ड सेलबोर्न के शब्दों का उपयोग करने के लिए कार्य करना पड़ता है।

" सकारात्मक शब्दों के सामान्य दायरे के भीतर जो शक्ति देते हैं और किसी भी व्यक्त शर्तों या प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना जिनके द्वारा वह शक्ति सीमित है। नाम में कोई जादू नहीं है। चाहे आप इसे "सशर्त विधान" की शक्ति कहें जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने इसे बुराह के मामले (ऊपर) में कहा था, या 'सहायक विधान' जैसा कि संघीय न्यायालय ने इसे कहा था।

चोइट्राम वी. सी. आई. टी., बिहार, या 'सहायक विधान' जैसा कि कनिया, सी. जे. ने इसे शैलीबद्ध किया, या क्या आप इसे 'प्रशासनिक या अर्ध-विधायी शक्ति' के आवरण नाम के तहत छिपाते हैं-जैसे

प्रोफेसर कुशमैन और अन्य अधिकारियों ने यह किया है -

इस प्रस्ताव के समर्थन में पर्याप्त अधिकार कि एक अधिनियम का विस्तार करने और उसे लागू करने की शक्ति आवश्यक संशोधन और अनुकूलन सच्चाई और वास्तविकता में हैं।

प्रत्यायोजित विधान की शक्ति की प्रकृति में।

इन टिप्पणियों के बाद, इस अदालत ने माना कि

सरकार द्वारा विनिर्देशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता था

कि उसने किया, और निम्नलिखित रूप में देखा:

" 60. धारा 2 द्वारा दी गई शक्ति विस्तार पर समाप्त हो जाती है।

अधिनियम का; इसका बार-बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है या

बाद में इस तरह के विस्तार के लिए। इसका प्रयोग अधिनियम के विस्तार के साथ-साथ केवल एक ही बार किया जा सकता है। यह वैधानिक सीमाओं का एक आयाम है जो शक्ति को सीमित करता है। दूसरा यह है कि शक्ति का उपयोग विस्तार के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। इस अभ्यास में

शक्ति, केवल ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों को विस्तारित किए जाने की मांग वाले अधिनियम में वैध रूप से संलग्न किया जा सकता है, जो इसे संघ में संचालन और प्रभाव में लाने के लिए आवश्यक हैं।

क्षेत्र "। संशोधन "जो विस्तार के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हैं, या सहायक और अधीन हैं, अनुमत नहीं हैं। और, केवल ऐसे "संशोधन" ऐसे उद्देश्य के लिए वैध रूप से आवश्यक हो सकते हैं जो आवश्यक हैं

अधिनियम को विशिष्ट [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए उपयुक्त बनाएँ, समायोजित करें और अनुकूलित करें।

इसे केंद्र शासित प्रदेश में ले जाने के लिए स्थानीय शर्तें

संचालन और प्रभाव। धारा के संदर्भ में, "प्रतिबंध और संशोधन" शब्द ऐसे परिवर्तनों को शामिल नहीं करते हैं जिनमें किसी भी आवश्यक विशेषता, अधिनियम या इसमें निर्मित विधायी नीति में परिवर्तन शामिल हो। यह उन सीमाओं का तीसरा आयाम है जो शक्ति को घेरती हैं।

61. यह सच है कि शब्द "ऐसे प्रतिबंध और संशोधन जो यह उचित समझता है" यदि शाब्दिक रूप से और अलगाव में समझा जाता है, तो प्रकट होता है।

संशोधन और संशोधन की निरंकुश शक्ति देना अधिनियम को बढ़ाने की मांग की गई। इतना व्यापक निर्माण

ऐसा न हो कि धारा की वैधता अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण कमजोर हो जाए, इससे बचा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस तरह का निर्माण समग्र रूप से पढ़ी जाने वाली धारा के संदर्भ और विषय-वस्तु और शक्ति के प्रयोग से जुड़ी वैधानिक सीमाओं और शर्तों के प्रतिकूल होगा। इसलिए, हमें ऐसे परिवर्तनों के लिए "प्रतिबंध और संशोधन" शब्दों के दायरे को सीमित करना चाहिए।

एक चरित्र जो अंतर्निहित नीति, सार और

अधिनियम के सार को विस्तारित, अक्षुण्ण, और केवल ऐसे परिधीय या असंगत परिवर्तनों को लागू करने की मांग की गई है जो इसे अनुकूलित करने और समायोजित करने के लिए उपयुक्त और आवश्यक हैं। केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय स्थितियाँ "।

78. इस स्तर पर सारणीबद्ध रूप में उन विभिन्न तिथियों को निर्धारित करना उपयोगी होगा जिन पर संहिता के प्रावधानों को लाया गया था। बल देते हैं। चार्ट नीचे दिया गया है:

एस. आई. तिथि

एस. ओ.

लागू किए गए प्रावधान

नहीं।

1. 05.08.2016

एस. ओ. 2618 (ई)। धारा 188 से 194 धारा 2746 (ई)। धारा 3 के खंड (1), (5), (22), (26), (28) और (37),

2 . 19.08.2016

धारा 221,222,225,226,230,232 और 233, धारा 239 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (जेडडी), धारा 240 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (जेडटी), धारा 241 और 242

S.O.3355 (E)

खंड (2) से खंड (4), खंड (6) से खंड (21),

3 . 01.11.2016

खंड (23) से खंड (25), खंड (27) से धारा 3 का खंड (36), धारा 196,197 और 223, खंड (जे) से खंड (जेडएच), खंड (जेडएल) से धारा 239 की उप-धारा (2) का खंड (जेडएम), खंड (ए) से खंड (धारा 240 की उप-धारा (2) के खंड (ज़ू) से खंड (ज़ू), धारा 244, धारा 246 से धारा 248

(दोनों सम्मिलित), धारा 250 और 252 ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एस. ओ. 3453 (ई)

4 .

15.11.2016

धारा 199 से धारा 207 (दोनों)

सम्मिलित), खंड (ग) और खंड (ङ)

धारा 208 की उप-धारा (1),

सम्मिलित) धारा

251,253,254
और 255

एस. ओ. 3594 (ई) पर लागू हुआ

धारा 2 के खंड (ए) से खंड (डी)

तक

5 .

(स्वैच्छिक को छोड़कर

वीडियो

01.12.2016

परिसमापन या दिवालियापन धारा

4

दिनांकित

एस. ओ.

धारा 32 (दोनों सम्मिलित),

30.11.2016

धारा 60 से धारा 77 (दोनों)

सम्मिलित), धारा 198, धारा 239,

धारा 236 से धारा 238 (दोनों)

खंड) और खंड (ए) से खंड

(च) धारा 239 की उप-धारा (2) का

दिनांक एस. ओ. 3687 (ई)

6 .

धारा 33 से धारा 54 (दोनों) एस. ओ.

समावेशी)

09.12.2016 आया।

उस पर लागू

15.12.2016

दिनांक एस. ओ. 1005 (ई)

7 .

एस. ओ.

धारा 59; धारा 209 से 215 तक

(दोनों समावेशी); की उप-धारा (1)

30.03.2017 ;

आया।

धारा 216 और धारा 234 और में

बल लगाएँ

धारा 235

01.04.2017

एस. ओ. 1570 (ई) पर लागू हुआ

8 .

धारा 2 के खंड (ए) से खंड (डी)

तक

01.04.2017

वीडियो

स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित

या

दिनांकित

दिवालियापन

एस. ओ.

15.05.2017

एस. ओ. 1910 (ई)

धारा 55 से धारा 58 (दोनों)

9 .

14.06.2017

समावेशी)

धारा 229 की धारा 227 (दोनों)

10 . 01.05.2018

एस. ओ. 1817 (ई)

समावेशी)

दिनांक एस. ओ. 4126 (ई)

धारा 2 (ई); धारा 78 (सिवाय

इसके कि

11. एस. ओ.

नई शुरुआत प्रक्रिया के संबंध में)

15.11.2019

(आक्षेपित

और धारा 79; धारा 94 से 187

तक

अधिसूचना)

[दोनों समावेशी]; धारा 239

(2)
(छ) से (i) तक; 239 (2) (मी) से

लागू किया गया

(जेडसी); धारा 240 (2)

(जेडएन) से (जेडएस);

01.12.2019

और धारा 249 केवल जहाँ तक

वे व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित हैं

निगमित कर्जदारों के लिए

79. उपरोक्त सारणीबद्ध चार्ट से पता चलता है कि संबंधित प्रावधान

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को जल्द से जल्द लागू किया गया था, अर्थात 05.08.2016। यह नियामक निकाय की स्थापना को सक्षम बनाने के लिए था ताकि यह प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने और [2021] 3 एस. सी. आर. में सन्निहित मानकों को विकसित करने का अपना कार्य शुरू कर सके।

नियम और विनियम। इसके बाद, भाग-IV के अध्याय VII और वित्त, अधिनियमों, लेखा परीक्षा और विविध प्रावधानों से संबंधित भाग-V के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया। ये बोर्ड के कामकाज के लिए सहायक प्रावधान थे। इसके बाद लागू होने वाली धाराएँ धारा 196-197 और धारा 223 के भाग थे, जो बोर्ड के कार्यों, इसकी निधियों आदि के साथ-साथ धारा 244, धारा 246-248 और धारा 250-252 से संबंधित थीं। इन से संबंधित सामान्य प्रावधान थे -

संहिता में निर्धारित अनुसूचियों के संदर्भ में विभिन्न अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले प्रावधान। चौथी अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 ने दिवाला पेशेवरों से संबंधित उन प्रावधानों को लागू किया

अभिकरण और कुछ अन्य प्रावधान जिन्होंने अन्य अधिनियमों में संशोधन किया।

80. 30.11.2016 की अधिसूचना ने कुछ प्रावधानों को लागू किया जिनका प्रभाव चार अलग-अलग श्रेणियों के संबंध में अधिनियम को लागू करने पर पड़ा, अर्थात इसके तहत निगमित कंपनियाँ कंपनी अधिनियम, विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियां, एलएलपी और किसी भी कानून के तहत निगमित अन्य निकाय जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। इन प्रावधानों ने कॉर्पोरेट देनदारों के साथ-साथ एलएलपी और अन्य कंपनियों और निगमों पर संहिता के अनुप्रयोग को प्रेरित किया। महत्वपूर्ण रूप से, स्वैच्छिक परिसमापन या दिवालियापन के संबंध में प्रावधानों को इस अधिसूचना द्वारा आवेदन से बाहर रखा गया था। उन प्रावधानों को तारीख की आठवीं अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था।

01.04.2017 , 15.05.2017 से प्रभावी। इस बीच, 15.12.2016 से प्रभावी 09.12.2016 की अधिसूचना ने धारा 33 से 44 को चालू कर दिया जो परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित है।

81. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अपनाई गई विधि में

विशिष्ट डिजाइन: संहिता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करना। स्पष्ट रूप से, केंद्र सरकार निगमित व्यक्तियों के संबंध में दिवालिया तंत्र प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए चिंतित थी। इसलिए, पहली तीन अधिसूचनाओं द्वारा, विनियामक निकाय की स्थापना, इसके कार्यों, शक्तियों से संबंधित प्रावधान और दिवाला पेशेवरों और एजेंसियों से संबंधित प्रावधानों के संचालन जैसे आवश्यक तंत्र को लागू किया गया था। इनसे वह तंत्र शुरू हुआ जिसके माध्यम से दिवाला प्रक्रियाएँ शुरू की गईं।

कानून द्वारा निष्पादित और विनियमित किया जाना। अगले चरण में, संहिता का वह भाग जो इसके विषयों में से एक से संबंधित है, अर्थात निगमित व्यक्ति [कवर किए गए]

संहिता की धारा 2 (ए) से 2 (डी)] को लागू किया गया था। दिवाला कार्यवाही के संचालन के लिए पूरी प्रक्रिया और ललित कुमार जैन बनाम से संबंधित प्रावधान।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऐसे निगमित व्यक्तियों को लागू किया गया था। अन्य अधिसूचनाएँ

कुछ परिणामी प्रावधानों के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जो संहिता को प्रबल प्रभाव देते हैं (साथ ही वे प्रावधान जो अन्य कानूनों में संशोधन या संशोधन करते हैं) लागू किए गए। ये सभी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार ने संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन किया, जिसमें विषय वस्तु और संहिता के दायरे में आने वाली समानताओं या विषमताओं को ध्यान में रखा गया था।

82. जैसा कि इस निर्णय के पिछले भाग में चर्चा की गई है, व्यक्तियों से संबंधित दिवालिया कार्यवाही संहिता के भाग-III द्वारा विनियमित की जाती है। 2018 के संशोधन से पहले, सभी व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटर) निगमित देनदार, फर्मों के भागीदार, साझेदारी फर्म और अन्य भागीदारों के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति जो या तो भागीदार थे या व्यक्तिगत गारंटर थे

निगमित देनदारियों के लिए) असंशोधित धारा 2 (ई) के तहत एक वर्णनात्मक विवरण के तहत आता है। असंशोधित धारा 60 में विचार किया गया कि व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में निर्णय लेने वाला प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. होना चाहिए। फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 2 ने सभी तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को एक छत्र वर्ग के भीतर लाया, केंद्र सरकार के लिए केवल व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में भाग-3 के प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू करना मुश्किल होता। यहीं पर केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्टों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कॉर्पोरेट देनदारों को व्यक्तिगत गारंटर देने की सिफारिश की थी

दिवाला प्रक्रिया का सामना करने वाले को भी उसी न्यायनिर्णायक द्वारा कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता थी। नतीजतन, 2018 के संशोधन अधिनियम ने धारा 2 (ई) को बदल दिया और व्यक्तियों की तीन श्रेणियों को उपवर्गीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप धारा 2 (ई), (एफ) और (जी) हैं। यह देखते हुए कि आई. डी. 1 की पूर्व अधिसूचना ने धारा 2 (ए) से 2 (डी) के तहत आने वाली संस्थाओं के संबंध में संहिता को लागू किया था, 2018 के संशोधन अधिनियम ने केंद्र सरकार को संहिता को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक समर्थन प्रदान किया, इस तरह से कि संशोधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉर्पोरेट ऋणदाताओं की दिवालियापन से निपटने वाले न्यायनिर्णायक निकाय के पास भी था

ऐसे निगमित देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों की दिवालिया कार्यवाही।

83. 2018 के संशोधन ने उस धारा 60 में भी बदलाव किया जिसमें परिसमापन और दिवालियापन से संबंधित दिवालियापन और दिवालियापन प्रक्रियाएं तीन श्रेणियों के संबंध में थीं, यानी कॉर्पोरेट देनदार, कॉर्पोरेट देनदारों के कॉर्पोरेट गारंटर और कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों पर उसी मंच, यानी NCLT द्वारा विचार किया जाना था।

84. धारा 2, अर्थात (विभिन्न संस्थाओं के संबंध में संहिता का अनुप्रयोग प्रावधान), जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, में एक अलग श्रेणी शामिल नहीं थी।

निगमित ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटर। इसके बजाय, व्यक्तिगत गारंटर एक श्रेणी या व्यक्तियों के समूह का हिस्सा थे, जिन पर संहिता लागू होती थी। (यानी धारा 2 (ई) के अनुसार व्यक्ति, स्वामित्व और साझेदारी फर्म, जिसमें "साझेदारी फर्म और व्यक्ति" कहा गया है)। कोड

यह कल्पना की गई कि भाग III के प्रावधानों में उल्लिखित दिवाला प्रक्रिया उन पर लागू होगी। 2017 के संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जो अंततः संशोधन अधिनियम में परिवर्तित हो गया, में कहा गया है कि संहिता व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान प्रदान करती है

" जिन्हें इन प्रावधानों के व्यापक प्रभाव के कारण चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। में

पहले चरण में, प्रावधानों को व्यक्तिगत तक बढ़ाया जाएगा

निगम ऋणदाताओं के गारंटरों को और मजबूत करने के लिए

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और एक स्पष्ट सक्षम

विधेयक में इस उद्देश्य के लिए प्रावधान किया गया है।

85. संशोधन ने धारा 2 (ई) यानी कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर को एक अलग श्रेणी के रूप में पेश किया, जिनके लिए

कोड लागू किया गया। अब, संशोधन को 23 नवंबर, 2017 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 1 में कहा गया है:

" खंड 1. (1) इस अधिनियम को दिवाला कहा जा सकता है और

दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2) यह 23 तारीख को लागू हुआ माना जाएगा।

नवंबर, 2017 का दिन "।

86. धारा 2 में संशोधन के अलावा, उसी संशोधन ने धारा 60 (2) में भी संशोधन किया। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि "व्यक्तिगत गारंटर" को परिभाषित नहीं किया गया था, और संहिता के तहत "व्यक्तिगत" के बड़े दायरे में आता था, दिवालिया प्रक्रिया और कॉर्पोरेट देनदारों और व्यक्तिगत

गारंटरों सहित कॉर्पोरेट व्यक्तियों के परिसमापन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. था-यहां तक कि अपरिवर्तित संहिता के तहत भी। धारा 60 (2) के संशोधन ने कुछ अवधारणाओं को जोड़ा। यह सबसे अच्छी तरह से अपरिवर्तित और संशोधित प्रावधानों के संयोजन पर समझा जाता है: असंशोधित धारा 60 (2) इस प्रकार है:

" (2) उप-धारा (1) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और इस ललित कुमार जैन v में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद।

भारत और ओआरएस का संघ।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

संहिता, जहाँ एक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या

निगमित देनदार की परिसमापन कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, जो दिवाला समाधान या दिवालियापन से संबंधित एक आवेदन है।

निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर की कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून के समक्ष दायर की जाएगी।

न्यायाधिकरण "।

संशोधित धारा 60 (2) इस प्रकार है:

" (2) उप-धारा (1) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और इसमें निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद
संहिता, जहाँ एक निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या एक निगमित देनदार की परिसमापन कार्यवाही राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, दिवाला समाधान या परिसमापन से संबंधित एक आवेदन या

निगमित गारंटर या व्यक्तिगत दिवालियापन

यथास्थिति, ऐसे निगमित देनदार के गारंटर को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाएगा।

87. संशोधन में "या परिसमापन" शब्द जोड़ा गया।

"या दिवालियापन" शब्दों से पहले और "ऐसे निगमित देनदार" की, जैसा भी मामला हो, निगमित गारंटर की अभिव्यक्ति भी अंत:स्थापित की गई। इस अभिव्यक्ति की व्याख्या प्रासंगिक होनी चाहिए। व्यक्तिगत गारंटर, एक व्यक्ति के परिसमापन का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे मामलों में, इस अदालत ने फैसला सुनाया है कि उक्ति "रिडडेंडो सिंगुलर सिंगुलिस" के पीछे का सिद्धांत लागू होता है। इस अदालत ने कोटेश्वर विट्ठल कामत बनाम में कहा था। के. रंगप्पा बालिगा एंड कंपनी 2 ने उस सिद्धांत का अर्थ समझाने के लिए ब्लैक की इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज़ को उद्धृत किया:

" जहाँ एक कानून में एक वाक्य में कई पूर्ववृत्त शामिल हैं

और कई परिणाम, उन्हें पढ़ा जाना है

वितरणात्मक रूप से, अर्थात, प्रत्येक वाक्यांश या अभिव्यक्ति है

अपने उपयुक्त उद्देश्य को संदर्भित किया जाए।

कोटेश्वर विट्ठल कामत व्याख्या से संबंधित थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के परंतुक में प्रावधान किया गया है कि:

" बशर्ते कि के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन नहीं

खंड (ख) राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत या प्रस्तुत किया जाएगा।

62 (1969) 1 एससीसी 255।

"कोई विधेयक या संशोधन नहीं" शब्द का अर्थ वितरण के रूप में किया गया था।

अदालत ने कहा कि

" हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने सही नहीं किया

स्थिति की सराहना करें। निर्माण के नियमों के साथ हिंसा किए बिना परंतुक की भाषा की व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए तरीके से नहीं की जा सकती है। यदि दोनों शब्द "प्रस्तुत" या "स्थानांतरित" को संदर्भित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं

विधेयक में, यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि वे दोनों शब्द "संशोधन" शब्द को भी संदर्भित करेंगे। इसके बावजूद, संशोधन पेश करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।

संशोधन पेश किए जाते हैं और फिर, यदि सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो इसे पारित होने से पहले विधेयक में शामिल किया जाता है। संविधान में ही एक और संकेत है कि जहाँ भी

एक विधेयक का संदर्भ दिया जाता है, एकमात्र कदम जिसकी परिकल्पना की गई है वह है विधेयक को पेश करना। विधेयक पेश किए जाने जैसे कदम का कोई संदर्भ नहीं है। लेख, जिनके बारे में सूचित किया जाता है

इस संबंध में अनुच्छेद 109,114,117,198 और 207 लिए जा सकते हैं। इन सभी अनुच्छेदों में जो भी निषेध निर्धारित किया गया है, वह संविधान में किसी विधेयक को पेश करने से संबंधित है।

विधायिका। किसी भी स्तर पर किसी विधेयक को सदन में पेश किए जाने का कोई संदर्भ नहीं है। इस प्रकार संविधान में उपयोग की गई भाषा स्पष्ट रूप से इस व्याख्या की ओर इशारा करती है कि,

अनुच्छेद 304 के परंतुक में, "प्रस्तुत" शब्द विधेयक को संदर्भित करता है, जबकि "स्थानांतरित" शब्द को संदर्भित करता है -

संशोधन "।

निगमित देनदार) और व्यक्तिगत गारंटर (निगमित देनदार) वितरण के लिए आवेदन करते हैं, यानी कि दिवाला समाधान, या परिसमापन प्रक्रिया निगमित देनदार और उनके निगमित गारंटरों पर लागू होती है, जबकि दिवाला समाधान और दिवालियापन प्रक्रियाएँ व्यक्तिगत मामलों पर लागू होती हैं।

गारंटर, (कॉर्पोरेट देनदारियों के लिए) जिन्हें परिसमापन के अधीन नहीं किया जा सकता है।

89. याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत मामला कानून एक निश्चित पैटर्न दिखाता है। कई मामलों में (दिल्ली कानून अधिनियम, जितेंद्र कुमार गुप्ता) 63 (2020) 13 एससीसी 208।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि वर्तमान या भविष्य के कानून का विस्तार करने की शक्ति, जिसे सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था, और शक्ति

निरसन के साथ-साथ कानून के जीवन को बढ़ाने की शक्ति, विधायी शक्ति के अत्यधिक प्रत्यर्पण के उदाहरण थे। नरोत्तमदास जेठाभाई में

(ऊपर), इस न्यायालय ने शहर के दीवानी न्यायालयों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र के विस्तार को वैधानिक रूप से निर्धारित सीमा से परे बरकरार रखा, क्योंकि इसे सक्षम करने वाला एक प्रावधान था, और कार्यपालिका ने अधिनियमित सीमाओं के भीतर अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति के प्रयोग को सीमित कर दिया था। हमदरद

कार्यपालिका को अधिनियम को चरणों में लागू करने का काम सौंपा गया है, क्योंकि "विधायिका के लिए किन क्षेत्रों में निर्णय लेना असंभव होता। और किन विषयों के संबंध में (उस मामले में, कारखानों और प्रतिष्ठानों) प्रावधान लागू हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, यह माना गया था कि "इस तरह की योजना, हालांकि बहुत लाभकारी है, पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं की जा सकती है"। इसके अलावा, इस अदालत ने कहा कि इस तरह के प्रावधानों को "सावधान प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है जिसे कुछ समय के लिए चरणों और विभिन्न चरणों में अपनाया जाना चाहिए।"

90. जावेद बनाम में कानून या कानूनी सिद्धांतों के क्रमिक कार्यान्वयन के विषय के बारे में भी बात की गई थी। हरियाणा राज्य "इस न्यायालय द्वारा,

जिसमें कहा गया था कि कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है कि किसी कानून या नीति को एक साथ लागू किया जाना चाहिए:

" 16. केंद्र या किसी राज्य द्वारा एक समान नीति तैयार की जा सकती है। हालांकि, कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है कि कोई

ऐसी नीति को एक बार में लागू किया जाना चाहिए। नीतियाँ चरणबद्ध तरीके से लागू करने में सक्षम हैं। इससे भी अधिक, जब नीतियों के दूरगामी निहितार्थ होते हैं और वे गतिशील प्रकृति की होती हैं, तो चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन स्वागत योग्य होता है क्योंकि इसे धीरे-धीरे स्वेच्छा से स्वीकृति मिलती है और

कम प्रतिरोध को आमंत्रित करता है।

64 (2003) 8 एससीसी 369।

पन्नालाल बंसीलाल में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थीं।

पिट्टी वी। A.P.65 की स्थिति जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कुछ क्षेत्रों या विषयों में एक समान कानून लागू करना प्रतिकूल और सार्वजनिक उद्देश्य के विपरीत हो सकता है। सबनायगम (ऊपर) ने भी विवेक पर जोर दिया

एक अधिनियम का विस्तार, समय, संचालन के क्षेत्र और इसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए जब इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी शक्ति "प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में सीमित और लगभग मंत्री कार्य है।

उचित समय पर क्षेत्र में अधिनियम को लागू करने वाला विधानमंडल "

91. व्यक्तिगत गारंटरों की निकटता या परस्पर संबंध

फर्मों में व्यक्तियों और भागीदारों के विपरीत, कॉर्पोरेट देनदारों के साथ कार्य समूह की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, जिसमें टिप्पणी की गई थी कि:

" यह पहचानता है कि गतिशीलता, आपस में जुड़ा हुआ संबंध निगमित देनदार और एक गारंटर (जिसने अपना कार्यकाल बढ़ाया है)

निगमित देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटी) और व्यावसायिक गतिविधियों में लगी साझेदारी फर्मों पर हो सकता है

वास्तविकता में विशिष्ट आधार, और इसलिए, इसकी आवश्यकता होगी

आर्थिक विचारों के कारण अलग-अलग उपचार। परिसंपत्तियाँ

समाधान प्रक्रिया के लिए गारंटर प्रासंगिक होगा।

निगमित ऋणी का। वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार, ज्यादातर गारंटी में एक शामिल होगा

गारंटर और वित्तीय के बीच की वाचा लेनदार, गारंटर भी एक प्रमुख देनदार होता है,

इसके बावजूद कि वह एक कॉर्पोरेट देनदार का गारंटर है।

(जोर दिया गया)

92. जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 60 पहले मूल के तहत थी

संहिता ने एन. सी. एल. टी. को दो श्रेणियों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में नामित किया: निगमित देनदारियों और निगमित देनदारियों के लिए व्यक्तिगत गारंटर। 2018 के संशोधन में एक और श्रेणी जोड़ी गई: निगमित निगमित देनदारियों के लिए गारंटर। रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में देखा गया संशोधन, वास्तव में संहिता की योजना (यानी, धारा 2 (ई), धारा 5 (22), धारा 29ए और धारा 60) के रूप में, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे सभी मामले जो किसी कॉर्पोरेट देनदार को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना रखते थे।

दिवाला प्रक्रिया को एक साथ जोड़ने और एक ही मंच के समक्ष लाने की मांग की गई थी। धारा 5 (22) जो भाग 2 में पाई जाती है।

(निगमित ऋणदाताओं के संबंध में दिवाला प्रक्रिया प्रावधान) जैसा कि मूल रूप से, व्यक्तिगत गारंटर को यह कहने के लिए परिभाषित किया गया था कि इसका अर्थ है एक व्यक्ति। 65 (1996) 2 एससीसी 498।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक निगमित देनदार के लिए गारंटी के अनुबंध में जमानत है।इस निर्णय के उद्देश्य के लिए दो और प्रावधान प्रासंगिक हैं। संहिता की धारा 234 और 235 इस प्रकार हैं:

" 234. (1) केंद्र सरकार इसमें प्रवेश कर सकती है

भारत के बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ समझौता

इस संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि इस संहिता के प्रावधानों का निगमित देनदार या देनदार की परिसंपत्तियों या संपत्ति के संबंध में, जिसमें एक निगमित देनदार का व्यक्तिगत गारंटर भी शामिल है, भारत के बाहर किसी देश में किसी भी स्थान पर स्थित है, जिसके साथ पारस्परिक व्यवस्था की गई है, ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो निर्दिष्ट की जा सकती हैं। 235. (1) इस संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद या

तत्समय प्रवृत्त कोई विधि यदि,

दिवाला समाधान प्रक्रिया, या परिसमापन या दिवालियापन की कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, इस संहिता के तहत, समाधान पेशेवर, परिसमापक या दिवालियापन ट्रस्टी, के रूप में

(2) एक आवेदन की प्राप्ति पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उप-धारा (1) के तहत और यह संतुष्ट होने पर कि दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन के संबंध में उप-धारा (1) के तहत परिसंपत्तियों से संबंधित साक्षय या कार्रवाई की आवश्यकता है।

या दिवालियापन की कार्यवाही, किसी अदालत या ऐसे देश के प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है जो इससे निपटने के लिए सक्षम हो।

ऐसी मांग।

93. इन दोनों प्रावधानों से यह भी पता चलता है कि संहिता की योजना में यह विचार किया गया था कि किसी निगमित देनदार या उसके गैर-गारंटर की विदेशी परिसंपत्तियों से वेन्सी कार्यवाही के दौरान समान तरीके से निपटा जा सकता है, जिसमें ऐसे परिसंपत्तियों से निपटने के उद्देश्य से अन्य देशों में अदालतों को अनुरोध पत्र जारी करना भी शामिल है।

जो उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं।

94. आक्षेपित अधिसूचना संहिता को तब तक कार्यान्वित करती है जब तक कि यह कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित है:

(2) धारा 94 से 187 में निर्णय से पहले व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के संबंध में पूरी संरचना की रूपरेखा दी गई है। प्राधिकरण।

95. विवादित अधिसूचना केंद्र सरकार और बोर्ड को नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए अधिकृत करती है कि कैसे एक कॉर्पोरेट देनदार को व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ लंबित कार्रवाई की अनुमति दी जाए। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। अधिसूचना का उद्देश्य, प्रत्यक्ष रूप से, लंबित कार्यवाही को संहिता के संदर्भ में निर्णय लेने की अनुमति देना है। धारा 243, जो व्यक्तिगत दिवाला कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान करती है, को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। धारा 60 (2) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी निगम के खिलाफ चल रही समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया की स्थिति में

देनदार, समाधान प्रक्रिया के लिए एक आवेदन या कॉर्पोरेट देनदार को व्यक्तिगत गारंटर के दिवालियापन को समाधान प्रक्रिया या परिसमापन के जब्त किए गए संबंधित एन. सी. एल. टी. के साथ दायर किया जाएगा। इसलिए, व्यक्तिगत गारंटरों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. होगा, यदि एक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में एक समानांतर समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया लंबित है, जिसके लिए गारंटी दी गई है। यही तर्क धारा 60 (3) के तहत भी लागू होता है, जब किसी अदालत या न्यायाधिकरण में व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ लंबित कोई दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ समाधान प्रक्रिया या परिसमापन शुरू किया जाता है। इस प्रकार यदि ए, एक व्यक्ति डी. आर. टी. के समक्ष समाधान प्रक्रिया का विषय है और उसने एक कंपनी बी द्वारा बकाया ऋण के लिए एक व्यक्तिगत गारंटी प्रस्तुत की है, यदि एक एन. सी. एल. टी. में बी के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो प्रावधान के परिणामस्वरूप डी. आर. टी. में ए के खिलाफ चल रही कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

96. वी. रामकृष्णन (ऊपर) में इस अदालत ने देखा कि क्यों

धारा 60 (2) के तहत आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस समय न तो संहिता के भाग III और न ही धारा 243 को अधिसूचित किया गया था। इसका मतलब था कि व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही एन. सी. एल. टी. के बाहर थी

और कोड। धारा 238 के तहत गैर-अबाधित प्रावधान संहिता को अन्य प्रचलित अधिनियमों पर प्रबल प्रभाव देता है। जहाँ तक निगमित व्यक्तियों के व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, धारा 243 को

अधिसूचित नहीं करने का शायद यही तर्क है। धारा 243 (2) लंबित ललित कुमार जैन बनाम को बचाती है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निरस्त किए गए अधिनियमों (पी. आई. ए. और पी. टी. आई. अधिनियम) के तहत कार्यवाही उन अधिनियमों के अनुसार की जाएगी। अब तक धारा 243 को अधिसूचित नहीं किया गया है। यदि धारा 243 अधिसूचित की जाती है और उन दोनों अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाता है, तो वर्तमान अधिसूचना का प्रभाव नहीं पड़ता

व्यक्तियों के खिलाफ लंबित कार्यवाही को शामिल करना, जैसे कि व्यक्तिगत

अन्य मंचों में गारंटर, और उन्हें व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित संहिता के प्रावधानों के तहत लाएंगे।

गारंटर। धारा 238 में अबाधित खंड के परिणामस्वरूप, आक्षेपित अधिसूचना का परिणाम यह है कि यदि कोई कार्यवाही

व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ शुरू किया जाना था यह संहिता के तहत होगा।

97. इस अदालत की राय में, 2018 के संशोधन से पहले केंद्र सरकार के लिए पर्याप्त विधायी मार्गदर्शन था व्यक्तिगत गारंटरों को अलग करने और वर्गीकृत करने के लिए प्रभावी बनाया गया था

अन्य व्यक्तियों से अलग। यह धारा 5 (22), 60,234,235 और असंशोधित धारा 60 से स्पष्ट है। वी. रामकृष्णन (ऊपर) में इस अदालत ने संहिता के विभिन्न प्रावधानों के प्रभाव और वे व्यक्तिगत गारंटरों पर कैसे लागू होते हैं, इस पर ध्यान दिया:

" 22. हमें डर है कि जिन खंडों पर भरोसा किया गया है, उन्हें ध्यान से पढ़ने पर इस तरह के तर्कों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। संहिता की धारा 60, इसकी उप-धारा (1) में, दिवालियापन को संदर्भित करती है।

निगम ऋणदाताओं और दोनों के लिए समाधान और परिसमापन

व्यक्तिगत गारंटर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी जिसके लिए

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण होगा, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा जहाँ निगमित व्यक्ति का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। यह उप-धारा केवल इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह न्यायाधिकरण का पता लगाती है जिसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

निगमित देनदारियों के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में। जहाँ तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, हमने देखा है कि भाग III को लागू नहीं किया गया है, और न ही धारा 243 है, जो प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 को निरस्त करती है। इसका शुद्ध परिणाम यह है कि जहां तक व्यक्तिगत गारंटरों का संबंध है, उनके खिलाफ उपरोक्त

दो दिवाला अधिनियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, न कि संहिता के तहत। वास्तव में, 28-8-2017 दिनांकित एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के माध्यम से, आगाह किया कि संहिता की धारा 243, जो [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए प्रावधान करती है।

उक्त अधिनियमों के निरसन को आज तक अधिसूचित नहीं किया गया है, और आगे, कि संहिता के भाग III में निहित व्यक्तियों और साझेदारी के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन से संबंधित प्रावधानों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, यह सलाह दी गई कि जो हितधारक अपने दिवालिया मामलों को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं, वे उपयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से संपर्क करने के बजाय, मौजूदा अधिनियमों के तहत प्राधिकरण/न्यायालय।

23. यही कारण है कि धारा 60 की उप-धारा (2) एक निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के "दिवालियापन" से संबंधित आवेदन की बात करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी दिवालियापन कार्यवाही केवल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी। उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील का तर्क है कि "दिवालियापन"

इसमें शामिल होगा कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि "दिवालियापन" का संदर्भ केवल ऊपर उल्लिखित दो दिवाला अधिनियमों से है। इस प्रकार, गारंटर के खिलाफ सरफेसी कार्यवाही सरफेसी अधिनियम के तहत जारी रह सकती है। इसी तरह, उप-धारा (3) किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में लंबित निगमित देनदार के व्यक्तिगत गारंटर की दिवालियापन कार्यवाही की बात करती है, जो न्यायनिर्णायक को हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन कार्यवाही से निपटने वाला प्राधिकरण। एक "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण", जिसे धारा 5 (1) के तहत परिभाषित किया गया है

संहिता का अर्थ है राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत।

24. धारा 60 (2) और (3) की योजना इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस क्षण 2016 की संहिता के तहत निगमित देनदार के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ कोई भी दिवालियापन कार्यवाही, यदि पहले से ही निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही से पहले शुरू की गई है, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को अंतरित किया जाए या यदि निगमित देनदार के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरू किया गया हो, तो केवल राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में दायर किया जाए। हालाँकि, न्यायाधिकरण को ऐसी कार्यवाही का निर्णय केवल प्रेसीडेंसी कस्बों के अनुसार करना है

दिवाला अधिनियम, 1909 या प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920, जैसा भी मामला हो। यह स्पष्ट है कि उप-धारा (4), जो ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जैसा कि भाग III के तहत विचार किया गया है इस संहिता की, उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए,

प्रभावी हो क्योंकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण अभी तक लागू नहीं हुआ है

उनके खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही सुनने का अधिकार

संहिता की धारा 17 के तहत व्यक्ति, जैसा कि उक्त धारा में कहा गया है

धारा 249, के परिणामी संशोधन से संबंधित ऋण वसूली अधिनियम ऋण वसूली को सशक्त बनाने के लिए

इस तरह की कार्यवाही का परीक्षण करने के लिए न्यायाधिकरण भी नहीं लाए गए हैं बलपूर्वक। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 2 (ई), जिसे 23-11-2017 पर लागू किया गया था, जब यह संदर्भित करता है

एक के व्यक्तिगत गारंटर को कोड का आवेदन निगमित देनदार, केवल सीमित उद्देश्य के लिए आवेदन करें

धारा 60 (2) और (3) में, जैसा कि ऊपर बताया गया है। यही बात है।

इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट दिवाला संकल्प को मजबूत करना है संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों के विवरण में प्रक्रिया,

2018. "

चूंकि संहिता व्यक्तियों (व्यक्तिगत गारंटरों सहित) पर लागू नहीं की गई थी, इसलिए अदालत के पास इस बात पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था कि क्या होगा संहिता की धारा 1 (3) के तहत शक्ति के प्रयोग का प्रभाव, व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में ऐसे प्रावधानों को लागू करना।

99. यह तर्क कि दिवाला प्रक्रियाएँ, का अनुप्रयोग

66 “ 179. (1) धारा 60 के प्रावधानों के अधीन, व्यक्तियों और फर्मों के दिवालिया मामलों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऋण वसूली न्यायाधिकरण होगा। उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होना जहाँ व्यक्तिगत ऋणी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस संहिता के तहत एक आवेदन प्राप्त कर सकता है।

एन. सी. एल. टी. जहाँ निगमित देनदारियों से संबंधित कार्यवाही लंबित है। इसके अलावा, धारा 60 (3) व्यक्तिगत गारंटरों से संबंधित कार्यवाही को उस एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है जो निगमित देनदारियों के खिलाफ कार्यवाही। एक सामान्य निर्णय मंच प्रदान करने के बाद, धारा 60 (4) एन. सी. एल. टी. को डी. आर. टी. की सभी शक्तियों के साथ निहित करती है, जैसा कि इस संहिता के भाग III के तहत विचार किया गया है।

उप-धारा (2) का उद्देश्य। इस प्रकार धारा 60 (4) (ए) डी. आर. टी. की सभी शक्तियां एन. सी. एल. टी. के पास निहित करती है और (बी) एन. सी. एल. टी. को भी भाग के तहत शक्तियां निहित करती है।

III. इसलिए संसद ने भाग III के प्रावधानों को भाग II के तहत निगमित देनदारों के खिलाफ की गई प्रक्रिया के साथ विलय कर दिया। धारा 60 (2) का उद्देश्य, अर्थात निगमित देनदारों के साथ व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ कार्यवाही। धारा 179 भाग 3 में संबंधित प्रावधान है। यह धारा 60 के प्रावधानों के अधीन है। धारा 60 (4) स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत गारंटरों के खिलाफ एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही के संबंध में भाग III के प्रावधानों को शामिल करती है।

100. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संसदीय इरादा व्यक्तिगत गारंटरों के साथ अन्य श्रेणियों से अलग व्यवहार करना था।

व्यक्तियों। ऐसे व्यक्तियों और निगमित संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संबंध, जिनके लिए वे गारंटी देते थे, साथ ही साथ दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को विभिन्न मंचों पर किए जाने की संभावना, इसके परिचर अनिश्चित परिणामों के साथ, व्यक्तिगत गारंटरों को व्यक्तियों की एक अलग प्रजाति के रूप में तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जिनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निगमित देनदार के साथ समान था, जिसके लिए वे खड़े थे। गारंटी। तथ्य यह है कि भाग III में दिवाला की प्रक्रिया होनी है

(2) ऋण वसूली न्यायाधिकरण को, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस पर विचार करने या निपटान करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(क) व्यक्तिगत ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(ख) व्यक्तिगत ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा;

(ग) व्यक्तिगत देनदार की दिवाला और दिवालियापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली प्राथमिकताओं या किसी अन्य प्रश्न, चाहे वह कानून या तथ्यों का हो, या

इस संहिता के तहत फर्म। (3) सीमा अधिनियम, 1963 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सीमा की अवधि की गणना करने में

ऋणी के नाम से और उसकी ओर से निर्दिष्ट किसी वाद या आवेदन के लिए जिसके लिए इस भाग के तहत अधिस्थगन का आदेश दिया गया है, उस अवधि के दौरान जिसके दौरान ऐसी अधिस्थगन लागू है, को बाहर रखा जाएगा।

व्यक्तियों पर लागू किया जाता है, जबकि भाग II में निर्धारित निगमित देनदारों के संबंध में प्रक्रिया ऐसे निगमित व्यक्तियों पर लागू की जानी है, जिससे विसंगति नहीं होती है। दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि दिवाला प्रक्रियाओं के निर्णय के लिए मंच-जिसके प्रावधान अलग-अलग हैं-सामान्य क्यों है, इसके ठोस कारण हैं। अर्थात एन. सी. एल. टी. के माध्यम से। जैसा कि सुनवाई के दौरान जोर दिया गया था, एन. सी. एल. टी. उपलब्ध परिसंपत्तियों की प्रकृति के बारे में पूरी तस्वीर पर विचार करने में सक्षम होगा, या तो कॉर्पोरेट देनदार की दिवालिया प्रक्रिया के दौरान, या बाद में भी; यह सी. ओ. सी. को वास्तविक योजनाएं तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा, व्यक्तिगत गारंटरों से लेनदारों के बकाया के कुछ हिस्से को प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए।

101. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना विधायी अभ्यास का एक उदाहरण नहीं है, या

संहिता के प्रावधानों का अस्वीकार्य और चयनात्मक अनुप्रयोग। संहिता में कोई बाध्यता नहीं है कि इसे एक ही समय में सभी व्यक्तियों (व्यक्तिगत गारंटरों सहित) पर लागू किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। संहिता में धारा 2 (ई), धारा 5 (22), धारा 60 और धारा 17 द्वारा पर्याप्त संकेत है कि व्यक्तिगत गारंटर, हालांकि व्यक्तियों के बड़े समूह का हिस्सा हैं, लेकिन कॉर्पोरेट देनदारों के साथ उनके आंतरिक संबंध को देखते हुए, एक ही न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से और एक ही मंच द्वारा (हालांकि दिवालिया प्रावधान नहीं) ऐसे कॉर्पोरेट देनदारों के रूप में अलग तरीके से निपटा जाना था। धारा 1 (3) (विवादित अधिसूचना जारी होने से पहले जारी) के तहत अधिसूचनाओं से पता चलता है कि संहिता को उन व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में चरणों में लागू किया गया था, जिनके लिए इसके प्रावधानों को लागू किया जाना था। विवादित अधिसूचना, इसी तरह अन्य बातों के साथ-साथ संहिता के प्रावधानों को कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में लागू करती है, जैसे कि व्यक्तियों की एक अन्य ऐसी श्रेणी जिनके लिए संहिता का विस्तार किया गया है। यह माना जाता है कि विवादित अधिसूचना संसद द्वारा दी गई शक्ति के भीतर और इसके वैध प्रयोग में जारी की गई थी। इसलिए, धारा 1 (3) के तहत विवादित अधिसूचना जारी करने में शक्ति का प्रयोग अधिकार से बाहर नहीं है; अधिसूचना वैध है।

102. इस अदालत के समक्ष पक्षकारों ने जो दूसरा सवाल पूछा था, वह यह था कि संहिता को व्यक्तिगत मामलों में लागू करके विवादित अधिसूचना जारी की गई थी।

केवल गारंटर, कानून द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को छीन लेते हैं; संदर्भ

अनुबंध अधिनियम की धारा 128,133 और 140 के लिए बनाया गया था; याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि एक बार समाधान योजना स्वीकार हो जाने के बाद, कॉर्पोरेट देनदार को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। नतीजतन, गारंटर जिसका दायित्व प्रमुख देनदार यानी कॉर्पोरेट देनदार के साथ सह-व्यापक है, वह भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

21] 3 एस सी आर।

सभी देनदारियों का निर्वहन। इसलिए यह आग्रह किया गया कि विवादित अधिसूचना जो संहिता के भाग III के प्रावधानों को लागू करके एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही की अनुमति देने का प्रभाव रखती है, गारंटरों को उनके मूल्यवान मूल अधिकारों से वंचित करती है।

103. संहिता की धारा 31, अन्य बातों के साथ, प्रदान करती है कि:

धारा 30 की उप-धारा (4) के तहत आवश्यकताओं को पूरा करता है: धारा 30 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट, यह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित करेगा जो इस पर बाध्यकारी होगी -

निगमित देनदार और उसके कर्मचारी, सदस्य, लेनदार, गारंटर और समाधान में शामिल अन्य हितधारक

योजना "।

भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निकाला जाता है।

नीचे:

" 128. स्यूरिटी का दायित्व। मुचलका का दायित्व प्रमुख देनदार के दायित्व के साथ व्यापक है, जब तक कि यह

अन्यथा अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया।

129. " निरंतर गारंटी-एक गारंटी जो लेनदेन की एक श्रृंखला तक फैली हुई है, उसे "निरंतर गारंटी" कहा जाता है। 130. निरंतर गारंटी को निरस्त करना। - एक निरंतर गारंटी किसी भी समय मुचलकेदार द्वारा रद्द की जा सकती है, क्योंकि

भविष्य के लेन-देन, लेनदार को सूचना द्वारा।

131. जमानतदार की मृत्यु द्वारा निरंतर गारंटी को रद्द करना।

प्रतिभूति की मृत्यु, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध के अभाव में, एक निरंतर गारंटी के निरसन के रूप में कार्य करती है,

133. अनुबंध के संदर्भ में भिन्नता द्वारा जमानत का निर्वहन। मूलधन [देनदार] और लेनदार के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मुचलकेदार की सहमति के बिना किया गया कोई भी विचलन, विचलन के बाद के लेनदेन के रूप में मुचलके का निर्वहन करता है।

134. प्रमुख देनदार को जारी या निर्वहन द्वारा मुचलका का निर्वहन। प्रतिभूति का निर्वहन लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच किसी भी अनुबंध द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा प्रमुख ललित कुमार जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

देनदार को रिहा किया जाता है, या लेनदार के किसी भी कार्य या चूक से, जिसका कानूनी परिणाम ऋण का निर्वहन होता है।

प्रमुख देनदार।

140. भुगतान या निष्पादन पर मुचलके के अधिकार। — जहां एक गारंटीकृत ऋण देय हो गया है, या प्रमुख देनदार का एक गारंटीकृत शुल्क का पालन करने के लिए चूक हुई है, भुगतान या उन सभी के प्रदर्शन पर जमानत जो वह उत्तरदायी है, उन सभी अधिकारों के साथ निवेश किया जाता है जो लेनदार के पास थे।

प्रमुख देनदार के विरुद्ध।

141. लेनदार की प्रतिभूतियों का लाभ उठाने का प्रतिभूति का अधिकार। प्रतिभूति उस प्रत्येक प्रतिभूति के लाभ का हकदार है जो प्रतिभूति का अनुबंध किए जाने के समय प्रधान देनदार के खिलाफ लेनदार के पास होती है, क्या प्रतिभूति को ऐसी प्रतिभूति के अस्तित्व के बारे में पता है या नहीं; और यदि लेनदार हार जाता है, या, प्रतिभूति की सहमति के बिना, ऐसी प्रतिभूति वाले भाग, प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक प्रतिभूति का निर्वहन किया जाता है।

जिनके समक्ष सी. ओ. सी. याचिकाओं को स्वीकार या अस्वीकार करता है, वे एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपनी शिकायतें रखने के हकदार हैं। उनकी प्रस्तुतियों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, समाधान योजना को स्वीकार और अनुमोदित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी से लेनदारों और अन्य लोगों के दावों के रूप में अंतिमता होती है (अर्थात। कंपनी जो दिवाला प्रक्रिया से गुजरती है)। याचिकाकर्ता जिस प्रश्न का आग्रह करते हैं, वह यह है कि इस अंतिमता को देखते हुए, उनकी देनदारियों को समाप्त कर दिया जाएगा; वे अनुबंध अधिनियम की धारा 128,133 और 140 पर भरोसा करते हैं ताकि यह आग्रह किया जा सके कि लेनदार उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

105. विजय कुमार जैन बनाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ", इस अदालत ने लेनदारों की समिति की बैठकों में भाग लेने वाले पूर्व निदेशकों के अधिकार पर विचार करते हुए कहा कि:

" हम पाते हैं कि संहिता की धारा 31 (1) यह स्पष्ट करेगी कि पूर्ववर्ती निदेशक मंडल के ऐसे सदस्य, जो अक्सर गारंटर होते हैं, समाधान योजना में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखते हैं।

21] 3 एस सी आर।

इस तरह की समाधान योजना उन्हें बांधती है। इस तरह की योजना व्यापक हो सकती है।

प्रमुख देनदार के ऋण को कम करना, जिसके परिणामस्वरूप गारंटर के ऋण को भी कम करना पड़ता है, या ऐसा नहीं भी हो सकता है। समाधान योजना कुछ ऋणों को भी कम कर सकती है न कि अन्य, जिससे ऋण की पूरी राशि के लिए बाद के प्रकार के ऋणों के गारंटर उजागर हो जाते हैं। विनियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये व्यक्ति समाधान में महत्वपूर्ण रूप से रुचि रखते हैं।

योजनाएँ जो उन्हें प्रभावित करती हैं "

106. सी. ओ. सी. की बैठकों में निदेशकों को भाग लेने की अनुमति देने का तर्क यह है कि व्यक्तिगत गारंटर के रूप में निदेशकों का दायित्व बना रहता है।

लेनदारों के खिलाफ और एक अनुमोदित समाधान योजना से केवल राशि का संशोधन या पूरी राशि के लिए जोखिम हो सकता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 133 के तहत अनुबंध के संदर्भ में भिन्नता के कारण जमानतदार के दायित्व का निर्वहन करने के लिए कोई भी उपाय, उसकी या उसकी सहमति के बिना, इस अदालत द्वारा वी. रामकृष्णन में अस्वीकार किया जाता है, जहां यह देखा गया था कि धारा 31 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि स्वीकृत योजना गारंटर पर बाध्यकारी है, ताकि बचने के किसी भी प्रयास से बचा जा सके।

अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायित्व। यह देखा गया कि -

" 25. धारा 31 (1), वास्तव में, यह स्पष्ट करती है कि गारंटर समाधान योजना के रूप में भुगतान से बच नहीं सकता है, जो अनुमोदित, ऐसे गारंटर द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रावधान अच्छी तरह से शामिल हो सकते हैं।

और आगे कहते हैं:

" 26.1 धारा 14 केवल निगमित देनदारियों द्वारा देय ऋणों को संदर्भित करती है,

जो सीमित देयता कंपनी हैं, और यह स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में, व्यक्तिगत गारंटी उन निदेशकों द्वारा दी जाती है जो कंपनियों के प्रबंधन में होते हैं। संहिता का उद्देश्य ऐसे गारंटरों को इससे बचने की अनुमति नहीं देना है।

पूरे बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए एक स्वतंत्र और सह-व्यापक दायित्व, यही कारण है कि धारा 14 लागू नहीं होती है

संबंधित, व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में गारंटी उन व्यक्तियों द्वारा दी जाती है जिनके पास उन्हें चुकाने के लिए असीमित दायित्व होता है। और ऐसे गारंटर ऋणी के लिए पूरी तरह से अजनबी हो

सकते हैं-अक्सर यह एक व्यक्तिगत मित्र हो सकता है। यही कारण है कि

धारा 101 में उल्लिखित अधिस्थगन इस प्रकार होगा -

व्यक्ति, इस तरह की अधिस्थगन ऋण के संबंध में है और नहीं

कर्जदार।

ललित कुमार जैन बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

107. एस्सार स्टील (आई) लिमिटेड के लेनदारों की समिति में v. सतीश कुमार गुप्ता 68 ("एस्सार स्टील मामला") इस अदालत ने वित्तीय लेनदारों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया; यह निम्नानुसार देखा गया:

" 106. वी. रामकृष्णन में इस फैसले के बाद

मामला [एस. बी. आई. बनाम. वी. रामकृष्णन, (2018) 17 एस. सी. सी. 394], श्री रोहतगी के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि

समाधान योजना जो बताती है कि के दावे

अधीनता के कारण गारंटर को बुझा दिया जाएगा,

जो लंबित मुकदमेबाजी को प्रभावित कर सकता है इन गारंटियों का आह्वान। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय संहिता की धारा 31 (1) और इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत है।

वी. रामकृष्णन मामले में निर्णय [एस. बी. आई. बनाम. वी. रामकृष्णन,

(2018) 17 एस. सी. सी. 394], अलग रखा गया है।'

गारंटर का दायित्व। जहां तक देयता की प्रकृति और विस्तार का सवाल है, बहुत कुछ गारंटी की शर्तों पर ही निर्भर करेगा। हालांकि, इस अदालत ने बार-बार संकेत दिया है कि प्रमुख देनदार का अनैच्छिक कार्य जिससे प्रतिभूति का नुकसान होता है, किसी गारंटर को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त) में गारंटर के दायित्व (ऐसे मामले में जहां प्रमुख देनदार के दायित्व को दिवाला कानून या कंपनी कानून के तहत निर्वहन किया गया था) पर विचार किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि असंदिग्ध गारंटी को ध्यान में रखते हुए, गारंटर का दायित्व जारी रहता है और लेनदार अनुबंध अधिनियम की धारा 128 की भाषा को देखते हुए गारंटर से इसका एहसास कर सकता है क्योंकि उस अधिनियम की धारा 134 के तहत कोई निर्वहन नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 7. विचाराधीन बैंक गारंटी के तहत बैंक ने

विद्युत बोर्ड को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध

50, 000 रुपये और इसे साकार करने के लिए बिजली बोर्ड को बस एक मांग करनी है। ऐसी मांग के अड़तालीस घंटे के भीतर बैंक को राशि का भुगतान करना होता है

विद्युत बोर्ड जो साबित करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं है

68 (2020) 8 एससीसी 531।

मांग की गई राशि के भुगतान से पहले परिसमापन में कंपनी की ओर से कोई चूक। बैंक यह दलील नहीं दे सकता कि वह किसी भी चूक के कारण बिजली बोर्ड को हुए किसी भी नुकसान की सीमा तक ही उत्तरदायी है।

माल के आपूर्तिकर्ता यानी परिसमापन में कंपनी की ओर से। दायित्व पूर्ण और बिना शर्त है। द.

तथ्य यह है कि परिसमापन में कंपनी यानी प्रमुख देनदार परिसमापन में चला गया है, इसका भी बैंक यानी गारंटर के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के तहत, मुचलकेदार का दायित्व है -

प्रमुख देनदार के साथ सह-विस्तारित, जब तक कि

जिसके द्वारा प्रमुख देनदार को रिहा किया जाता है या लेनदार के किसी कार्य या चूक से, जिसका कानूनी परिणाम है - प्रमुख देनदार का निर्वहन। लेकिन एक निर्वहन जो

प्रमुख ऋणी कानून के संचालन द्वारा सुरक्षित कर सकता है

दिवालियापन (या परिसमापन कार्यवाही में)

कंपनी) अपने दायित्व के प्रतिभू को दोषमुक्त नहीं करती है। (जगन्नाथ गणेश्राम अग्रवाल बनाम देखें। शिवनारायण

भागीरथ [ए. आई. आर. 1940 बम 247; फिट्जगॉर्ज एक्स में भी देखें

पार्टे रॉबसन [(1905) 1 KB 462])।"

109. इस कानूनी स्थिति को बाद में औद्योगिक वित्त निगम में देखा गया और अनुमोदित किया गया। ऑफ इंडिया लिमिटेड v. कन्नौर एसपीजी। & डब्ल्यूवीजी। मिल्स Ltd.6[9] 69 तीन न्यायाधीशों का एक पूर्व निर्णय, पंजाब नेशनल बैंक बनाम। की स्थितिU.P.70 गारंटर और प्रमुख देनदार से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" अपीलार्थी ने, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड द्वारा प्रत्यर्थी 4 के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने के बाद। (प्रत्यर्थी 3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत, उक्त प्रत्यर्थी को कुछ धन आगे बढ़ाया। के संबंध में

इस प्रकार किए गए अग्रिम, उत्तरदाताओं 1,2 और 3 ने बैंक को देय राशि का भुगतान करने के लिए गारंटी के कार्य निष्पादित किए

प्रमुख उधारकर्ता के भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में गारंटर के रूप में।

(2002) 5 एससीसी 54

(2002) 5 एस. सी. सी. 80 ललित कुमार जैन बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

तत्पश्चात, प्रत्यर्थी 3 जिसने पदभार संभाला था प्रतिवादी 4 का प्रबंधन बीमार हो गया और बीमार वस्त्र उपक्रमों के तहत कार्यवाही शुरू की गई

(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'अधिनियम')। अपीलार्थी ने गारंटरों और प्रिंसिपल के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा दायर किया

उसके द्वारा दावा की गई राशि का देनदार।

पक्षकारों की दलीलों पर निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया गया था:

' क्या वादी का दावा 1974 के अधिनियम 57 के प्रावधानों को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं है जैसा कि प्रतिवादी 2 के लिखित बयान के पैरा 25 में आरोप लगाया गया है?

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों को देखते हुए, अपीलार्थी का मुकदमा विचारणीय नहीं था।

हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों को देख चुके हैं और हमारी राय में नीचे दी गई अदालतों का निर्णय सही नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में मालिक को कुछ पूर्व देनदारियों के लिए उत्तरदायी होने का प्रावधान है और धारा 29 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम का अन्य सभी अधिनियमों पर एक प्रबल प्रभाव होगा। यह अधिनियम केवल उस कंपनी की देनदारियों से संबंधित है जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी भी तरह से एक गारंटर के दायित्व को प्रभावित करता है जो उसके द्वारा निष्पादित गारंटी विलेख से बाध्य है। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र एस. ई. बी. बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया है। आधिकारिक

परिसमापक, उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम [(1982) 3 एस. सी. सी. 358: ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1497] जहाँ किसी मामले में गारंटर का दायित्व है।

गारंटर का ऐसा दायित्व जारी रहता है और लेनदार अनुबंध अधिनियम की धारा 128 की भाषा को देखते हुए गारंटर से इसका एहसास कर सकता है क्योंकि उस अधिनियम की धारा 134 के तहत कोई निर्वहन नहीं है। हमारी राय में, इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय का सिद्धांत वर्तमान मामले में समान रूप से लागू होता है। अपीलार्थी का प्रत्यर्थियों 1,2 और 3 से धन वसूल करने का अधिकार जो गारंटर थे, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के विलेख की शर्तों से उत्पन्न होता है।

21] 3 एस सी आर।

ऐसी गारंटी जो किसी भी तरह से रद्द नहीं की जाती है या केवल इसलिए निष्फल नहीं की जाती है क्योंकि अपीलार्थी मूल उधारकर्ता से धन की वसूली करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यहाँ यह जोड़ा जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के परिणामस्वरूप भी प्रमुख उधारकर्ता की देनदारी समाप्त नहीं होती है। यह केवल वसूली का तरीका है जिसका उल्लेख उक्त में किया गया है।

अधिनियम "।

110. काप्पिंग सिंगर एंड फ्रीडलैंडर लिमिटेड (ऊपर) में यू. के. सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी प्रमाण की अवधारणा पर बड़ी संख्या में पिछले अधिकारियों की समीक्षा की, यानी दिवालिया कार्यवाही के संदर्भ में गारंटरों से वसूली। अदालत ने कहा:

" नियम का कार्य दो अलग-अलग संपत्तियों के खिलाफ एक ही ऋण के दोहरे प्रमाण को रोकना नहीं है (जिसे दिवाला व्यवसायी "दोहरी गिरावट" कहते हैं)। नियम इस बात के दोहरे प्रमाण को रोकता है कि एक ही संपत्ति के खिलाफ एक ही ऋण क्या है, जिससे एक ही संपत्ति का भुगतान किया जा सकता है।

एक संपत्ति से दोगुना लाभांश। यही कारण है कि

कभी-कभी इसे दोहरे लाभांश के खिलाफ नियम कहा जाता है। में प्रतिभूति का सबसे सरल मामला (जहां प्रतिभूति को न तो दिया गया है और न ही प्रतिभूति प्रदान की गई है, और इसका असीमित दायित्व है) प्रमुख देनदार (पीडी), प्रतिभूति (एस) और लेनदार (सी) के बीच अधिकारों और देनदारियों का एक त्रिकोण है। पीडी के पास है

सी के लिए प्राथमिक दायित्व और एक द्वितीयक दायित्व एस को क्षतिपूर्ति दें यदि और जहाँ तक एस पीडी के दायित्व का निर्वहन करता है, लेकिन यदि पीडी दिवालिया है तो एस सी के साथ प्रतिस्पर्धा में उस अधिकार को लागू नहीं कर सकता है। एस का दायित्व है कि सी को पीडी के दायित्व का जवाब देना है, और पीडी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का द्वितीयक अधिकार है। सी (उचित सूचना के बाद) पीडी और एस दोनों में से किसी एक या दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यदि पीडी और एस दोनों दिवालिया परिसमापन में हैं, तो सी पाउंड में 100 पी के लिए प्रत्येक के खिलाफ साबित हो सकता है लेकिन ठीक नहीं हो सकता है।

कुल मिलाकर पाउंड में 100 पी से अधिक।"

111. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि एक समाधान योजना की मंजूरी वास्तव में एक व्यक्तिगत गारंटर (एक

गारंटी के अनुबंध के तहत उसकी या उसकी देनदारियों का निगमित देनदार)। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख उधारकर्ता की रिहाई या निर्वहन, अर्थात

कानून का संचालन, या परिसमापन या दिवालिया कार्यवाही के कारण, V नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ। इंद्र भाट, जे.]

उसका दायित्व, जो एक से उत्पन्न होता है

जी कारण, यह माना जाता है कि आक्षेपित

टी यह भी माना जाता है कि एक संकल्प बी. टी. ओ. आर. की मंजूरी इस तरह से काम नहीं करती है ताकि (कॉर्पोरेट देनदारों को) बाधाओं का निर्वहन किया जा सके। रिट और स्थानांतरण याचिकाएं तदनुसार लागत पर आदेश के बिना होती हैं।

मामले खारिज कर दिए गए।